खण्ड-214, अंक-10
शुक्रवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1882
(5 अगस्त, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 214 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ५ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५५

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्मा राम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीन यालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री

बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धो राल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूहलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवाल, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान बैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री

सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखोराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह ,श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ५ अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रताप तथा मिलाप समाचार-पत्रों के सम्वाददाता की मान्यता रद्द करना

**१—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—क्या यह सत्य है कि हिन्दुस्तान समाचार मिलाप, प्रताप, वीर अर्जुन, रियासत तथा अन्य कुछ समाचार-पत्रों के सम्वाददाताओं को, जो कि प्रादेशीय सरकार के मुख्यालय में कार्य करते हैं, सूचना विभाग द्वारा आयोजित प्रेस कान्फ्रेन्सों मे भाग लेने से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—यह कार्यवाही केवल प्रताप और मिलाप के एक सम्वाददाता के सम्बन्ध में की गयी है जिसके लिये गम्भीर और पर्याप्त कारण थे।

**२—श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या सूचना विभाग ने इस निदेश-पत्र को उक्त सम्वाददाताओं के पास सूचनार्थ भेजा था ? यदि हां, तो कब तथा उस निदेश-पत्र में क्या लिखा हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव—मान्यता रद्द करने की सूचना उक्त सम्वाददाता को गत जुलाई, १९६० को डाक द्वारा पत्र भेज कर देदी गई है ।

**३—श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस व्यवहार के प्रति जब सम्वाद दाता समिति के मंत्री तथा अन्य सदस्य सचना विभाग के सचिव तथा संचालक महोदय से मिले तो उन्होंने क्या उत्तर दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—मुख्यालय पर काम करने वाले शासन से मान्यता प्राप्त कुछ सम्वाददाता सूचना निदेशक (संचालक) से इस संबंध में मिले थे और उन्हें स्थिति का ज्ञान करा दिया गया था ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या क्या मुख्य आरोप थे उक्त संवाददाता के खिलाफ और किसने उसकी इंक्वायरी की और संवाददाता को सफाई का मौका दिया गया या नहीं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—आरोपों के सम्बन्ध में अभी हाल में मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया है। माननीय सदस्यों को उसका पता भी है और उनसे पूछतांछ कर ली गयी थी।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—संवाददाता को जो पत्र ४ जुलाई, १९६० को भेजा गया था उसमें क्या लिखा गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो पत्र भेजा गया यह तो बतलाना मुनासिब नहीं होगा पत्र में उनको यही लिखा गया कि आपकी मान्यता रद्द की जाती है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि संवाददाताओं का जो शिष्ट मंडल संचालक महोदय से और सेक्रेटरी सहाब से मिला था उनको क्या बातें संचालक महोदय ने बतलाईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिन कारणों से उनको डिसऐक्रेडिट किया गया था वे कारण बतला दिये गये। इसके बाद यह मामला प्रेस सब-कमेटी के सामने गया। उन्होंने भी यह निर्णय लिया है और सरकार को यह लिखा है कि यह ठीक किया कि उनको डिसऐक्रेडिट कर दिया जाय, लेकिन संवाददाता को इसके कारण बतला दिये जायं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—जब उक्त संवाददाता के खिलाफ इतने गंभीर आरोप थे उनके विरुद्ध सरकार ने मुकदमा क्यों नहीं चलाया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हर मामले में मुकदमा चलाना संभव नहीं होता।

श्री गौरीशंकर राय—जिन आदमियों पर किन्हीं आरोपों के सिलसिले में सरकार मुकदमा चलाने का साहस नहीं कर सकती तो उन्हीं आरोपों में किसी व्यक्ति के खिलाफ इतना कड़ा ऐक्शन लेने का उनके पास क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष—कारण तो उन्होंने बतला ही दिये थे।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—प्रेस सब-कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह छोटी-सी रिपोर्ट है, उसे क्या माननीय मंत्री पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रिपोर्ट क्या है, प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव ही पढ़ दिया जाय।

श्री रामस्वरूप यादव—उसकी नकल इस वक्त है नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—जो शिष्ट मंडल संचालक महोदय से मिला था उसकी मांग क्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई मांग तो उनकी थी नहीं। क्या स्थिति है और क्यों ऐसी कार्यवाही की गयी, इस विषय में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते थे, वह जानकारी उनको दे दी गयी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सरकार ने उत्तर में कहा है कि प्रेस समिति ने यह सिफारिश की कि उसको कारण बता दिये जांय, तो क्या प्रेस समिति की सिफारिश के बाद उसको कारण बता दिये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रेस की सब-कमेटी ने तो कल ही यह प्रस्ताव किया है और वह शासन के पास आया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या प्रेस समिति के कंसल्टेशन से सरकार ऐसे नियम बना चुकी है या बना रही है जिससे भविष्य में इस प्रकार के इन्सीडेंट्स न हो सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसकी तो एक्रेडीशन कमेटी है और उसके रूल्स बने हुये हैं कि इन नियमों के अनुसार पत्रों को मान्यता दी जाय और उन्हें नियमों के अनुसार दी जाती है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में केवल "मिलाप" और "प्रताप" अखबारों के खिलाफ इन शिकायतों का जिक्र किया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या "हिन्दुस्तान समाचार", "वीर अर्जुन" और "सियासत" अखबारों के खिलाफ भी ऐसी कोई शिकायत थी और उनको सूचना विभाग द्वारा आयोजित प्रेस कान्फ्रेंसों में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं । और किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल—"सियासत" के बजाय जो "रियासत" छपा है वह वास्तव में यह बात है कि "सियासत" नाम का कोई अखबार ही नहीं है, "सियासत जदीद" है । तो क्या "सियासत जदीद" के संवाददाता को भी डिसएक्रेडिट किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनको तो अभी मान्यता नहीं दी गई थी क्योंकि उन्होंने अभी मान्यता मांगी नहीं थी । लिहाजा उनको अमान्य करने का प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संवाददाता लोगों का जो शिष्ट-मंडल सरकार के अधिकारी से मिला था वह शिष्ट-मंडल सरकार के द्वारा लगाये गये आरोप और उसके बाद उस पर किये गये ऐक्शन से संतुष्ट हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न तो शिष्ट-मंडल से करना चाहिये । जो उनको जानकारी हासिल करनी थी उसमें से जितनी जानकारी उनको दी जा सकती थी वह दे दी गई और जो ऐक्शन सरकार ने लिया वह भी उनको बता दिया गया । अब वह संतुष्ट हुये या असंतुष्ट यह तो शिष्ट-मंडल से पूछें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि सरकार के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे जो गम्भीर आरोप उन पत्रकारों के खिलाफ लगाये गये वह साबित हो सकें इसीलिये वह मुकदमा नहीं चला रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सीधी बात है कि अगर सरकार को यह विश्वास न होता कि जो घटना हुई है उसमें तथ्य है तो वह इस प्रकार की कार्यवाही क्यों करती ?

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय गृह मंत्री सदन की जानकारी के लिये बतायेंगे कि "प्रताप" और "मिलाप" के खिलाफ क्या गम्भीर आरोप थे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपने वक्तव्य में बता चुके हैं ।

श्री प्रतापसिंह—वह तो गोल मोल जवाब था, हम तो नाम जानना चाहते हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, आपकी आज्ञा से निवेदन किया कि मुख्य मंत्री जी ने जो बताया था वही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता कितने दिनों के लिये वापस ली गई है और क्या कोई शर्तें भी लगाई गई हैं कि जिनके पूरा होने पर मान्यता फिर दे दी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—न कोई शर्त लगाई गई है, न कोई अवधि ही निर्धारित की गई है । एक बात हुई, उसके लिये सरकार को मान्यता रद्द करने का अधिकार है और उसी के अनुसार सरकार ने काम किया ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मान्यता वापस ली गई है वह समाचार-पत्रों से ली गई है या उनके सम्वाददाताओं से ली गई है । अगर वह अपने सम्वाददाताओं को बदल दें तो क्या उनकी मान्यता वापस दे दी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—संवाददाता के खिलाफ कार्यवाही की गई है ।

तारांकित प्रश्न

*१—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—[२४ अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

सहायक सेना छात्र दल की वर्दी

*२—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक सेना क्षेत्र छात्र दल (ए० सी० सी०) की संख्या जनवरी, १९५८ से दिसम्बर, १९५८ तक तथा जनवरी, १९५९ से दिसम्बर, १९५९ तक वर्ष वार क्या रही है और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सभी छात्रों को वर्दियां नहीं दी जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी छात्रों को वर्दियां प्राप्त हो सकें इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—छात्रों की संख्या १९५८ में ८३,१३७ और १९५९ में ९८,७५५ थी ।

जहां तक सभी छात्रों को वर्दियों के देने का प्रश्न है यह नहीं दी जाती और देना सम्भव भी नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रति वर्दी कितना धन व्यय होता है और वह वर्दी छात्रों को हमेशा के लिये दे दी जाती है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—एक वर्दी पर लगभग ११ रुपये खर्च होते हैं और हर साल दी जाती है और ऐसा होता है कि एक साल दस प्रतिशत को दी जाती है और अगले साल दूसरे दस प्रतिशत को दी जाती है । दो साल पहले की वर्दी के फट जाने पर दुबारा दी जाय, यह हो सकता है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यदि सभी छात्रों को वर्दी देना सम्भव नहीं है तो इसके देने का क्या आधार होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आधार यही होता है कि जितनी सम्भव हो दे दी जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या मंत्री जी ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं कि सभी छात्रों को वर्दी दी जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बराबर विचार होता रहता है, लेकिन प्रश्न पैसे का है। जितना उपलब्ध होता है उसी हिसाब से बढ़ते चलते हैं।

मैनपुरी जिले में चोरियां तथा डकैतियां

*३—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जनवरी, १९५९ से नवम्बर, १९५९ तक को न-कौन से थानों में चोरियां या डकैतियां हुई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४९ पर ।)

श्री गनेशचन्द्र काछी—लिस्ट में जो चोरी और डकैतियां दी हुई हैं उनमें से किस किस पुलिस वाले के यहां चोरी और डकैतियां हुईं ?

श्री राम स्वरूप यादव—इसमें श्रीमन्, नोटिस की जरूरत होगी।

गवर्नमेंट इंटर कालेज,, मैनपुरी में बायलोजी ब्लाक का निर्माण

*४—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मैनपुरी के गवर्नमेंट इंटर कालेज के अधिकारियों ने पिछले ७ साल से बराबर सरकार को लिखा है कि प्रयोगशालाओं के लिये भवन बनवा दिये जावें ?

श्री दीन दयालु शास्त्री—जी हां ।

*५—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या हुआ है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—३०,००० रुपये की लागत से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बायलोजी ब्लाक का निर्माण कराया गया है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार मेरी सूचना को सही मानकर कि प्रयोगशाला के लिये अब भी कमरों की कमी है और कमरे बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह विचार भी बराबर होता रहता है और जैसे जैसे धन उपलब्ध होता है वैसे वैसे बनाते हैं। इस समय मैनपुरी में और ब्लाक बढ़ाने का प्रश्न सामने नहीं है ।

बरेली कोतवाली की हवालात में सोहनलाल की मृत्यु

*६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी), श्री ऊदल, श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली), श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) तथा कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या बरेली के एक वकील के कहने पर उनकी चोरी के सम्बन्ध में वहां के इंटर कालेज के प्रथम वर्ष का एक विद्यार्थी व उसका पिता वहां की पुलिस द्वारा ५ फरवरी, १९६० को गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव— जी हां। सोहनलाल और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया गया था।

*७—श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री ऊदल, श्री शिवराजबहादुर, श्री रामशरण यादव तथा कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दूसरे दिन प्रातः वहां की कोतवाली की हवालात में पिता के मरे हुये पाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव— इस मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है। उसकी जांच के उपरांत ही मृत्यु का सही कारण मालूम हो सकेगा।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सोहनलाल के शव का पोस्ट मार्टम किया गया था ? यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या लिखा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनके चोटें पाई गई थीं।

श्री अध्यक्ष—आप यह बता दें कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की कापी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सात महीने में अब तक सी० आई० डी० की रिपोर्ट न आने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, पोस्ट मार्टम के बारे में मैंने जो उत्तर दिया था उसके सम्बन्ध में मेरे पास नोट है कि मृत्यु अनेक चोटें लगने के फलस्वरूप, आघात के कारण, हुई। इसमें शुरू में ही सी० आई० डी० को केस दे दिया गया था। लेकिन बीच में, मैजिस्टीरियल इनक्वायरी कानूनन होनी चाहिए, इसलिये बीच में सी० आई० डी० ने अपनी जांच रोक दी। मैजिस्टीरियल इनक्वायरी के बाद सी० आई० डी० ने फिर जांच शुरू कर दी है। वह रिपोर्ट अभी शासन के पास नहीं आयी है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु चोटों से हुई तो स्वाभाविक रूप से यह संदेह होना चाहिये कि पुलिस की मार से वह व्यक्ति मरा, फिर भी इस बीच में, जांच के दौरान में सरकार ने उस थाने के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को वहां से ट्रांस्फर कर दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—थानेदार बासदेव सिंह के खिलाफ ३०२ का मुकदमा दर्ज हुआ और उसको मुअत्तल भी किया गया।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन वकील साहब के यहां चोरी हुई, उन्होंने कोई नामजद रिपोर्ट मृतक या उसके लड़के के विरुद्ध कोतवाली में लिखाई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, उन्होंने लिखाया था कि सोहनलाल नामक व्यक्ति पर चोरी का उनका संदेह है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि हवालात में कितनी देर रहने के बाद इस आदमी की वहां मृत्यु हो गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—शाम को साढ़े ६ बजे हवालात में बन्द किया गया था। सुबह ६ बजे पता चला कि मृत्यु हो गई। यह अन्दाज किया जाता है कि सुबह ३ बजे से ६ बजे के बीच में किसी समय मृत्यु हुई है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई उसका क्या परिणाम हुआ और क्या उसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों के खिलाफ़ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैजिस्टीरियल इनक्वायरी का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने यह लिखा कि सम्भवतः यह मृत्यु फांसी के कारण हुई है और जैसा आप ने अभी सुना पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट यह है कि इसके शरीर पर चोटें हैं और सम्भवतः चोटें लगने के कारण मृत्यु हुई है। जो कांस्टेबिल हवालात पर था वह मुअत्तल है और जो दारोगा जी हैं उनके खिलाफ ३०२ का मुकदमा दर्ज है और मुअत्तल हैं। उस पर सी० आई० डी० की इनक्वायरी बिठायी गयी कि मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी की रिपोर्ट ऐसी है और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट ऐसी

हैं। इतना और निवेदन करूंगा कि यह सरकार की घोषित नीति है कि किसी की भी यदि हवालात के अन्दर मौत हो तो इसके आर्डर्स जा चुके हैं कि पहला काम यह होना चाहिए कि उस थाने के दारोगा को सस्पेंड की जिये और वहां जो ड्यूटी पर हो उसको सस्पेंड कर के केस रजिस्टर किया जाय और बार-बार यह बात कही गयी है कि यह अत्यन्त अनुचित बात है, कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि किसी आदमी की हवालात में मृत्यु हो जाय। जहां कहीं ऐसा केस होता है तुरन्त कार्यवाही की जाती है। सी० आई० डी० की रिपोर्ट आने पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को यह सूचना है कि उस व्यक्ति के कोतवाली में पहुंचने के पहले वकील साहब, जिन के घर कहा जाता है चोरी हुई, उन्होंने भी उसको मारा था, तो क्या वकील साहब के ऊपर कोई मुकदमा या किसी तरह की कार्यवाही हुई है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, सारा मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द है इन्क्वायरी के लिए और उनकी रिपोर्ट आने पर फिर जैसी कार्यवाही मुनासिब होगी, वैसी की जायगी।

गोंडा जिले के सर्वश्री जगरु व जगप्रसाद की अपील सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों की न्यायाधीश श्री मुल्ला द्वारा कड़ी आलोचना

*८—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार का ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के माननीय जस्टिस मुल्ला के २० मार्च, १९६० के उस निर्णय की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें उन्होंने गोंडा के सर्वश्री जगरू व जगप्रसाद आदि को बरी करते हुये वहां के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित स्ट्रिक्चर पास किया है—

"I have no doubt in my mind that the Circle Inspector and his companions acted in an inhuman manner and if I were their superior officer, I would have seen to it that they were punished in a proper manner."

यदि ह, तो उसने उक्त सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। उक्त स्ट्रिक्चर के बारे में पुलिस रेगुलेशन्स के प्रस्तर ५०० के अन्तर्गत जांच हो रही है। जांच की रिपोर्ट जिलाधीश तथा कमिश्नर के द्वारा प्राप्त होने पर मामले पर विचार किया जायगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि माननीय जस्टिस मुल्ला ने उक्त स्ट्रिक्चर के अलावा अपने फैसले में यह भी लिखा है —

"Where Police behaves in such a manner it is all the more reprehensible and if it had been in my power I would have taken suitable steps against Shri Shiv Das Rai and his companions, in this bestial crime.

The lawlessness of a mob is nothing as compared to the lawlessness of Police Officers."

तो उन के यह लिखने पर भी सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय यह जांच किस लिए कराई जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नियम है पुलिस रेगुलेशंस का कि इस प्रकार के स्ट्रिक्चर जब अदालत से पास हो जायं तब उस पर जवाब तलब किया जाय और दफा ५०० के अनुसार उस की इन्क्वायरी की रिपोर्ट आने पर उस की कार्यवाही की जाय। वह किया जा रहा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—उस आदमी को सस्पेंड कर दिया गया है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, अभी सस्पेंड नहीं हुआ है।

श्री चन्द्रजोत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान माननीय जस्टिस मुल्ला के उस जजमेंट की तरफ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करना व्यर्थ है क्योंकि उसके बाद आम तौर से उसको प्रोमोशन दे दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस जजमेंट की बात थी, श्रीमन्। वैसे जस्टिस मुल्ला जस्टिस हैं। रोज जजमेंट होते रहते हैं। इस जजमेंट को मैंने देखा, इसमें नहीं है यह बात।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जस्टिस मुल्ला के लिखने के बाद भी कि मैं अगर आफिसर होता, तो उसको जरूर पनिश करता, उसके बाद भी इन्क्वायरी के दौरान में उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सस्पेंड करना जरूरी नहीं है पुलिस रेगुलेशंस के मुताबिक। हम इन्क्वायरी कर रहे हैं। इन्क्वायरी के बाद जो कार्यवाही होगी की जायगी।

*९---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[१९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

घोसी थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*१०---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के यहां ग्राम पट्टी मुहम्मद, थाना घोसी के निवासियों ने १०-११-५९ को घोसी थाने की पुलिस के विरुद्ध झूठा मुकदमा चला कर परेशान करने के विषय में कोई दरख्वास्त दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---ग्राम पट्टी मुहम्मद, थाना घोसी के एक व्यक्ति ने एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को दिया था। इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्यों कि उक्त प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने के पूर्व ही प्रार्थी व उसके अन्य ६ साथियों के विरुद्ध अभियोग-पत्र न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका था और मामला अदालत के विचाराधीन था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अदालत में यह मुकदमा किस तारीख को भेजा गया और इसका निर्णय क्या हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह २ अक्तूबर, १९५९ को चार्जशीट भेज दी गई थी और २४ फरवरी, सन् १९६० को न्यायालय द्वारा वह अभियुक्त मुक्त हो गए।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस प्रार्थना-पत्र की ओर उनका ध्यान गया है जिस में उस व्यक्ति ने लिखा था कि वहां के पुलिस कर्मचारियों का सम्बन्ध कुछ ऐसे लोगों से है कि जिनके कारण इनको परेशान करने के लिये इनके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो उन्होंने शिकायत की थी कि झूठा मुकदमा चलाया जा रहा है और परेशान करने के लिये चलाया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा खत्म हो जाने के बाद भी उस व्यक्ति ने दोषारोपण किया है पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ ? यदि हां, तो भी उसकी क्या इन्क्वायरी की गई और यदि की गई तो परिणाम क्या हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---वहां के जिले के अधिकारियों ने उसकी जांच इसलिए नहीं की कि अदालत ने कोई स्ट्रिक्चर पास नहीं किया था। लेकिन शासन को कोई आपत्ति नहीं है उसकी जांच करा लेने में।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री का ध्यान पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के उस आदेश की ओर गया है जिसमें उसने उप-पुलिस अधीक्षक को यह लिखा था कि आप खुद इन्क्वायरी करें और चार्जशीट अदालत में न भेजें ?

श्री रामस्वरूप यादव—चार्ज शीट तो शिकायत आने के पहले ही भेजी जा चुकी थी।

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाईज यूनियन के कुछ कर्मचारियों की भूख हड़ताल

*१२—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने के कृपा करेगी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाईज यूनियन, उत्तर प्रदेश की तरफ़ से श्री रामनरेश वर्मा, श्री रामप्रसाद गुप्त तथा सर्किल अध्यक्ष, श्री हरगोविन्दसिंह जो चीफ़ इंजीनियर, राज्य विद्युत् परिषद् के कार्यालय के सामने अनशन कर रहे थे उन्हें १२ जून, १९६० को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

*१३—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अनशन किन-किन मांगों को लेकर किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—अनशन शुरू होने के बाद निम्नलिखित मांगों की सूचना दी गई:—

(१) सोहावल पावर हाउस तथा हाइडल डिवीजन, गोंडा के छटनी किये गये कर्मचारियों को तुरन्त पुर्नानियुक्त किया जाय।

(२) छटनी की तारीख़ के बाद का वेतन भी उनको शीघ्र दिया जाय।

(३) नये नियुक्त किये गये कर्मचारी अविलम्ब हटाये जायें।

(४) तीन वर्ष से जो रेगुलर पद रिक्त हैं उन पर वर्कचार्ज कर्मचारियों को रखा जाय।

(५) राष्ट्रीय क्षति को रोकने के लिये एक कमेटी बनाई जाय जिसमें फैजाबाद सर्किल इम्प्लाईज यूनियन का प्रतिनिधित्व हो।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मांगों को लेकर यह अनशन कर रहे थे उसमें किन-किन मांगों को सरकार ने मान लिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—चीफ इंजीनियर ने यह कह दिया कि कुछ नगरों में जहां विद्युत् स्वीकृत हो चुकी है वहां पर आवश्यकता के अनुसार छटनी हुये कर्मचारियों को ले लिया जायगा। बाकी के लिये वेतन देने का प्रश्न उठता नहीं है। नया कर्मचारी कोई रखा नहीं गया।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन लोगों को जेल से कब रिहा किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्होंने भूख हड़ताल १६ जून को खत्म कर दी थी। इसकी निश्चित तिथि मेरे पास नहीं है कि किस दिन उनको रिहा कर दिया गया।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उनको जो रिहा किया गया वह सजा काटने पर रिहा किया गया या किसी शर्त के अनुसार समझौता करने पर रिहा किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी तो १६९ Cr. P. C. के अनुसार उनको रिहा कर दिया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सोहावल पावर हाउस और हाइडल डिवीजन, गोंडा के अन्दर जो छटनी की गई है उन मजदूरों को वापस लिया जाय और तीन साल से जो रेगुलर स्थान के पद रिक्त हैं उनको भर दिया जाय जो वर्क चार्ज पर काम करते हैं, तो क्या सरकार ने इन दोनों मांगों को मान लिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—हाइडल डिवीजन, गोंडा और फैजाबाद में किसी नये कर्मचारी को नहीं रखा गया और न रेगुलर कैडर में कोई पद रिक्त है। इसलिये उन स्थानों को भरने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले आत्मसमर्पणकारी डाकू

*१४—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आचार्य विनोबा भावे के सामने जिन डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया है उनमें से कितने ऐसे हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में भी अपराध करने के आरोप हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आचार्य विनोबा भावे के समक्ष मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं में से १५ ऐसे हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में भी अपराध करने का आरोप है।

*१५—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त डाकुओं के मुकदमों को देखने के लिये कोई अन्तर्प्रदेश य न्यायाधिकरण (Inter-State Tribunal) स्थापित करने की योजना अन्य राज्यों के सहयोग से उसके विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तीन साल का डिग्री कोर्स

*१६—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित Three years degree course scheme को राज्य सरकार ने मान लिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार उसे किस रूप में कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—राज्य सरकार ने तीन वर्ष के डिग्री कोर्स की योजना को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। प्रश्न का दूसरा भाग विचाराधीन है।

*१७—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने का स्वरूप निश्चित करने के लिये किसी समिति का निर्माण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी नहीं, दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने पहले थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स की योजना को अपने यहां लागू करना अस्वीकार कर दिया था तो बाद में कौन से कारण थे जिनके कारण राज्य सरकार ने इसको स्वीकार किया और क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण योजना को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—राज्य सरकार ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया था। इस थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स के विषय में सरकार की दृष्टि में यह बात थी कि शैक्षक दृष्टि से यह सिद्धांत अच्छा है कि बी० ए० पास करने के पूर्व विद्यार्थियों को ३ साल यूनिवर्सिटी में रहने का मौका हो।

लेकिन हमारे सामने जो कठिनाइयां थीं उनको हमने भारत सरकार के सामने उपस्थित किया था कि इन कठिनाइयों के रहते हुये हमें यहां लागू करना सम्भव दिखाई नहीं देता। इन कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टा करें तो तब हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं। यह हमने उनसे कहा था।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन सी कठिनाइयां थीं जिनको राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत किया था और केन्द्रीय सरकार ने किस हद तक उन कठिनाइयों को हल करने का प्रयत्न किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बड़ी भारी कठिनाई तो पैसे की थी। तीन साल का डिग्री कोर्स करने के लिये बड़ा पैसा चाहिये। १५० के करीब हमारे डिग्री कालेज हैं और कई यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा ऐसी हैं कि जिन पर बहुत काफी पैसा खर्च होता। तो वह हम दे नहीं सकते और इसलिये हमने कहा कि अगर तीन साल का डिग्री कोर्स चलाना है तो उस के लिये भारत सरकार को कुछ खर्च उठाना चाहिये। दूसरे, हमारी माध्यमिक शिक्षा की पद्धति में १२ साल का कोर्स है। तो अगर ३ साल का डिग्री कोर्स हो तो इसे ११ साल का करना पड़ेगा। इसमें हमारे यहां बहुत दिक्कत पड़ेगी। इस के साथ हमको कोई विरोध नहीं है, परन्तु जो हमारी पद्धति चल रही है वह बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। सैडलर कमीशन के बाद यही तरीका रहा है और कोई कारण नहीं है कि हम इसमें परिवर्तन करें। नरेन्द्रदेव कमेटी ने भी १२ साल का ही माध्यमिक शिक्षा का कोर्स रखा था। तो इसको बदलने में हम सहमत नहीं हैं और हमारी दूसरी भी कठिनाइयां हैं। हमारे टीचर्स कहां जायं, उन लड़कों की परीक्षाएं कैसे हों, आदि आदि। तो भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे। यह तो कठिनाइयां खास कर हमने उनके सामने रखी थीं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार का आग्रह यह है कि ११ साल का कोर्स आप मान लें और राज्य सरकार का अभी भी यह निश्चित मत है कि १२ साल के कोर्स से ही फायदा है और एक निश्चित योजना हमारी चल रही है, इस सम्बन्ध में शिक्षा स्थायी समिति ने भी सरकार को सिफारिश की है कि वह इसकी जांच पड़ताल कराये और इसके लिये वह एक कमेटी नियुक्त करे जो एक निश्चित नीति निर्धारित करे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, भारत सरकार ने यह शर्त मान ली है कि तुम अगर माध्यमिक शिक्षा की पद्धति और प्रकार इस तरह का रखना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी रख सकते हो। इसका निर्णय तुमको खुद करना है कि माध्यमिक शिक्षा का कोर्स ११ साल का रहे या १२ साल का। उन्होंने अपना ११ साल का आग्रह वापस ले लिया है और पैसे के बारे में भी उन्होंने कहा है कि हम कुछ बोझ उठावेंगे। अब डिग्री कोर्स ३ साल का हो जाय यह प्रश्न है। हमारे यहां दो भारतीय यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने ३ साल का डिग्री कोर्स कर लिया और संभवतः वह अपना माध्यमिक शिक्षा का कोर्स भी ११ साल का करने जा रही हैं। सारे देश के बहुत से प्रदेशों में ११ साल का कोर्स हो गया है। तो यह प्रश्न काफी पेचीदा है और इसके विषय में सरकार शीघ्र ही एक माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति बनाने का निश्चय कर चुकी है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई घोषणा होगी ताकि यह प्रश्न उसको दे दिया जाय और उसकी जो सिफारिशें आयें उनके अनुसार निर्णय हों, क्योंकि इसका बड़ा व्यापक प्रभाव होगा सारी शिक्षा की पद्धति में।

श्री ऊदल—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस स्कीम के सिद्धांत को उन्होंने मान लिया है ? यदि हां, तो वे इसे कब तक लागू करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बतला दिया कि अमुक बातें हो जाने के बाद वे उस पर विचार करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जो कमेटी वह स्थापित करने जा रहे हैं उसकी घोषणा कब तक हो जायगी और उसकी मोटी रूप रेखा क्या होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि आगामी पक्ष में हो जायगी। १५ दिन के बीच में साधारणतः हो जानी चाहिये उसकी घोषणा और उसके सामने मुख्य और तात्कालिक प्रश्न तो यह होगा कि माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप ११ साल का हो अथवा १२ साल वाला। १२ साल वाला हुआ तो कोई खास प्रश्न नहीं उठते, लेकिन अगर ११ साल का माध्यमिक शिक्षा का कोर्स रखना है तो बहुत से परिवर्तन करने पड़ेंगे इंटर्मीडियेट का इम्तहान खत्म करेंगे या इम्तहान ११ साल बाद होगा, क्योंकि १२ साल का कोर्स तो ११ साल में ले आना पड़ेगा और पढ़ाना उतना ही कोर्स पड़ेगा। तो एक तो मुख्य प्रश्न यह हुआ। दूसरा यह है कि हम एजूकेशन के बारे में एक काम्प्रीहेन्सिव बिल लाना चाहते हैं जिसमें प्राइमरी एजूकेशन से लेकर माध्यमिक तक उसका क्या सम्बन्ध है। इस पर वह विचार करे और अपनी राय दें। इस तरह का प्रश्न बार-बार इस सदन में उठा है और माननीय सदस्यों की ओर से यह मांग रही है। इसलिये हमने सोचा है कि इस सम्बन्ध में उनसे संस्तुति मांग ली जाय कि क्या कोई काम्प्रीहेन्सिव बिल इस तरह का हो सकता है। इस प्रकार के मुख्य-मुख्य प्रश्न हैं। इसके अलावा और भी छोटे-मोटे प्रश्न हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस सम्बन्ध में आर्थिक पहलू पर तो प्रकाश डाला किन्तु क्या उन्होंने अध्यापकों की कठिनाइयों पर भी विचार किया जो यह दो वर्ष के कोर्स के बजाय ३ वर्ष तक पढ़ायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, हमने इस पर भी विचार किया है कि अगर ११ साल के बजाय हम १२ साल कर देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन प्रदेशों में ३ वर्ष का डिग्री कोर्स मान लिया गया है वहां पर इस सम्बन्ध में जो आर्थिक व्यय हुआ है उसका अधिकांश भार केन्द्रीय सरकार ने वहन किया है, तो फिर क्या कारण है कि इस प्रदेश के मामले में केन्द्रीय सरकार को एतराज है ? क्या इसकी जानकारी मंत्री जी करा सकते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनको एतराज नहीं है, किन्तु प्रश्न यह है कि हम चाहते हैं कि वे उसका सब खर्च यानी १६ आने वे दें। अब किस सीमा तक वे उसको मानते हैं, यह प्रश्न है। हमारे यहां और जगह से खर्चा ज्यादा पड़ता है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहां दूसरों के मुकाबिले बहुत ज्यादा कालेजेज और यूनिवर्सिटियां हैं। हमारा ऐसा अन्दाजा है कि इससे करीब १२/१३ करोड़ रुपये का खर्च पड़ जाता है। अभी हाल ही में, ८/९ तारीख को भारत सरकार की एक मीटिंग में मुझे बुलाया गया है, मैं उसमें भाग लेने जा रहा हूं।

*१८—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—[१९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया]

*१९-२०—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—[१९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये]

गोंडा रेलवे स्टेशन पर कैनेडियन पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार

*२१—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसे सूचना है कि ३० जून, १९६० को किसी कनाडियन पत्रकार को गोंडा, स्टेशन पर रेलवे पुलिस गार्ड ने पीटा तथा उसे २३ घंटों तक हिरासत में रखा ? यदि हां, तो उस पत्रकार का नाम क्या था तथा उसे क्यों रोका गया और घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—केनेडियन पत्रकार के साथ गोंडा स्टेशन पर ३० जून, १९६० को घटना होने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है। पत्रकार का नाम श्री पीटर एलेन स्टालरी था। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया न पुलिस की हिरासत में रखा गया। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७५० पर)

कुंवर श्रीपाल सिंह—श्रीमन्, इसमें जो सूची संलग्न है उसमें लिखा है कि पुलिस के डंडे से भी चोट पहुंची। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस के डंडे से चोट किस तरह पहुंची ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इसमें यह लिखा है कि सम्भवतः उनको चोट पहुंची हो। अब इसकी जांच हो रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह जांच कौन कर रहा है ? दूसरे यह कि जो यह कहा गया है कि पुलिस के डंडे से सम्भवतः चोट पहुंची हो तो वह उस समय पहुंची जब वह कूद रहा था या बाद को पहुंची जबकि उसने अपशब्द कहे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह किस्सा बहुत लम्बा है। अभी इसकी जांच हो रही है। पुलिस का कहना है कि वह डिब्बे से कूद पड़े उसने कोशिश की डिब्बे को बन्द करने की इसलिये कि वह उसी फर्स्ट क्लास में बैठा रहे। जब देखा कि डिब्बा बन्द नहीं हुआ तो वह कूद पड़ा। पुलिस का यह भी कहना है कि बाद को स्टेशन मास्टर के पास जाकर वह उनसे बुरी तरह से पेश आया और काफी अपशब्द वगैरह कहे। अगर आप कहें तो मैं पूरा विवरण पढ़ दूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, बहुत थोड़ा-सा ही विवरण है, अगर पढ़ दें तो और लोगों को प्रश्न करने में सुविधा हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—विवरण कोई बड़ा तो है नहीं, पढ़ दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव—विवरण जो आपको दिया है वह भी मेरे पास है और उसके अलावा और भी है, कहिये तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—यह तो १०–१५ लाइनों का है, पढ़ दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव—दिनांक ३० जून, १९६० को कनाडियन पत्रकार, श्री पीटर एलेन स्टालरी, गोंडा स्टेशन पर एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिना टिकट यात्रा करते हुये पाये गये। टिकट एग्जामिनर ने उनसे टिकट खरीद लेने के लिये अनुरोध किया जिससे वे सहमत नहीं हुये और वे ट्रेन से नहीं उतरे। कुछ अन्य रेलवे कर्मचारी व रेलवे पुलिस के सिपाही भी मौके पर आ गये और उन्होंने भी श्री स्टालरी को डिब्बे से बाहर निकालने के लिये आग्रह किया तो वे उत्तेजित होकर ट्रेन से कूद पड़े। इस गड़बड़ी में सम्भवतः उन्हें पुलिस के डंडों से भी चोट पहुंची हो।

श्री स्टालरी गिरने के पश्चात् आवेग में भरे हुये सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में पहुंचे और उन्हें अपशब्द कहे तथा चप्पल खींच कर मारी। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को मूर्ख एवं पुलिस को अयोग्य एवं धृष्ट कहा। उन्होंने रेलवे पुलिस के विरुद्ध लिखित शिकायत की। इस पर उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग कायम करने के बाद जांच शुरू की गयी।

चिकित्सक उपचार के बाद श्री स्टालरी रेलवे निरीक्षक के विश्रामालय में रहे, फिर लखनऊ के लिये रवाना हुये। पुलिस की हिरासत में वे नहीं रखे गये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री महोदय ने यह बताने की कृपा नहीं की कि जांच कौन कर रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने बता तो दिया था, शायद आपका ध्यान कहीं और था कि सेक्शन आफिसर जी०आर०पी० जांच कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह कहा गया कि चिकित्सक उपचार के बाद वह विश्रामालय में रहे तो जो उपचार हुआ उसमें मालूम हुआ कि उनको कितनी चोटें आयी थीं और कहां-कहां ?

श्री रामस्वरूप यादव—कहां-कहां आयीं, यह तो मालूम नहीं है, लेकिन साधारण चोटें थीं एक उंगली में आयी थी, लेकिन उसे डाक्टर ने बताया था कि पुरानी चोट थी। उनके खिलाफ ३२५ आई०पी०सी० और १२० रेलवे ऐक्ट के अधीन मुकदमा कायम किया गया था, जिसकी जांच हो रही है। श्री स्टालरी के खिलाफ भी जांच हो रही है जबकि उन्होंने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—मिस्टर पीटर एलेन, जिन्होंने अपने को पत्रकार कहा सरकार संतुष्ट है उनका परिचय देख करके कि वह सही मानों में पत्रकार थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस विषय की भी जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष—क्या मुकदमा दाखिल हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, अभी दाखिल नहीं हुआ, जांच हो रही है और उसके अनुसार कानूनी कार्यवाही की जायगी ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिस्टर पीटर एलेन ने इस बात का क्या उत्तर दिया कि वह बगैर टिकट फर्स्ट क्लास में क्यों सफर कर रहे थे ? क्या उन्होंने कोई ऐसा रिवाज बताया कि कैनाडा में पत्रकारों के लिये टिकट लेना आवश्यक नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्होंने बताया कि वह इससे पहले आने वाली गाड़ी से आ रहे थे। एक स्टेशन पर कुछ सामान खरीदने उतर गये, जिसकी वजह से उनका सामान उस गाड़ी में चला गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास थर्ड क्लास टिकट था—वह भी मौजूद नहीं था। फर्स्ट क्लास में उनको बिला किसी सामान और टिकट के घुसते देख कर अन्य यात्रियों ने आपत्ति की कि उनको उस डिब्बे में सफर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिये।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या यह सही है कि कैनेडियन पत्रकार ने इस बात की भी शिकायत की है कि उसको हवालात में बन्द करके पुलिस द्वारा मारा भी गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं समझता हूं कि सारी बात का उत्तर दे दिया गया है, तो ऐसा प्रश्न करने की जरूरत नहीं। उन पर बिना टिकट यात्रा करने का अभियोग है और इसके बाद उनकी ओर से यह रिपोर्ट लिखाई गयी कि हमारे पास टिकट नहीं था, हमको मारा पीटा गया। उसकी इंक्वायरी हो रही है। एक तरफ से यह रिपोर्ट है कि उनके पास टिकट नहीं था, उनको जबरदस्ती उतारा गया तब वह कूद पड़े। और दूसरी ओर से यह रिपोर्ट है कि हमारे पास टिकट नहीं था, बिना टिकट के यात्रा जरूर कर रहे थे, लेकिन उनको पीटा पाटा और उतार दिया और दोनों की इंक्वायरी सेक्शन आफिसर कर रहे हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)---क्या यह सही है कि गोरखपुर के स्टेशन मास्टर ने लखनऊ, मनकापुर और गोंडा के स्टेशन मास्टरों को सूचना दे दी थी कि यह यात्री जा रहा है, इसका टिकट यहीं छूट गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यदि माननीय सदस्य को ऐसी कोई सूचना हो तो वह अपना बयान लिखकर उस आफिसर के पास भेज दें जोकि इसकी इंक्वायरी कर रहा है। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

रोडवेज विभाग में कर्मचारियों की यूनिफार्म तथा आवास व्यवस्था

*२२---**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग में सीजनल यूनिफार्म किन-किन ट्राफिक स्टाफ को मिलती है ? और किन-किन लोगों को नहीं ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)---यूनिफार्म ड्राइवर, कण्डक्टर, क्लीनर कंडक्टर, ट्रैफिक क्लीनर्स और गन रिटेनर चौकीदारों को मिलती है और असिस्टेण्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सीनियर स्टेशन इंचार्ज, जूनियर स्टेशन इंचार्ज, ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट, कैशियर, असिस्टेन्ट कैशियर, बुकिंग क्लर्क, असिस्टेन्ट बुकिंग क्लर्क, जनरल क्लर्क, वाटर ब्वाय, स्वीपर, चौकीदार, वाचमैन तथा ट्रैफिक मजदूरों को नहीं ।

*२३---**श्री मुक्तिनाथराय**---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों को हाउस एलाउन्स मिलता है कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---जी नहीं, रोडवेज कर्मचारियों के सेवा नियम एवं मान्यतायें शासन के अन्य कर्मचारियों के अनुरूप हैं, अतः इन्हें वही सुविधायें प्राप्त हैं जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों को अभी सीजनल यूनिफार्म्स नहीं मिल रही हैं, उनको निकट भविष्य में मिलने वाली हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---जिन कर्मचारियों को अभी यूनीफार्म्स दी जा रही हैं उनको छोड़कर अन्य कर्मचारियों को यूनिफार्म्स देने का सरकार का विचार नहीं है क्योंकि इस समय जिन लोगों को यूनीफार्म्स देना आवश्यक है उन सभी को दी जा रही हैं ।

श्री मुक्तिनाथ राय---माननीय परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि सीनियर स्टेशन इंचार्ज और सहायक स्टेशन इंचार्ज के आवास की व्यवस्था स्टेशन के पास ही हो ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)---जी नहीं ।

श्री प्रतापसिंह---इस बात को देखते हुये कि रोडवेज कर्मचारियों को बहुत काम करना पड़ता है और उनके क्वार्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि रोडवेज के कर्मचारी जैसे क्लर्क, ड्राइवर, कण्डक्टर, इन सबके लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करे और यदि क्वार्टरों की व्यवस्था न हो सके तो उनको हाउस एलाउन्स दे ?

डाक्टर सीताराम---इसका जवाब प्रश्न संख्या २३ के उत्तर में दे दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जैसे और सरकारी कर्मचारियों को सुविधायें प्राप्त होती हैं वैसे ही रोडवेज कर्मचारियों को भी प्राप्त हैं। इस साल बजट में करीब २५ लाख रुपये की व्यवस्था है कि अब जो बस स्टेशन बनाये जायं उनमें रनिंग शेड हों जिसमें कण्डक्टर्स और ड्राइवर्स, जिनकी ड्यूटी वहां खत्म हो, रात को वहां रह सकें ।

श्री प्रतापसिंह---जब तक वह शेड नहीं बनते हैं तब तक क्या सरकार उनको हाउस एलाउन्स देने की कृपा करेगी और जैसा कि अभी कहा गया कि और कर्मचारियों की तरह से उनको भी सुविधायें दी जाती हैं तो क्या सरकार को यह पता है कि और कर्मचारियों को ८ घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन इनको १६ घंटे काम करना पड़ता है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के मुताबिक कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को ९ घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करना पड़ती ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी कि चूंकि रोडवेज के कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति किसी विशेष स्थान पर नहीं रहना होता है बल्कि ऐसी जगहों पर भी रहना होता है जहां उनको किसी प्रकार से रहने का स्थान नहीं मिल सकता, इसलिये उनको विश्राम के लिये कोई विशेष बन्दोबस्त किया जाय ?

श्री अध्यक्ष---वह तो पहले जवाब दे चुके हैं ।

*२४---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)---[२ सितम्बर, १९५० के लिये स्थगित किया गया ।]

बुलन्दशहर जिले में ग्राम रक्षा समितियों को बन्दूकें देने का प्रबन्ध

*२५---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले में ग्राम रक्षा समितियों या ग्राम पंचायत के प्रधान व सदस्य आदि को बन्दूकों का लाइसेंस दिये जाने के लिये कुछ रुपया पुलिस अधिकारियों ने जमा किया है ? यदि हां, तो कितना और वह रुपया अब कहां गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां । बुलन्दशहर जिले की ग्राम रक्षा समितियों को .१२ बोर की बन्दूकों से लैस करने हेतु बनायी गयी एक योजना के अन्तर्गत १,८४,३५५ रुपया जमा किया गया है जो सरकारी कोष तथा डाकखाने के सेविंग बैंक में जमा है ।

*२६---**श्री रामचन्द्र विकल**---क्या गृह मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि यह लाइसेंस अब कब दिये जाने वाले हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---बहुत शीघ्र इन लाइसेंसों के दिये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति से कितना रुपया जमा कराया गया है और बन्दूक कितनी कीमत की दी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---१,८४,३५५ रुपया जमा हुआ है, जिसमें से १,५७,५०० रुपया ३५६ बन्दूकों की कीमत के लिये सरकारी कोष में जमा कर लिया गया है । राइफिल, फैक्ट्री, ईशापुर, से बन्दूक खरीदने के लिये भारत सरकार द्वारा प्रबन्ध हो गया है । २ अगस्त को एक अफसर खरीदने के लिये भी गया है । बाकी रुपया सेविंग्स बैंक में जमा है । डिस्ट्रिक्ट रूरल डिफेंस कमेटी उस रुपये को रख-रखाव व मरम्मत के लिये खर्च करेगी ।

श्री रामचन्द्र विकल---लाइसेंस किस नाम से दिये जावेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---कमेटी उसकी मुख्य लाइसेंसी होगी और रक्षा समितियां जिनको योग्य समझेंगी उनको रिटेनर्स के लिये सिफारिश करेंगी ।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)---क्या यह योजना प्रदेश के हर जिले में होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जो और जिले चलाना चाहें हम उसे स्वीकार कर लेंगे । बुलन्दशहर जिले के गांव वालों ने रुपया जमा किया है । उसकी कमेटी बनी है, उसके नाम लाइसेंस होंगे । वह अपने रिटेनर्स समझेगी जिनको मुनासिब समझेगी । ये सारी बन्दूकें सरकार की होंगी । जो पैसा बचा है वह उनकी मरम्मत वगैरह पर खर्च होगा । वहां की रक्षा समिति ने यह योजना चलाई है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना को वह पूरे प्रदेश में पंचायत राज्य विभाग की मदद से चलाने पर विचार करेगी और पंचायतों को इस योजना का स्वरूप सरक्यूलेट करने की कृपा करेगी ताकि वे अपने यहां इसे चलाने की सोच सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक जिले में यह प्रयोग होने जा रहा है । अभी वह शुरू भी नहीं हुआ है । उसका नतीजा देख लिया जाय, तब आगे सोचा जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या इसके लिये प्रदेशीय सरकार कोई धन खर्च करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक पैसा भी नहीं । जो बन्दूकें होंगी वे भी सरकार की सम्पत्ति होंगी । यह बुलन्दशहर की उदारता है ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कमेटी को कितने लाइसेंस दिये जावेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कमेटी है सेन्ट्रल रजिस्टर्ड रूरल डिफेंस कमेटी । इस समय ३५० बन्दूकों के लाइसेंस वे ले रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह--क्या वहां की रक्षा समिति को बन्दूकें चलाना भी सिखाया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इरादा यह है कि उनको राइफिल क्लब्स में ट्रेनिंग भी दी जाय ।

प्रदेश की उत्तरी सीमा पर राष्ट्रद्रोही प्रचार रोकने की प्रार्थना

*२७--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार को यह पता है कि प्रदेश की उत्तरी सीमा पर आमतौर पर और उत्तराखंड में खास तौर पर भारत विरोधी (राष्ट्रद्रोही) तथा चीन के पक्षपाती साहित्य का प्रचार हो रहा है ? अगर हां, तो सरकार उसे रोकने के लिये क्या कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार को इस प्रकार के साहित्य के प्रचार होने की कोई सूचना नहीं मिली है । कुछ और इस प्रकार के प्रचार की सूचना मिली थी । इसको बताना जनहित में न होगा ।

*२८--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पंचमार्गी कार्यवाहियों के प्रति सजग है ? अगर हां, तो सरकार उन्हें विफल करने के लिये क्या कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार पूर्णतया सतर्क है । जब किसी आपत्तिजनक कार्यवाही की सूचना प्राप्त होती है, आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार ने उस प्रचार को रोकने के लिये, जिसे वह कहती है कि बतलाना जनहित में नहीं होगा, कोई कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां । वहां जिले के अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है और वह देख रहे हैं कि ऐसी कोई बात न हो जिससे देश का नुकसान हो ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पत्रों को जो लखनऊ और दूसरी जगहों से निकलते हैं, खुले तौर पर प्रचार हो रहा है और वहां मोटर ड्राइवर्स और दूसरे गरीब लोगों को तिब्बत में ले जाकर एक मेज पर एस० पी० को बैठाया जाता है और उसी पर मजदूर को बैठाया जाता है और कहा जाता है कि चीन में इन दोनों में कोई फर्क नहीं है ? यदि ऐसा है तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की कोशिश की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---माननीय सदस्य को पता है कि इस प्रकार कार्यवाही उत्तराखंड में क्या, अल्मोड़े और दूसरी जगहों में भी हुई है। सरकार उनके लिये सतर्क है और मुनासिब कार्यवाही कर रही है। इससे अधिक, आपकी आज्ञा से, मान्यवर, मैं कहना नहीं चाहूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी वहां सरकार की ओर से कुछ ऐसा प्रचार कराने की कृपा करेंगे कि जिससे लोगों में राष्ट्रीय प्रेम बढ़े और राष्ट्रद्रोही तत्वों के लिये वे जागरुक हों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उसका भी प्रबन्ध किया गया है और अधिकाधिक किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि चीनी दूतावास से एक पत्रिका, जिसमें माओ गेट लिखा हुआ है जो धर्मयुग की तरह से कलर्ड (रंगदार) है, निकलती है और वह उत्तराखंड, नैनीताल, अल्मोड़ा इत्यादि सब जगह बिक रही है और यह जब्त नहीं की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---है यह बात, लेकिन मेरा खयाल है कि उत्तराखंड मंडल में यह साहित्य नहीं पहुंचा है। जिन जगहों का नाम आपने लिया वहां कार्यवाही हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग वहां जनकला और लोककला के नाम पर भी चीन का प्रचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष---आप ज्यादा डिटेल में जाकर दूसरों को भी खबर दे रहे हैं। ज्यादा अच्छा हो कि आप मंत्री जी को लिख कर भेज दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस प्रश्न में प्रदेश की उत्तरी सीमा पर भी लिखा है। तो उत्तरी सीमा पर, उत्तराखंड को छोड़ कर, जो प्रचार चीन का या कम्युनिस्टों का किया जाता है और सारे प्रदेश में किया जाता है उसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---भारत सरकार ने भारत सीमा सम्बन्धी चीनी पुस्तकों या लिटरेचर को जल, थल और वायु मार्गों से भारत में आना रोक दिया है और प्रकाशनों को अवैध घोषित करने पर विचार हो रहा है।

*२९--३०---**श्री अब्दुलरऊफ लारी** (जिला गोरखपुर), **श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित) तथा **श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---[चौथे बुधवार के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

दि इंडियन टरपेन्टाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली का १९५६-५७ का वार्षिक प्रतिवेदन*

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (२) के अनुसार दि इन्डियन टरपेन्टाइन ऐन्ड राजिन कम्पनी लिमिटेड,

---

*छापा नहीं गया।

बरेली के वर्ष १९५६-५७ के कार्य व कारोबार सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (Report on the working of the Indian Turpentine & Rosin Co., Ltd., for the years 1956-57) प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी है, उस पर आपत्ति करता हूं कि यह कागज कम्पनीज ऐक्ट की धारा ६३९ के अनुसार रखा जा रहा है । उसमें स्पष्ट इस बात का प्रावीजन है कि वह हर वर्ष के आखीर में रखी जायगी तो यह १९५६-५७ का वार्षिक विवरण इस समय हमारे सामने क्यों रखा जा रहा है? यह मुहकमा माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से है अतः उनके विभाग की ओर से ही यह गलती हुई है और मेरी समझ से यह सदन के साथ न्याय नहीं हुआ है । इन सब बातों पर विचार करने के लिये मैं आपका और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---क्या इस पर माननीय मुख्य मंत्री कुछ प्रकाश डालेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त इस बारे में कोई खास प्रकाश मैं नहीं डाल सकता हूं कि बाद की रिपोर्ट्स देना सम्भव है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष---हो सकता है लेटेस्ट रिपोर्ट यही है ।

इन्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली का १९५६-५७ का वार्षिक प्रतिवेदन†

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (२) के अनुसार दि इण्डिन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली के वर्ष १९५६-५७ के कार्य व कारोबार सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (Report on the working of the Indian Bobbin Co., Ltd., for the years 1956-57).) प्रस्तुत करता हूं ।

मेसर्स माडर्न मेटल इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, रामपुर की वार्षिक रिपोर्ट†

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (२) के अनुसार मेसर्स माडर्न मेटल इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, रामपुर की वर्ष १९५६-५७ की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक चीज जानना चाहता हूं । इस वक्त न सही बाद में । चाहे वे मुझे लिख कर भेज दें या सदन की मेज पर रख दें वह यह कि क्या इंडियन रोजिन फैक्ट्री को बाजार मूल्य से कम पर रोजिन दिया गया है । यही इसमें दिखाया गया है । अगर बाजार मूल्य पर रोजिन दिखाया जाता तो उतना नफा नहीं होता । इसके बारे में पी० ए० सी० ने भी सिफारिश की थी कि इस फैक्ट्री को बाजार मूल्य पर रोजिन दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---इस समय यह सवाल नहीं है । गेंदासिंह जी ने ठीक श्न उठाया कि वार्षिक रिपोर्ट हर साल प्रस्तुत होनी चाहिये, लेकिन यह तीन साल के बाद आयी है । तो इस विषय में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी जानकारी हासिल करके सदन को सूचना दे दें कि यह रिपोर्ट ३-४ साल के बाद क्यों आयी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापे नहीं गये ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, बरेली फैक्ट्री में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं इसलिये उस पर बहस के लिये कोई दिन मुकर्रर हो जाय ताकि शंकाओं का समाधान हो जाय।

श्री अध्यक्ष---पहले आप उस रिपोर्ट को पढ़ तो लें। अगर उसमें ऐसी बातें हों जिन पर एक दिन बहस करना उचित न हो तो उसका तरीका यह होना चाहिये कि नेता विरोधीदल इस तरह की प्रार्थना नेता सदन से करें और उनसे बातचीत कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके लिये दिन मुकर्रर हो सकता है। कोई चीज किसी की तबियत में आयी और उसका सुझाव दे दिया, इसके बजाय नेता विरोधीदल की ओर से सुझाव आये तो उसमें वजन भी ज्यादा हो जाता है।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा---मैं सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २५ जुलाई, १९६० की बैठक में श्री अलगूराय शास्त्री, सभापति संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि ३० नवम्बर, १९६० तक बढ़ा दी जाय, परिषद् की प्रक्रिया नियमावली के नियम ९६ के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है।

प्रतिनिहित विधायन समिति में विधान परिषद् द्वारा मनोनीत सदस्य

श्री अध्यक्ष---एक दूसरी सूचना और है जो छपी नहीं है, लेकिन वह विधान परिषद् से आयी है, उसे विधान सभा के सचिव सदन को देंगे।

सचिव, विधान सभा---मैं सदन को सूचित करता हूं कि दिनांक २९ जुलाई, १९६० की बैठक में विधान परिषद् ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया---

> "यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा के इस प्रस्ताव से सहमत है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६०-६१) में कार्य करने के लिये सभापति, विधान परिषद ४(चार) विधान परिषद् के सदस्य मनोनीत करके भेजने का कष्ट करें।"

तदनुसार श्री सभापति, विधान परिषद् ने उक्त समिति पर कार्य करने के लिये विधान परिषद् के निम्नलिखित ४(चार) सदस्यों को मनोनीत किया है---

(१) श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़,
(२) श्री ठाकुरहरगोविन्द सिंह,
(३) श्री बनवारीलाल,
(४) श्री निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी।

बुन्देलखंड में लेवी स्कीम के अन्तर्गत लाल गेहूं का मूल्य कम निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---मेरे पास कई कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी आये हैं जो बिलकुल अवैध हैं और कई स्पष्ट नहीं हैं, इसलिये उनको तो मैंने अस्वीकृत कर दिया है। अब नियम ५२ के

अनुसार कई प्रश्न मेरे पास आये हैं, उनमें से श्री गोविन्दनारायण तिवारी का प्रश्न मैं ले रहा हूं जो इस प्रकार है--

"सरकार ने लैवी स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में गेहूं का मूल्य निश्चित किया है जिसके फलस्वरूप बुन्देलखंड में पैदा होने वाले कठिया (लाल) गेहूं का मूल्य केवल १३ रुपये प्रति मन रखा है और पिसिया (सफेद) गेहूं का मूल्य १५ रुपये मन निश्चित किया है, यद्यपि लाल गेहूं सफेद गेहूं से अधिक स्वादिष्ट तथा पौष्टिक होता है। बुन्देलखंड में गेहूं बुन्देलखंड की आवश्यकता से अधिक होता है परन्तु बुन्देलखंड के किसान अपने गेहूं को बुन्देलखंड के बाहर नहीं ले जा सकते, जिसके फलस्वरूप उनका गेहूं बाजार में बहुत सस्ता बिकता है। इन विषमताओं के कारण बुन्देलखंड के लाखों किसानों की आर्थिक हानि हो रही है। बुन्देलखंड के किसानों के हित में यह आवश्यक है कि लाल गेहूं का मूल्य सफेद गेहूं के समान निर्धारित किया जावे अथवा उसे लेवी स्कीम तथा सीमा बन्धन से मुक्त किया जावे।"

तो इस तरह की चीज है और उन्होंने सुझाव भी दिया है। इस संबंध में खाद्य मंत्री (श्री नरेंद्रसिंह विष्ट से) कब वक्तव्य देंगे।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में अभी काफी सूचना नहीं है इसलिये कुछ समय और दे दिया जाय। इसके लिये सोमवार रख दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, आप इस पर सोमवार को वक्तव्य देंगे।

श्री भजनलाल द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

श्री भजनलाल (जिला इटावा)--श्रीमन्, नियम ५२ के अन्तर्गत मेरा भी प्रश्न था। जिस समय मैं १ अगस्त, १९६० को इटावा से घर वापस जा रहा था....

श्री अध्यक्ष--एक ही तो लिया जा सकता है।

श्री भजनलाल--मेरा यह प्रश्न इसलिये अहमियत रखता है कि जिस बस से मैं जा रहा था उसमें एक्सिडेंट हो गया जिससे मेरी तर्जनी उंगली में चोट आयी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर-इटावा रूट पर ट्रक्स इतनी तेज रफ्तार से चलायी जाती हैं जिससे आये दिन इस तरह के एक्सिडेंट्स होते रहते हैं और अब तक न मालूम कितनी मौतें हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष--लेकिन इस समय यह सवाल यहां नहीं है।

श्री भजनलाल--श्रीमन्, अगर मैं मर जाता तब तो यहां से शोक प्रस्ताव पास होकर परिवार वालों तक पहुंच जाता, लेकिन जब बच गया तो इस तरह ध्यान न देना कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष--आप स्वयं बच गये, इसकी खुशी मनाइये।

श्री भजनलाल--वह तो ठीक है, लेकिन उस रूट पर ट्रक्स चलाने की रफ्तार जो फी घंटा ४०-५० मील की होती है, इस तरफ माननीय परिवहन मंत्री को ध्यान देना चाहिये और इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिये। मेरी तर्जनी उंगली में इतनी चोट लग गयी कि मैं खून से लथपथ हो गया।

बैठक के स्थगन के सम्बन्ध मेंजानकारी

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि १२ तारीख के बाद सदन कब बैठेगा। १८,१९ को बैठेगा या बन्द रहेगा क्योंकि १८,१९ के लिये दो दिन के लिये सब को आने जाने की असुविधा होगी और इस तरह से सरकार का खर्चा काफी बढ़ जायगा। इसलिये मेरा तो यही सुझाव है कि सदन १२ तारीख को फिर बैठे।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मैं तो हमेशा माननीय सदस्यों की बातों को मानने की कोशिश करता हूं। लिहाजा इस बात को भी मैं स्वीकार कर लेता हूं जैसा कि सब लोग चाहते हैं कि १२ तारीख के बाद सदन २२ तारीख को ही बैठे।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता था कि ८ तारीख को सदन सोमवार के दिन श्रावणी के कारण बन्द रहेगा या बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष---तारीख ८ के बारे में तो कोई प्रश्न नहीं है, उस दिन तो सदन बैठेगा ही।

श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)---हमारी पार्टी की तरफ से कुछ संशोधन दिये गये थे कुछ मेरे नाम से थे कुछ श्री बालकराम के नाम से थे, लेकिन वह एजेंडे में छपे नहीं हैं, इसका क्या कारण है ? मैंने साथ ही साथ परसों २ बजे दिये थे।

श्री अध्यक्ष---किस खण्ड में थे आप के संशोधन ?

श्री रूम सिंह---खण्ड ४ में।

श्री अध्यक्ष---देख लिया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---यदि इस समय अध्यक्ष महोदय, दस दिन के लिये सदन बन्द होगा तो दिक्कत यह होगी कि इधर तो छुट्टी हो जायगी, लेकिन बुआई के वक्त अगर उधर सेशन चला तो हम घर नहीं पहुंच पायेंगे। अच्छा हो कि इधर सेशन चाहे रात दिन चले, लेकिन बुवाई के समय क्वार में जरूर बन्द रहना चाहिये, उस वक्त खेती के हित में आवश्यक है हमें फुरसत दी जाय।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो कह दिया कि जो सदन की इच्छा है उसी की वह पूर्ति करना चाहेंगे। आप नेता विरोधी दल की इच्छा को तो नहीं पूछते, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---श्रीमन्, जहांतक विधान सभा की छुट्टी की बात है, इसकी बैठकें कम से कम हों, इस बात का मैं उसूली तौर पर और अमली तौर पर कायल हूं। जितनी ही कम छुट्टियां हों और हम ज्यादा बैठें उतना ही बेहतर है। लेकिन राय तो माननीय सदस्यों की है अगर वह चाहते हैं कि कम दिन बैठें और ज्यादा दिन छुट्टी मनायें तो जाहिर है कि विरोधी दल के नेता की हैसियत से मैं उसमें आपत्ति करना उचित नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष---तो आप छुट्टी वालों के साथ ही हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव न लिये जाने पर आपत्ति

श्री वंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कामरोको प्रस्ताव है उसको आप जरा पढ़ तो देते, उस पर विचार करना....

श्री अध्यक्ष---वह निश्चित नहीं था, उसमें न समय है न तारीख है।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैंने सब लिख दिया है, वह सब ठीक है। जरा आप देख तो लें, ऐसे कामरोको प्रस्तावों को ठुकरा देंगे तो हम कहां जायेंगे, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि मिसलें गायब हो रही हैं और आप सुनते ही नहीं तो फिर क्या इंसाफ हो रहा है।

८ अगस्त को रक्षाबन्धन की छुट्टी की प्रार्थना

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, श्रावणी का बड़ा भारी त्योहार होता है। मेरा सुझाव है कि ८ तारीख को रक्षा बंधन की छुट्टी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप मुख्य मंत्री जी के दरवाजे पर अनशन कीजिये तभी काम होगा।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९
खण्ड ३ (क्रमागत*)

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मैं कल करीब-करीब खत्म कर चुका था।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—उन्हें खत्म कर लेने दीजिये। उसके बाद आप कहें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे अब कुछ और नहीं कहना है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, इस के पृष्ठ ४४ पर आप कृपा कर देखें, इसमें लिखा है श्री हुकुमसिंह विसेन ने निम्नलिखित संशोधन पेश किया—

खण्ड ३ की मद (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(ट) 'अतिरिक्त भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है कि जो किसी व्यक्ति के पास उसके संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो तथा इसके अन्तर्गत उस पर विद्यमान इमारतें, कुयें और वृक्ष भी होंगे ...."

इसी प्रकार खण्ड ३ के उपखंड (क) में जो अतिरिक्त भूमि की परिभाषा की भाषा लिखी हुई है। तो यह दोनों भिन्न हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब हाउस ने एक बिल सेलेक्ट कमेटी में दे दिया तो सेलेक्ट कमेटी से जिस तरह से पास हुआ....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप प्रोसीडिंग पढ़ रहे हैं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—उक्त संशोधन स्वीकार हुआ।

श्री अध्यक्ष—फिर उसके बाद ५९ पेज पर देखें तो फिर से उसको रिवाइज कर दिया गया। इस तरह से तो कमेटियों में होता रहता है, एक दफा एक खण्ड पास कर लिया फिर उसको रिवाइज कर दिया, यह तो होता ही रहता है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—मगर जो संशोधन स्वीकृत हो गया था वह तो पेज ४४ पर है। फिर फरदर डिस्कशन उस संशोधन का समाप्त हो गया.....

श्री अध्यक्ष—नहीं नहीं, खण्ड ३ जो है वह सफा ५८ पर दिया हुआ है और सफा ५९ तक चला गया है और उस तरह का स्वीकृत हुआ। "खण्ड ३ से पुनः विचार आरम्भ

---

*४ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से।

[श्री अध्यक्ष]

हुआ और निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुये ।" यह सफा ५८ पर दिया हुआ है। अतः आपकी आपत्ति उचित नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ङ) में पहली पंक्ति में ....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मुझे तो जवाब देना था।

श्री अध्यक्ष—क्या अब तक जवाब किसी ने नहीं दिया ?

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर आप (श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी से) पहले जवाब दें।

अब ऐसा है आगे स्पीड बढ़ाने के लिये २, ३ मिनट का ही जवाब दीजियेगा। आप कितना ही तर्क करेंगे, लेकिन नतीजा जो होने वाला है वह तो आपको मालूम ही है।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—जी हां, मालूम है मगर हमारा कर्तव्य है कि एक दफा जरूर कह दें। मैं तो चाहता था कि मंत्री जी कुछ रोशनी डालते मगर उन्होंने अधिक नहीं कहा। अतः फिर एक बार कहूंगा कि जब यांत्रिक फार्म को आप मान्यता देते हैं तो आवश्यक हो जाता है कि उसकी परिभाषा ठीक से हो और जहां तीन साल लगातार ट्रैक्टर की खेती रखी गयी है तो यह किसी माने में उचित नहीं होगा। अगर किसी धारक ने दो साल पहले खेती शुरू की हो तो उसकी खेती यांत्रिक न मानी जायेगी।

इस पर जिन साथियों ने विचार प्रकट किये उसमें सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन पर है। वह कहते हैं कि "निजी ट्रैक्टर" रख दिया जाय। हमारे साथी सहकारिता के बहुत भारी हामी है और वह चाहते हैं कि साझे की खेती हो। ऐसी अवस्था में २,४ लोगों ने एक ट्रैक्टर रख लिया, बारी बारी से काम लिया तो यह सहकारिता की खेती उनके हिसाब से जो बहुत अच्छी चीज है उसमें बाधा पड़ जायगी। लिहाजा हमारा संशोधन मंजूर किया जाय और गेंदासिंह जी का संशोधन नामंजूर किया जाय।

*श्री गेंदासिंह—पहले मैं राजा साहब को विश्वास दिलाने की कोशिश करूं। यद्यपि जैसे ठाकुर साहब पर उधर भरोसा नहीं है वैसे ही राजा साहब पर इधर भरोसा नहीं है। जहां तक सहकारिता की बात राजा साहब ने कही सहकारिता ऐसी चीज नहीं है कि कोई हजार २ हजार एकड़ वाले या ५,१० एकड़ वाले का काम्बीनेशन बन जाय। वह हो नहीं सकता। अगर छोटे छोटे किसान एक साथ हो कर ट्रैक्टर खरीद लेते हैं तो इसमें तो हमको ऐसा लगता है कि ८० एकड़ तक के किसान को हम छुयेंगे नहीं। ऐसे लोग ट्रैक्टर खरीद कर एक साथ अपनी खेती कर लेते हैं तो कोई संबंध इससे नहीं है कि उन की खेती निकल जाय। राजा साहब मेरी बात जरा गौर से सुनें। कोआपरेटिव के नाम पर बिलकुल जरूरत इस बात की नहीं है। रही सरकार की बात तो यांत्रिक फार्म में उसकी परिभाषा देख लें :—

"यंत्रकृत फार्म" का तात्पर्य उस जोत से है जिस पर, इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक से पूर्व लगातार तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक मुख्यतया ट्रैक्टर द्वारा खेती की गई हो;

यह बिलकुल १६ आने ट्रैक्टर नहीं है, यह मुख्यतया है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो दूसरों तक के ट्रैक्टर किराये पर ले कर खेती करते हों। तो अगर इसमें यह बात जोड़ी जाती है यंत्रकृत फार्म की तो उस पर अलग विचार किया जायेगा। यंत्रकृत फार्म के नाम पर तीन वर्ष तक खेती की गयी है, इसका बड़ा दुरुपयोग होने वाला है। ट्रैक्टर से खेती इस पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीन वर्ष तक हुई थी ट्रैक्टर वाले से एक रसीद लेनी होगी कि हमने इतना किराया दिया और इतनी जमीन जोती। उसमें फिर मुकदमेबाजी हो। सीलिंग मुकर्रर करने वाले अफसर के विवेक पर है कि उस रसीद को माने या न माने। फिर कैसी रसीद हो? रजिस्ट्रीशुदा हो या इकन्नी वाले टिकट पर हो। यह एक ऐसा झगड़ा और हो जाता है जिसका अन्त शायद कहीं नहीं होगा और उस मुकदमेबाजी का फैसला करने वाला कौन होगा, वह इकन्नी वाली रसीद सही रसीद है या गलत रसीद है।

तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि जमीन नहीं निकलेगी। उसमें कोई भ्रम नहीं है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बड़ा लाइफलेस डिबेट है। जब लाइफलेस बिल है तो जानदार डिबेट कैसे हो सकता है। यह बेमतलब का विधेयक है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हार्मलेस और सरकार के लिये झंझट से बरी करने वाला जो हमारा संशोधन है उसे मंजूर कर लिया जाय, इससे इस विधेयक की खूबसूरती भी नहीं बिगड़ती है। माननीय मंत्री जी इस पर सोच कर इसे स्वीकार कर लें।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान खण्ड २४ और ३४ की ओर आकर्षित किया था तो उन्होंने बताया कि इसमें may है, हम जिसको चाहेंगे, देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे, उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे। सदन में अभी थोड़े दिन हुये बताया गया था कि ए० डी० ओ० के लिये बी० ए० की क्वालिफिकेशन है मगर हाई स्कूल फेल भी रख लिये जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं है। तो ऐसी सूरत में खण्ड २४ का तो वह पूरा पूरा फायदा उठायेंगे। इसी के साथ ही साथ खण्ड ३४ में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी अगर स्वीकार कर ले कि होल्डर को मिल जानी चाहिये, तो उसके लिये shall का प्रयोग किया गया है। लिहाजा वह उसको मिल ही जायगी। एक चीज और है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कौन होगी। वह मिसलेनियस में आ रहा है कि रेंट फिक्स किया जायगा। पुराने ऐक्ट के अनुसार मालूम पड़ता है कि एस० डी० ओ० क्षेत्रीय अधिकारी होता था। तो सारी पावर उस क्षेत्रीय अधिकारी को दी जायगी या कोई और अधिकारी नियुक्त किया जायगा। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हाकिम इलाके के बराबर का होगा। तो उसके पास बड़े बड़े फार्म होल्डर्स अपनी सिफारिश पहुंचायेंगे और भ्रष्टाचार का एक जरिया और खुल जायगा। इसलिये मेरा मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस खण्ड को निकाल दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हिम्मतसिंह की जो दलील है उसको शायद वही समझे हों और दूसरा कोई समझ नहीं सकता। कम से कम मैं नहीं समझा, माननीय गेंदासिंह ने समझा हो या न समझा हो।

श्री अध्यक्ष—तो फिर आप जवाब क्या देंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लेकिन जितना मैं थोड़ा बहुत समझ पाया उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। वह कहते हैं कि यह खण्ड निकाल दिया जाय, यानी मेकेनाइज्ड फार्म की डेफीनीशन निकाल दी जाय। इसको अगर हम निकाल देते हैं तो आगे जो हमने मेकेनाइज्ड फार्म के अल्फाज इस्तेमाल किये हैं उससे क्या समझा जायगा?

श्री हिम्मतसिंह—प्रिएम्बिल में तो है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रिएम्बिल से नहीं पता चलेगा। प्रिएम्बिल के माने कुछ दूसरे हैं। हर विधेयक में जो नये शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं उनकी डेफीनीशन की जाती है। इस वजह से हम "मेकेनाइज्ड फार्म" को डेफाइन करना चाहते हैं क्योंकि धारा २४ में हमने उसे रखा है।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

हमारे मित्र गेंदासिंह जी ने कहा कि लोग फर्जी रसीदें पेश कर देंगे कि किराये के ट्रैक्टर से हमने जुतवाया और वह मान ली जायंगी। हम समझते हैं कि कोई फर्जी रसीद नहीं पेश करेगा क्योंकि रसीद जो पेश करेगा वह तो यही साबित करने के लिये पेश करेगा कि मेकेनाइज्ड फार्म है और मेकेनाइज्ड फार्म के लिये दफा २४ में हमने रख दिया है कि सीलिंग के बाद जो सरप्लस लैन्ड मेकेनाइज्ड फार्म की होगी वह स्टेट फार्म डिक्लेयर कर दिया जायगा। तो कोई गलतफहमी गेंदासिंह जी और हमारे बीच में है। हम मेकेनाइज्ड फार्म को सीलिंग से बरी थोड़े ही कर रहे हैं, उन पर सीलिंग तो होगी ही। अगर हम उन पर सीलिंग न करते तो फर्जी रसीदें पेश करने से फायदा हो सकता था। तो ऐसी सूरत में इसकी कोई गुंजायश ही नहीं। ऐसा एप्रीहेंशन निर्मूल दिखाई पड़ता है। जिस समय वह निजी ट्रैक्टर पेश करेगा या किराये का लेकर पेश करेगा तो उसका मेकेनाइज्ड फार्म हो जायेगा और धारा २४ में जो उसकी सरप्लस लैण्ड होगी उसको स्टेट फार्म डिक्लेयर करने वाले हैं, इसलिये वह सीलिंग से नहीं बच सकता है। राजा साहब के संशोधन के खिलाफ मुझे यह कहना है कि इससे मैकेनाइज्ड फार्मों का स्कोप कम हो जायगा। बहुत से लोगों ने २० अगस्त के बाद से ट्रैक्टर्स बेच दिये हैं, अगर उनकी तरमीम मान लेते हैं तो जो पहले मैकेनाइज्ड फार्म्स थे वह इससे निकल जायंगे और दफा २४ में जो स्टेट फार्म्स डिक्लेयर करने वाले हैं उसका एरिया कम हो जायगा।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की सीलिंग से कितनी जमीन मंत्री जी प्राप्त कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह तो बता चुके कि आप जब इसको पास कर देंगे तब वह अंदाज लगायेंगे।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---ऐसे बोगस बिल के पास होने में कोई संदेह नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब श्रीमन्, बोगस का हम क्या जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखण्ड (ङ) में पहली पंक्ति में शब्द "है" के बाद के सब शब्द हटा दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "जिसके धारक के पास २० अगस्त, १९५९ या उससे पहले तक ट्रैक्टर हो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखंड (ङ) के शब्द "ट्रैक्टर" के पहले शब्द "निजी" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखण्ड (ङ) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ के उस खण्ड (ज) के अन्त में "किया गया हो" के आगे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

"और जो राजपत्रित अधिकारी हो"।

मान्यवर, इस उपखंड में "नियत प्राधिकार" की व्याख्या की गई है कि "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो तदर्थ उल्लखित किये जायें इस अधिनियम के अधीन "नियत प्राधिकारी" के कृत्य करने के लिये अधिकृत किया गया हो "उसके आगे यह शब्द और बढ़ा दिये

जांय कि "और जो राज पत्रित अधिकारी हो" । इस संशोधन के रखने की मेरी मंशा यह है कि कम से कम इस जिम्मदार काम के लिये एक राज-पत्रित अधिकारी होना आवश्यक है । यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसमें अधिकारी को बड़ा भारी अधिकार दिया गया है । इसी विधेयक के खंड ९ में कि वह निश्चित करेगा कि आया किसको ४० एकड़, किसको ६० एकड़, किसको ९० एकड़ और किसको १०० एकड़ भूमि दी जाय । जब इतना बड़ा अधिकार दिया जा रहा है तो वह अधिकार नायब तहसीलदार या कानूनगो न हो बल्कि कोई गजटेड आफिसर से काम न हो । यों तो श्रीमान्, मैं निवेदन करूंगा कि गजटेड अफसर भी आजकल भ्रष्टाचार से बरी नहीं हैं । मैं अपने जिले की एक मिसाल आपकी आज्ञा से पेश करना चाहूंगा। मेरे जिले में एक तहसील पुवायां है । इसमें अधिकांश भूमि ऐसी थी जो जमींदारी उन्मूलन होने से पहले काश्त में नहीं थी । जब पाकिस्तान का बटवारा होने पर सिक्ख जाति के लोग पंजाब से आये तो उन्होंने उस भूमि का जमींदारों से पट्टा लिया और ट्रैक्टरों द्वारा खेती के काबिल बनाया । उनके फार्म १००, २०० और ३०० एकड़ तक के थे । जब गत वर्ष हमारी सरकार द्वारा यह आज्ञा दी गयी कि २० अगस्त, १९५९ के बाद को लिखा-पढ़ी होगी, वैध नहीं मानी जायेगी । मैं दावे के साथ कहता हूं कि तहसील पुवांयां की कम से कम २० हजार एकड़ जमीन २० अगस्त, १९५९ के पश्चात् परिवर्तित हो गयी और अब वहां पर किसी भी खातेदार के पास ४० एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं रह गयी है । उस समय जो वहां एक गजटेड अफिसर थे, एस० डी० एम० उनके द्वारा न जाने किस आधार पर बटवारे के मुकदमे पिछली तारीखों में दायर कर लिये गये । २० अगस्त, १९५९ के बाद मुकदमे दायर हुए और उनकी तारीख २० अगस्त से पहले की डाल दी गयी और उनका निर्णय १९५९ के अन्त तक किया गया । इस प्रकार गजटेड आफिसर भी भ्रष्टाचार से परे नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप यह अधिकार नान-गजटेड आफिसर लोगों को देते हैं तो निश्चय ही इसका बड़ा दुरुपयोग होगा इसलिए वह नियत अधिकारी कम से कम गजटेड आफिसर हो, इस संशोधन को माननीय मंत्री जी मानने की कृपा करें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र की बातें सुनीं। मैं तो बड़ा परेशान हुआ । एक तरफ वह कहते हैं कि गजटेड आफिसर से कम न हो । दूसरी तरफ कहते हैं कि गजटेड आफिसर भी काबिल ऐतबार नहीं हैं । जहां तक हमारे विधेयक का संबंध है प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नाट बिलो दि रैंक आफ एस० डी० ओ० होगा । एस० डी० ओ० गजटेड आफिसर होता है । हमारा तरीका यह रहा है कि नायब तहसीलदार या कानूनगो, जैसा कि हमारे मित्र के दिल में खयाल है वह प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी नहीं होगा । जहां तक स्पेसिफिक केसेज का ताल्लुक है वह हमको तहरीर करके दे दें। हम इनक्वायरी कराऐंगे और अगर मुजरिम साबित होगा तो सख्त से सख्त सजा देंगे । लेकिन जहां तक तरमीम का ताल्लुक है उसमें हमारे मित्र को खुद ही विश्वास नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके कहने के अनुसार गजटेड आफिसर भी काबिले ऐतबार नहीं है । इसलिये गजटेड आफिसर भी काबिले ऐतबार नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इसकी मुखालिफत करता हूं ।

***श्री गोविन्द नारायण तिवारी**—अध्यक्ष महोदय, भारतीय जी ने जो संशोधन पेश किया है उसके खिलाफ माननीय मंत्री जी की दलील यह है कि उनका संशोधन बड़ा इनकांसिस्टेंट है । एक तरफ आप कहते हैं कि गजटेड आफिसर बना दिया जाय। दूसरी तरफ आप गजेटेड आफिसर की शिकायत भी करते हैं । मेरा निवेदन यह है कि यह बात भी सही है कि गजेटेड आफिसर नान गजेटेड आफिसर के मुकाबले में ज्यादा रिलायबिल होता है । लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर आपने एस० डी० ओ० को नियत अधिकारी बना दिया तो बिल का सारा का सारा परपज फेल हो जायगा । इस बिल के अन्तर्गत एक एक मुकदमा चाहे वह मुआवजे का हो या

---

*वक्ता नें भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

सीलिंग का हो उसमें इतनी कठिनाई होगी, जितनी कहीं नहीं हो सकती । उसके कारण ये हैं :—एक तो यह कि जो एस० डी० ओ० होते हैं उनको कुछ निश्चित दिनों तक तहसीलों में रहना पड़ता है, जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के कम्पेनसेशन का काम अब भी बाकी पड़ा है, एक निश्चित अवधि तक, कम से कम ९० दिनों तक दौरे पर रहना पड़ता है । उसका नतीजा यह होगा कि सैकड़ों आदमियों को दूर-दूर गांवों में जाना पड़ेगा । फिर उनको पड़ताल भी करनी पड़ती है । तो जो वहां जायेंगे उनको मारे-मारे एक गांव से दूसरे गांव फिरना पड़ेगा । मैं तो यह उम्मीद करता था कि जो गजेटेड आफिसर होगा उसका इस ऐक्ट के अन्तर्गत कोई आफिसर क्रियेट होगा और उसके जिम्मे यह काम दिया जायगा ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाय । वरन् अगर एस० डी० ओ० के जिम्मे या सुपुर्द किया गया तो इस बिल की जो यह मंशा है कि सीलिंग जल्द से जल्द लागू हो जाय, एस० डी० ओ० की अदालत से इस सीलिंग का नक्शा बनते बनते बड़ा टाइम लग जायगा । इसके अलावा एस० डी० ओ० के बाबत कुछ ऐसा तजुर्बा हो गया है हमारा, खासकर हमारे दुर्भाग्य से हमारे जिले जालौन में हर एस० डी० ओ० नाबालिग आता है । मैंने मंत्री जी से निवेदन भी किया था । जो आते हैं, नाबालिग, बेचारे को पता नहीं कि दाखिल खारिज का मुकदमा क्या है या और मुकदमा क्या होता है, किसी तरह का कोई तजुर्बा नहीं है । वकील लोग बहस करते हैं । वह बेचारे दूसरी तरफ देखा करते हैं, आंख से आंख नहीं मिला पाते । तो ऐसे नातजुर्बेकार आदमी जैसे आपने हमारे जिले में दे रखे हैं वैसे ही और जगह भी होंगे । ऐसे-ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर पाते, जिनके खिलाफ कलेक्टर से शिकायतें हुई हैं, वह रखे जाते हैं । माननीय मंत्री जी फरमाते हैं कि स्पेसिफिक केस हमारे पास बताइए । तीन तीन साल से स्पेसिफिक केस पड़े हुए हैं, जिले से रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है ।

मैं श्रीमन्, यह कहूंगा कि रेवेन्यू के मुकदमों की जिस कदर धांधली जिला जालौन में है उसके बारे में क्या कहा जाय ? एक दाखिल खारिज का मुकदमा था, एक बक्त उस पर बहस हुई, उसके बाद साल डेढ़ साल तक तहसीलदार उस पर रिपोर्ट ही नहीं लगा सके । एस० डी० ओ० साहब के यहां १९८ का एक मुकदमा था । साल डेढ़ साल तक चलता रहा । जब जल्दी करने को कहा गया तो एस० डी० ओ० साहब ने कहा हमारे पास गवर्नमेंट से लिखकर आ गया है, अभी तो हम इसमें तारीख डाल रहे हैं । मालूम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कुछ लिख दिया करती है जिस पर वह कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते । अभी-अभी इलाहाबाद हाइकोर्ट ने यह फैसला किया कि ११५ (सी) अल्ट्रावाइरस है । एस० डी० ओ० से जब कहा गया कि अब इसके मुकदमें निपटा दीजिए तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास गवर्नमेंट से नहीं आया । तो जब ऐसे एस० डी० ओ० हैं कि जो यह कहते हैं हाई कोर्ट से किसी प्रावीजन के अल्ट्रावाइरस डिक्लेयर हो जाने के बाद भी कि हमारे पास अभी गवर्नमेंट से नहीं आया है तो उनके लिए और क्या कहा जाय । तो इस बिल की मंशा की पूर्ति के लिए तजुर्बेकार अधिकारियों को रखा जाय और इन नाबालिग एस० डी० ओज० से नजात दी जाय ।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ा सा निवेदन करूंगा । माननीय मंत्री जी नें कहा कि "नाट बिलो दी रैंक आफ एस० डी० ओ०" हम रखेंगे । लेकिन इस धारा में कहीं भी इन शब्दों का समावेश नहीं है । अगर वह यही चाहते हैं तो कम से कम किसी रूप में उसका समावेश इसमें हो जाना चाहिये । अथवा जो संशोधन मैंने रखा है उसे आप मान लें तो वह उद्देश्य पूरा हो जाता है । एस० डी० एम्स० के खिलाफ माननीय गोविन्द-नारायण तिवारी नें जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं । ज्यादातर एस० डी० एम्स० के पास इतना ज्यादा अपने परगने के प्रबन्ध का काम होता है कि वे इस कार्य को सुचारु रूप से नहीं कर सकेंगे । और उसमें ऐसी बेउनमानियां होंगी जिनसे जनता को बहुत ही असन्तोष होगा । इसलिए बेहतर यह है कि एस० डी० एम० के अलावा किसी दूसरे गजटेड आफिसर को आप यह अधिकार दें कि वह नियत प्राधिकारी के कर्त्तव्यों को पूरा कर सके ।

मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं और वह यह कि मैंने पुवायां के एस० डी० एम० के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा था उसे लिखकर देने के लिए भी मैं तैयार हूं । मैंने लिखकर के दिये ही नहीं बल्कि यहां तक किया है कि एस० डी० एम० के खिलाफ खुद मुद्दई बनकर न्यायालयों में मुकदमें चलाये हैं । यह दूसरी बात है कि वह मुकदमें छूट गये किसी कारण से, लेकिन मैं अभी भी वह जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हूं फिर मैं उनको लिखकर दूं और माननीय मंत्री जी उसकी जांच करें परन्तु वास्तविकता तो यह है कि हमारे लिखकर देने के बाद भी कुछ होता नहीं है । उसका कुछ भी परिणाम नहीं होता है । हमको कोई आशा नहीं रह गई है कि माननीय मंत्री जी किसी एस० डी० एम० के खिलाफ कोई कदम बढ़ायेंगे जिससे जनता को शान्ति हो सके । मैं आपके द्वारा इस बात को मान लेता हूं कि अब वह इसे करेंगे और इस विषय में ध्यान देंगे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अध्यक्ष महोदय, भारतीय जी को मैं काफी यक़ीन दिलाता हूं कि अव्वल तो हमें कभी भी इन्होंने मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनको निराशा हुई लेकिन मैं कहता हूं आप लिखकर दें और इस मर्तबा हमारी परख और कर लें । उस वक्त जरूर मुनासिब कार्यवाही की जायगी ।

जहां तक गोविन्द नारायण जी को मैंने सुना, मैं इस बात का लिहाज़ करूंगा कि उनके वहां एस० डी० एम० बालिग रहे और नाबालिग न रहे । हमारे मित्र ने एक बात कही कि हाई कोर्ट ने रूल ११५--सी० को नाजायज करार दे दिया है और उसके आधार पर जो और मुकदमे हैं वह फैसल नहीं हुये हैं । मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि आया उन अदालतों के सामने हाई कोर्ट के जजमेंट की नक़ल पेश की ? अभी वह छपी नहीं है । जब तक वह उसकी नक़ल न देख लें तब तक वह उस पर अमल नहीं कर सकते ।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि सरकार के आदेश से बहुत से मुकदमे पड़े रह जाते हैं और पेश नहीं होते हैं । उनकी तारीख बढ़ जाती है । हुकुमसिंह के जमाने में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं हो सकता है और न होगा कि मैं जुडिशियल मामलों में कभी दखल दूं । मैं इसको अनुचित समझता हूं । मैं कभी दखल देता नहीं हूं । इस तरह का जो इलजाम लगाया गया है वह बिलकुल गलत है ।

इसके अलावा हमारे मित्र ने यह कहा कि एस० डी० एम० मुकदमे खत्म नहीं करते हैं और दौरे पर चले जाते हैं । यह हो सकता है कि जिस इलाके का वह दौरा करते हों, उस इलाके के लोगों के मुकदमे उस इलाके के दौरे के लिये रख देते हों ताकि लोगों को आसानी हो और वे अपने गांव के पास इजलास पर हाजिर हो सकें । इसके साथ-साथ हम यह भी देख सकते हैं कि जिस वक्त हम ऐसा करेंगे, हम यह देखेंगे कि हमारे एस० डी० एम० के पास इतना काम तो नहीं है जिसकी वजह से इस काम में कोई दिक्कत है । उनके वर्किंग लोड को हम बदल सकते हैं । रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमको यह लिखकर भेजा है कि इस सीलिंग के केसेज को हम एक साल के अन्दर तय कर देंगे । हमको पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा । इसमें किसी को खौफ खाने की बात नहीं है । इसमें देर नहीं की जायगी और हम देखेंगे कि देर न होने पाये । इन शब्दों के साथ मैं फिर कहता हूं कि वह इसको वापस लें लें । एस० डी० ओ० से नीचे का अधिकारी हम प्रेस्क्राइब्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बड़े अहम मामले होंगे । हम खुद चाहते हैं कि समझदार आदमी के सुपुर्द हम इस अहम काम को करें ताकि कोई नाजायज फायदा न उठा सके । हम पूरी तरह से पूरा ध्यान देकर चेष्टा करेंगे कि यह काम बेहतर और ठीक तरह से हो ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ को उपखंड (ज) के अन्त में "किया गया हो" के आगे निम्नलिखित जोड़ा जाय :---

"और जो राजपत्रित अधिकारी हो" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी---मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ट) के अन्त में निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जांय :---

"तथा इसके अन्तर्गत उस पर विद्यमान इमारतें, कुवें और वृक्ष भी हैं" ।

श्रीमान्, एक तो लेजिस्लेशन को समझने में, उसके इम्प्लीकेशन्स को समझने में बड़ी भारी कठिनाई यह हुआ करती है कि कहीं कोई बात अगर लिख दी गई है तो उसका कारण क्या है । यह विधेयक जो इस समय सदन के सामने है, इसमें इसके अन्तर्गत उस पर कुयें और वृक्ष भी हैं" यह लिखा गया है । यह कोई रीजनिंग नहीं है ।

मेरी शंकायें दो तीन है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उनको स्पष्ट करेंगे । मान लीजिये कि किसी सरप्लस लैंड में कोई सार्वजनिक स्थान मौजूद है, कहीं कुवां या मंदिर है, तो वह इमारत की डेफेनीशन में तो आयेगा, लेकिन वह इमारत की डेफेनीशन उस मंदिर को भी कवर करेगी या नहीं ? इसके अतिरिक्त उस भूमि पर अगर कोई सार्वजनिक कुवां है और उस पर कुछ वृक्ष हैं तो वह इसमें शामिल होंगे या नहीं ? अगर वे इसमें शामिल होते हैं तो मेरी दो आपत्तियां हैं । यह विधेयक जोत की सीमा निर्धारित करने के लिये है सम्पत्ति को नहीं और जो मंदिर तथा अन्य इमारतें होंगी जोत के बाहर, वह निजी प्रयोग में आती होगी और इसलिये वह सब इसमें नहीं रहनी चाहिये । दूसरी मेरी शंका यह है कि जैसे आपने कहा कि हम रेजीडेंशियल हाउसेज छोड़ देंगे, तो रहने के मकानों के अतिरिक्त और इमारतें कौन सी हो सकती हैं जिनको मंत्री जी सोच सकते हैं । सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से पता चला कि यह संशोधन माननीय मंत्री जी नें स्वयं पेश किया है । तो इसका मतलब क्या था ? मैं समझता हूं कि यह जो ऐड कर दिया गया है यह बिलकुल रिडेंडेंट है और इसके इस खंड में रखने की कतई आवश्यकता नहीं है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र की जो दिक्कत है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि एक तो किसी होल्डिंग में किसी मंदिर का होना बहुत कम संभव है और अगर किसी नें बना भी लिया तो हमने आगे मौका दिया है दफा ९ में, जो टेन्योर होल्डर होगा उसे हमने आप्शन का मौका दिया है । कयास यह किया जाता है कि अगर वह इतना धार्मिक है तो वह मंदिर को जरूर आप्ट करेगा । ऐसी स्थिति में तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन अगर उसका धर्म ढोंग है और उसने मंदिर को आप्ट नहीं किया तो जो मंदिर सरप्लस लैंड में आयगा उसके बारे में तो हम कह सकते हैं कि हम उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन और जो दूसरे कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, हमारे मित्र के कयास में उनकी बात नहीं आयी । मैं जालौन की बात नहीं कहता, लेकिन मुझे तमाम सूबे में जाने का मौका मिलता है । अगर खेती दूर है तो लोग वहां पठार या बालदा बना लेते हैं, मवेशियों के लिये या चारा रखने के लिये कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि दूर से हल बैल न ले जाना पड़े । तो ऐसे कंस्ट्रक्शन्स हो सकते हैं और ऐसे केसेज काफी तदाद में मिलेंगे । जहां ऐसे कंस्ट्रक्शन्स हों वहां खुदा न खास्ता उसने उनको नहीं चुना तो वह सरप्लस लैंड में चले जायेंगे । तो जब वह सरप्लस लैंड में चला जायेगा और उसमें मकान बने हुयें हैं, तो उसका क्या असर होगा ? अगर हमने तय किया कि वह सरप्लस लैंड माननीय गेंदासिंह जी को दे दें, तो वह जमीन तो ही गयी माननीय गेंदासिंह जी की, और अगर उसमें मकान बना हुआ है माननीय तिवारी जी का, तो फिर उनमें झगड़ा होगा, या नहीं होगा ? उनमें झगड़ा होगा, मुकदमेंबाजी चलेगी । इसलिये हमने इस बात को अपने बिल में रखा है जो बिलकुल ठीक है और इसका रहना जरूरी है । हमने बहुत सोच समझ कर इसको रखा है । आप यह न समझें कि आपने तरमीम पेश की है, इसलिये हम नहीं मान रहे हैं ।

अभी परसों भी एक ऐसी ही तरमीम पेश कर दी गयी थी जो बिलकुल एबसर्ड थी जिसके कोई मानी नहीं निकलते थे । जब मैं काउन्सिल हाऊस के बाहर पहुँचा तो मैंने तिवारी जी से पूछा कि भाई आपकी तरमीम तो गलत थी, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हां गलत थी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो वें काउन्सिल हाउस के बाहर तो स्वीकार करते हैं कि उनकी तरमीम गलत थी, लेकिन वे उसको यहां सदन में बैठ कर स्वीकार नहीं कर सकते । हमें विश्वास है वे हमारी बात को यहां न सही, बाहर जाकर अवश्य स्वीकार करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपने नौजवान मित्र से आग्रह करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करे ।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत संशोधन का जिसे माननीय तिवारी जो ने पेश किया है विरोध करता हूं । यह बड़ा मिस्चीवस अमेंडमेंट है । श्रीमान्, हमने जमींदारी उन्मूलन के समय भी अनुभव किया, जिन लोगों का उन्मूलन हुआ उन्होंने भी विशेष तौर से अनुभव किया कि उनको जो इमारतें थीं उनका जब सरकार ने उन्मूलन किया तो किस तरह से आप इनको रोक सकते हैं । उसका नतीजा क्या हुआ था, वह जमीन बियाबान हो गयी, वह मकान अपने आप गिर गये । इसका नतीजा भी यही होगा इस संशोधन को मान लिया जाता है तो । आज हमसे अगर कहा जाय कि हम कोई सा ४० एकड़ का टुकड़ा ले लें, तो हम जो घर से निकट होगा उसको रखेंगे । अब आप देखें,...

(इस समय १२ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, पीठासीन हुए ।)

जैसा कि माननीय मंत्री जो ने भी कहा, जहां पर खेती बारी होती है वहां उसके लिये पूरी व्यवस्था रखनी होती है । अधिष्ठाता महोदय, आप अगर विचार करें तो दूर की भूमि अगर हम छोड़ दें तो इसके मानी यह होंगे कि जो कन्सट्रक्शन हमारा उस जमीन पर है,जो मकान बना हुआ है, कुवां इत्यादि है, वह हमें छोड़ना तो पड़ेगा ही लेकिन उसके साथ हमें एक पैसा मुआवजा का भी नहीं मिलेगा । तो इसके मानी तो यह होंगे कि एक तो दंड यह दिया जा रहा है कि उसकी भूमि ली जा रही है और फिर मुआवजा नाम मात्र का दिया जा रहा है । फिर आप देखें श्रीमान्, कि अगर उसने वहां पर अपनी खेती की उन्नति के लिये कोई सुधार किये हैं, उसने वहां पर कोई साधन बनाये हैं तो वह बिना मुआवजा के जब्त हो जायेंगे और उसके एवज में उसे कोई चीज न मिलेगी । लिहाजा मैं यह चाहता हूं कि यह जो विधेयक में रखा गया है यह बहुत न्याय-संगत है । अगर आप किसी की जायदाद लेते हैं तो पूरी जायदाद लीजिये । बाद को अगर सरकार किसी को देना चाहेगी उसको दे देगी और उपयोगिता उसकी समझेगी तो सरकार उसी को दे देगी या सरकार अपने प्रयोग में लायेगी । उसको जबरदस्ती खातेंदार से, धारक से छीन लेना किसी माने में उचित न होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इस संशोधन को स्वीकार न करे ।

*श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को बेकार बनाने की बहुत कोशिश की। उद्देश्य तो रखा कि भूमिहीनों को जमीन देंगे, लेकिन छूट इतनी दे दी है बड़ी-बड़ी जायदाद वालों को कि बहुत कम जमीन मिलेगी। इस खंड को बढ़ा कर तो बहुत ही अनर्थ किया है, क्योंकि मैंने कई जिलों में देखा है कि काश्तकार अक्सर अपने मकान अपने खेतों में बना देते हैं, कुएं भी बना लेते हैं। इस तरीके से एक एक खेत सौ-सौ बीघे, डेढ़-डेढ़ सौ बीघे, ५०-५० एकड़ का है। अधिष्ठाता महोदय देखना चाहें तो अलीगढ, बुलन्दशहर, एटा, इटावा में ऐसी बहुत सी जगहें हैं कि एक मकान एक गांव में है और एक जोत में बना रखा है। तो इससे बहुत सी जमीन निकल जायगी, उनके खाते में अतिरिक्त मानी जायगी। इसलिए मैं तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह संशोधन को मंजूर कर लें।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन गोविन्द-नारायण तिवारी जी ने पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। उसमें सवाल यह है कि जब आप किसी की जायदाद ले रहे हैं तो उसकी अतिरिक्त भूमि में जो और चीजें खड़ी हुई हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

जैसा कि राजा साहब ने बताया कि हमारी तरफ तो नहीं हैं लेकिन इटावा में, और जगह जो फार्म पर फार्म हाउसेज बने हुए हैं, कुएं खुदवाये हुए हैं, बड़े-बड़े मन्दिर भी हैं तो जिस तरह से जमींदारी एबालीशन में यह हुआ था कि पड़ी रह कर वह चीजें खराब हो गयीं, मन्दिर गिर गये, मकान बरबाद हो गये तो यहां भी वही चीज होगी कि वह कुएं इत्यादि बरबाद हो जायंगे और उससे कोई लाभ नहीं होगा। कोई बहुत बड़ी जमीन नहीं है जिस पर वह कब्जा किए हुए हैं। जो हमारे मित्र का संशोधन है कि बहुत सी जमीन बच जायगी और रह जायगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो रह जायगी उसका मुआवजा सरकार देगी और वह चाहे तो काश्त कर सकता है, लेकिन उसको कोई मकान का दाम न मिले, वैसे ही चला जाय, यह तो मैं समझता हूं सरासर अन्याय होगा और शायद हमारे प्रस्तावक महोदय को इस बात का ध्यान न रहा होगा। अतः वह इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी---अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुःख है कि मंत्री महोदय शायद लंच के लिए चले गये। मंत्री महोदय ने अपनी दलीलें दीं तो श्रीमन्, जो लाजिक के विद्यार्थी है वह यह जानते हैं कि लाजिक में एक फैलेसी होती है 'आर्गूमेंटम-ऐड बेकुलम" (Argumentum-ad-Baculum)। यानी अगर कोई किसी को उठा कर पटक दे तो उसकी ताकत तो साबित हो जायगी मगर उसकी बुद्धि उससे सिद्ध नहीं होती। तो इस वजह से कि चूंकि आपकी मैजारिटी है, आपकी बात सत्य है और हम माइनारिटी में हैं इसलिए हमारी बात गलत है, यह बात दूसरी है। वैसे मंत्री महोदय का जो आर्गूमेंट हुआ वह बिल्कुल कांट्रेडिक्टरी है। मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि ऐसा भी होता है कि मन्दिर भी हैं और कोई ऐसे सज्जन होंगे जिन्होंने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर एक मन्दिर बनवाया, तब तो जब वह आफ्शन लेंगे तो वह जमीन अपनी सीलिंग में ले लेंगे।

अगर कोई ऐसे मन्दिर होंगे तो वह उनको मेनटेन करेंगे। हाउस में तो उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया कि मन्दिर को मेनटेन करेंगे, लेकिन वह डिक्लेरेशन अगर माननीय हुकुमसिंह जी का पर्सनल होता तो मैं उनकी बात पर बिल्कुल यकीन कर लेता मगर चूंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से है इसलिये इसकी कहीं बिल में व्यवस्था होनी चाहिये। इस विधेयक में कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि अगर इस तरह की कोई सप्लर्स लैंड छूट कर आवेगी जिसमें कोई इमारत, मंदिर या कुवां वगैरह होगा उसकी कौन मेंटीनेन्स करेगा। इसलिये महज यह फर्मा देना कि उसको हम मेनटेन करेंगे, जब तक कि उसकी कोई व्यवस्था कानून में न हो किस प्रकार मान लिया जाय?

दूसरी बात उन्होंने यह फर्मायी कि अगर धार्मिक आदमी होगा तो उसको मेनटेन करेगा। यह बात सही है, लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि मान लीजिये किसी के बाबा ने कोई मन्दिर बनवा दिया था या किसी के पिता ने कोई मन्दिर बनवा दिया था तीन पुश्त पहले, वह तो धार्मिक थे, लेकिन जो दूसरी जेनरेशन के लोग हुये वह बिल्कुल अधार्मिक हो गये और जब आफ्शन का सवाल पैदा हो गया तो सबसे पहले वह यह करेंगे कि इस प्रकार के सार्वजनिक स्थान, कामन प्रापर्टी को हटा दो। तो फिर नतीजा क्या होगा? कल हमारे राजा साहब फैजाबाद ने फर्माया था कि वह जमींदार बेवकूफ रहे होंगे जिन्होंने अपनी सारी की सारी जमीन का इन्तजाम नहीं कर लिया होगा। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जितनी जमीन सेव कर पायेंगे करेंगे और इस प्रकार का मन्दिर वगैरह जिसमें कि लायबिलिटी हो उसको कहेंगे कि इसमें खर्चा होगा, इसको छोड़ दो। जब वह छोड़ देंगे तो फिर वह सर्प्लस लैंड में आयेगी और वह बर्बाद हो जायगी क्योंकि उसके लिये बिल में कोई प्रावीजन नहीं है। माननीय मंत्री जी ने यह भी फर्माया कि चाहे बुन्देलखंड में न होता हो, लेकिन और जगहों पर उन्होंने देखा है कि अगर किसी का ४० एकड़ का फार्म होगा तो उसी में वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानवरों के बांधने और रहने वगैरह का प्रबन्ध कर लेता है, यह सब ज्यादा से ज्यादा एक एकड़ में होगा और उसके फार्म में ही होगा। मंत्री जी ने फर्माया कि ऐसी कंटिन्जेन्सी ज्यादा आने की नहीं है। मंत्री जी ने एक बात और फर्माई उसके लिये मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करना चाहता, आइन्दा किसी और मौके पर कहूंगा। यहां पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे इस प्राबीजन में उनकी दलीलें किसी भी प्रकार से फिट नहीं होतीं। उन्होंने यह भी फर्माया कि जमीन किसी दूसरे की हो जायगी और मकान उसी का रहेगा। जहां तक मेरे इस अमेंडमेंट का सवाल है इसमें वह प्रश्न पैदा ही नहीं होता। मालूम होता है मंत्री जी इस सीलिंग के बिल को सार्थक नहीं होने देना चाहते।

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)—मान्यवर, न्याय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के तर्कों का उत्तर दे दिया था परन्तु जैसा उन्होंने इस सदन में संशय प्रकट किया था कि माननीय सदस्य मंत्री जी की बात को सदन के अन्दर स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन बाहर उनकी बात को मानते हैं, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण में उसी संशय की पुष्टि की है। यह बहुत ही स्पष्ट है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसी स्थिति हमारे इस प्रदेश के अनेक गांवों में देखी जाती है। कुछ ऐसे काश्तकार भी हैं जिनके पास खेत अपने गांव के अलावा दूसरे गांवों में भी हैं और पाही काश्त करते हैं। बाहर के गांवों में वे अपनी सुविधा के लिये छोटे-छोटे कांस्ट्रक्शन्स कर लेते हैं, मवेशियों के चारा रखने के लिये, नौकर चाकरों के लिये और अगर वहां बूदबाश भी होती है तो कुआं भी बना लेते हैं, मवेशियों को पानी पिलाने के लिये और सिचाई के लिये। ऐसा भी देखने में आता है कि अगर उस खाते से अधिकार निकल भी जाय तो उसका अधिकार उस इमारत और कुएं, पेड़ आदि पर बना रहता है और वह उसकी निजी संपत्ति समझी जाती है। इसलिए यदि इसको परिभाषा में शामिल न किया जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि यदि कोई धारक उस भूमि को जो उसके गांव से दूर है सरेंडर कर देता है, जैसा कि जमींदारी एबोलीशन के समय देखा गया कि जमींदारों ने दूर की अपनी जमीनों को छोड़ दिया और दूर के गांवों में जो इमारतें बना रखी थीं उनको भी छोड़ दिया।

इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने उदाहरण देकर बताया था कि उसकी जमीन किसी को दी गयी तो वहां पर स्थित कुएं, पेड़ और इमारत पर असली धारक का अधिकार होगा, ऐसी हालत में दोनों में झगड़ा होगा। ऐसी हालत में ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी वस्तुओं को भी अधिकार में ले लिया जाय और उसके लिये उसको उचित मुआवजा दिया जाय। इसलिये अगर इन शब्दों को परिभाषा में नहीं रखेंगे तो ऐसा करना संभव नहीं होगा। इन शब्दों को रख कर संयुक्त प्रवर समिति ने एक कमी को ही पूरा किया है। मैं आशा करता हूं कि संशोधन रखने वाले महानुभाव इसकी आवश्यकता को महसूस करेंगे नहीं तो सदन पुनर्विचार करके उसे अवश्य स्वीकार करेगा और माननीय सदस्य के संशोधन को अस्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता—अब इस पर वोटिंग २ बजे के बाद होगी। दूसरा संशोधन माननीय राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी का है वे उसको पेश करेंगे।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं। इसके बाद माननीय रामलखन मिश्र जी का संशोधन है और शायद सरकार उसको अवश्य स्वीकार करेगी। ऐसा होने पर उसका सारा रूप ही बदल जायगा, इसलिये अगर पहले वे अपना संशोधन रख दें तो आसानी हो जायगी।

खंड ४

"४—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी खातेदार के सम्बन्ध मे प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य मे उसकी जोत की समस्त भूमि पर विचार करके की जायगी, चाहे वह भूमि उसके पास उसके ही नाम से हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से ।

(२) (क) एक खातेदार का अधिकतम क्षेत्र अच्छे प्रकार की भूमि के चालीस एकड़ का होगा,

(ख) यदि खातेदार के परिवार मे पांच से अधिक सदस्य हों तो ऐसे खातेदार का अधिकतम क्षेत्र खंड (क) मे उल्लिखित क्षेत्र और इसके अतिरिक्त, परिवार के पाँच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये अच्छी प्रकार की भूमि के आठ एकड़ अधिक का होगा, किन्तु उक्त अतिरिक्त सदस्यों के कारण अनुमत अतिरिक्त क्षेत्र ऐसी भूमि के चौबीस एकड़ से अधिक न होगी,

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी समय परिवार के सदस्यों की संख्या पांच से अधिक न रह जाय तो वह समस्त भूमि जो खातेदार के पास खंड (क) के अधीन अधिकतम क्षेत्र से अधिक होगी, अतिरिक्त भूमि के रूप मे व्यवहारित की जाने योग्य होगी।

स्पष्टीकरण---इस उपधारा के अधीन अच्छे प्रकार की भूमि से भिन्न भूमि के सम्बन्ध में अधिकतम क्षेत्र की गणना करने में, ऐसी भूमि के डेढ़ एकड़, जिसकी मौरूसी दर चार रुपये प्रति एकड़ से अधिक, किन्तु छः रुपये प्रति एकड़ से अधिक न हो, तथा ऐसी भूमि के दो एकड़, जिसकी मौरूसी दर चार रुपये प्रति एकड़ या उससे कम हो, अच्छे प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर समझे जायंगे।"

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा इस महत्वपूर्ण संशोधन को इस सीलिंग विधेयक के ऊपर प्रस्तुत करता हूं जिसका स्वरूप इस प्रकार है---

खंड ४ के वर्तमान खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"४---(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी खातेदार के सम्बन्ध मे प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में स्थित किसी ऐसी जोत की समस्त भूमि पर विचार करके की जायगी जो उसके अपने अधिकार से उसके पास हो, चाहे वह उसके अपने नाम मे हो अथवा प्रकट रूप मे किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो।"

यह स्वरूप बहुत सरल है और एक दिशा की ओर संकेत करता है, यद्यपि इसकी धाराओं पर गहराई से सोचना पड़ेगा और इसके पीछे एक इतिहास यह है कि सीलिंग विधेयक के प्रस्तुत होने पर या इस सम्बन्ध मे बुद्धिमान व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त होने पर सबने तो नहीं, पर ऐसी शंका है कि कुछ ने दुरुस्ती जमाबन्दी मुकदमा करने के लिये अथवा डिक्लेयरेटरी सूट्स में अथवा बहुत ईमानदारी से अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने के कारण से व किसी न किसी तरीके से उस सम्पत्ति को दूसरे के नाम मे दर्ज करा दिया है, लेकिन है वास्तव में वह उन्हीं के अधिकार में, उन्हीं के कब्जे में है। केवल पेपर ट्रांजेक्शन है यानी केवल कागजी घोड़ा दौड़ाया गया है। तो इस तरह की कोई छूट इस विधेयक के द्वारा किसी को नहीं मिलनी चाहिये और इस विधेयक में कोई ऐसी योजना होनी चाहिये, कोई ऐसी धारा होनी चाहिये जिससे कि ब्लैक-मार्केटियर्स पकड़ मे आ जावे। ब्लैक मार्केटियर शब्द का प्रयोग यहां मैंने किसी दूसरे अर्थ में नहीं किया है। मैंने उस शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया है जिसमें उन्होंने विधान के तमाम नियमों की मंशा के विपरीत कागजात मे इन्दराजात करा लिया है। स्पष्टतः जब नियम बनेंगे तो नियम से हमको विशेष सहायता मिलेगी। यद्यपि नियम ही उसके सही परिचायक होंगे और वही उसकी गणना करेंगे यानी पकड़ में ला सकेंगे क्योंकि इससे वैध जानकारी हो जाती है। एक बार हम पहले कह चुके हैं कि परिवार में वे व्यक्ति हैं जिनका नाम पृथक इन्दराज है तथा उसका टेन्योर पृथक होगा। तो यह संशोधन उन लोगों पर लागू होगा जो इस विधान की मंशा के विपरीत केवल इस विधेयक के उद्देश्य को निर्जीव बनाने के दृष्टिकोण से कागजात में अपना नाम दर्ज कराये हैं या कराना चाहते हैं। जो

फर्जी तरीके की चीज करना चाहते हैं वे हमारी पकड़ में आ जावें इसका क्या तरीका होगा, किस तरीके से इसकी जांच होगी, कैसे कार्य-रूप में परिणत होगा, इसके लिये जब नियम साकार रूप में माननीय सदन द्वारा बनाये जायं तो इस धारा पर जिस समय नियम आवें, उस समय हमारी दृष्टि बिल्कुल शनिश्चर की दृष्टि की तरह से पड़नी चाहिये जिससे कि सही तरीके से इस संशोधन को प्रस्तुत करने का जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। वर्ना फिर बैसे तो विचार नियमतः विधान सभा में होता ही है परन्तु प्रजातन्त्र प्रणाली में विचार करने वाले व्यक्ति दूसरे होते हैं और यहां के निर्णयों को कार्यान्वित करने वाली मेशीनरी दूसरी होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि विचारक हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं और कार्य करने वाले लोगों की दिशायें बदल जाती हैं यद्यपि उनको एक ऊपर की पालिसी गाइड करती है परन्तु जो राज्य कर्मचारी होते हैं कभी-कभी उनमें ऐसा सन्निपात होता है कि अनेक किस्म के झंझावात चलने लगते हैं। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूं कि इस प्रकार की चीज चलती है।

मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सारे विधेयक की दिशा को ही बदलने वाला है और हमें बलपूर्वक ऐसे संशोधन को स्वीकार करना चाहिए। अगर इसको स्वीकार न किया गया तो वही होगा जो कारनामे माननीय सदस्यों के नेत्रों के सामने तमाम प्रदेश में हुये हैं। मेरी ऐसी जानकारी है कि १-१ रुपये के स्टाम्प सौ-सौ रुपये देकर खरीदा गया है और बयनामे लिखाये गये हैं और ४ मास के नियम के अनुसार किसी तरह से सीमित करके वह लाये गये हैं। इस तरह से अनेक दुराचार हुये हैं, नैतिक दुराचार नहीं वरन् सीलिंग ऐक्ट के उद्देश्य का निराकरण करने के दुराचार। मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जब उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण बदलता है और वह अर्थ संचालित या सांसारिक जगत में विचरण करता है तो उसकी एक लिप्सा और कामना बनती है कि वह पुत्र, पौत्र आदि के लिये सम्पत्ति की अर्जन करे, उसकी रक्षा करे और उस दशा में वह उचित-अनुचित सभी उपायों का बलपूर्वक प्रयोग करता है और ऐसे तमाम कार्य भी करता है कि जो उसे नहीं करने चाहिये और उसे उन बलवती शक्तियों के सामने झुकना पड़ता है। इसलिये जब हम सीमा निर्धारण कर रहे हैं तो इसका निश्चय होना चाहिये कि इसकी सीमा क्या हो, इसकी परिधि क्या हो, इस प्रकार की रचना हमें करना पड़ती है। मेरा विश्वास है कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में भी है और हर ऐक्ट मे हम हर तरह की ऐसी आशंकाओं के लिये, उनका निराकरण करने के लिये ३ धारा हम रखते हैं। इसी तरह से हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी धारा १५१ का निर्माण किया है जिसका मतलब यह है कि जहां कोई आज्ञा लागू न होती हो तो वहां वह लागू हो जाती है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता---वह तो अच्छी तरह से कह रहे हैं, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है वह समझने की कोशिश करें।

श्री रामलखन मिश्र---मैं निवेदन कर रहा था कि इतना बड़ा कानून क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसका हवाला हम हर जगह देते हैं उसके अन्दर भी धारा १५१ का निर्माण करना पड़ा इसलिये कि जहां कोई नियम लागू न होता हो और कहीं ऐसा आवश्यक अवसर आ जाय तो इस धारा का उपयोग कर लिया जाय। इस प्रदेश में सभी जानते हैं कि जब से इस ऐक्ट की आवाज आई है तब से सीलिंग के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों ने ला को डिफाई करने के लिये क्या-क्या काम किये हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है। हमारे यहां स्वामी रामतीर्थ जी एक उच्च कोटि के सन्यासी हो चुके हैं, जिनके ज्ञान पर आज हम संसार के सामने गर्व करते हैं और जिनके उच्च आदर्श से हम अपने को कृतकृत्य समझते हैं। उन्होंने कहा था कि..."

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---श्रीमन्, मेरा एक व्यावस्था का प्रश्न है कि यह संशोधन में शब्द "प्रकट" है या "प्रगट" है। इसके अर्थ हम नहीं जानते, जरा बता दिया जाय कि यह क्या शब्द सही है।

श्री अधिष्ठाता---शुद्ध रूप "प्रकट" है।

श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह---मतलब 'प्रगट' से ही है ?

श्री अधिष्ठाता---जी हां। आप को मालूम होना चाहिये कि वह पंडित आदमी हैं।

श्री रामलखन मिश्र---मान्यवर, मैं इसका आशय समझता हूँ। इस संशोधन से चोट जरूर लगती होगी और विशेषकर सम्पत्तिधारियों को जिनके सामने यह प्रश्न है। मैं चाहता हूँ उनको दुखी न करूं, लेकिन हमारे पथ में एक ऐसा कंटक था जिसके द्वारा विवश होकर इस धारा का निर्माण करना पड़ा और एक ऐसा अधिकार लेना चाहते हैं जो स्पष्ट रूप से, उसकी शब्दावली का अर्थ यह है प्रकट रूप से अंग्रेजी में जिसे "ओसडेंसिबली" कहते हैं। माल के कागजात में किसी के नाम दर्ज हों इसके अन्दर यह भाव छिपा हुआ है कि उस पर उसका कब्जा होना चाहिये। जमीन्दारी एबालीशन ऐक्ट का स्पष्ट मूल विधान है कि हर आदमी खेत जोत सकता है, जुता नहीं सकता है। ऐसे विचार अब नहीं रह गये हैं कि नाम किसी का दर्ज हो और दूसरे से जुताये। जब हम कहते हैं कि किसी के नाम दर्ज हो और उसको हम पृथक टैन्योर होल्डर मानते हैं तो अर्थ यह होता है कि वह स्वयं अपने अधिकार से जोतता है और दूसरा उसके नाम से नहीं जोतता है। इस विधेयक के उद्देश्य को निराकरण करने की दृष्टि से अपने परिवार वालों के नाम से दर्ज कर दिया, लेकिन वास्तव में सही तरीके से वही काम करता हो, केवल आंखों में धूल झोंकने की दृष्टि से ऐसी चीज करता हो तो इस विधेयक के अन्दर कोई ऐसी धारा होनी चाहिये जिससे ऐसे आदमी पकड़े जा सकें। आशा करता हूँ जो मैं कह रहा हूं मन्त्री जी उस पर विचार करेंगे। इतने बड़े जमीन्दारी एबालीशन ऐक्ट के अन्तर्गत उन्होंने ऐसी धारायें रखी हैं जिससे किसी प्रकार की दुविधा न हो। उनके सामने से एक इतिहास गुजरा है तो जैसा मैंने कहा कोई न कोई धारा का ऐसा स्वरूप होगा जिससे पेपर ट्रांजेक्शन करने वाले को सावधान होना पड़ेगा और वह भी पकड़ के अन्तर्गत आ जायगा। इसी उद्देश्य से यह संशोधन दिया है। अतः मैं चाहूंगा कि यह उद्देश्य पूरक संशोधन है जिसे सदन स्वीकार करे। और अगर इसको निकाल दिया जाय तो हम केवल एक यन्त्र के स्वरूप हो जायेंगे और पेपर ट्रांजेक्शन करने वालों के रास्ते हमारी पकड़ में नहीं आयेंगे। मैं जानता हूं इस संशोधन को स्वीकार करने पर प्रदेश में एक भूकम्प आ जायगा, उनमें जिन लोगों ने इसके उद्देश्यों के विपरीत काम किया है। विधान काशसत्री बनना चाहिये। इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि काशश लेजिस्लेशन करने वाले सदैव कामयाब होते हैं और हमारे पूज्य माल मन्त्री जी इसमें बहुत ही सफलीभूत हैं। इसलिये मेरे इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता---इस पर एक संशोधन माननीय गेंदासिंह जी का है। माननीय गेंदासिंह जी अपना संशोधन पेश करें।

*श्री गेंदासिंह---यह जो संशोधन आया है इसमें मैं दो तीन शब्द निकाल देना चाहता हूँ। जहां "प्रकट रूप में" लिखा हुआ है उसको निकाल दिया जाय। बाकी सब वही रहेगा। मिश्र जी ने इस पर काफी रोशनी डाल दी है और अगर इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया जायगा जैसा उन्होंने कहा है सचमुच भूकम्प आ जायगा, तो भूकम्प नहीं आना चाहिये। भूकम्प आया तो सबको तकलीफ होगी। "प्रकट रूप में" निकाल देना इसलिये चाहता हूं कि पहले से जो प्रवर समिति ने क्लाज रखा है वह यों है "इस अधिनियम के उपबन्धों के रहते हुये, किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खातेदार के सम्बन्ध में अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में उसकी जोत की समस्त भूमि पर विचार करके की जायगी, चाहे वह भूमि उसके पास उसके ही नाम से हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से ।" इसका चाहे कुछ भी परिष्कृत रूप हो जाय लेकिन एक मेटीरियल डिफरेंस इसमें पड़ता है, वह केवल इन अल्फाज के लाने से "प्रकट रूप में" । परिवार का छिपा हुआ रूप और प्रकट रूप यह मैं समझने में असमर्थ हूं । माननीय मिश्र जी ने इस पर कोई रोशनी नहीं डाली कि यह प्रकट रूप में लिखने का क्या मतलब है । राजा साहब ने इस तरफ संकेत किया क्यों प्रकट रूप में बदल दिया । प्रवर समिति ने जिस प्रकार रखा है उसमें इस प्रकट रूप से लिखने से क्या इम्प्रूवमेंट होता है । क्या कोई जमीन ज्यादा मिलने की सम्भावना है । सीलिंग का नाम सुन कर जमीन को लोगों ने गलत तरीके से हस्तांतरित किया है । तो बात तो मिश्र जी ने ठीक कही । लेकिन प्रकट रूप में लिख देने से बात उलट जाती है । कोई छिपा हुआ सदस्य भी परिवार में हो सकता है, उसके नाम से जमीन हो, तो उसकी गणना नहीं होगी । कुछ साफ तो इस बात को करना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—बड़ी अच्छी तरह से साफ किया कि मान लीजिये फर्जी नाम इन्दराज है या फर्जी बैनामा है, वही सब प्रत्यक्ष रूप में वह रह रहे थे ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन, बैनामा और उन सब चीजों की बात तो और हो गई । प्रकट रूप से परिवार के सदस्यों के लिये कैसे बात साफ हुई, यह बात समझ में नहीं आई । हां, मोटी-बात समझ में आती है कि परिवार के दो चार प्रकार के सदस्य माने जायेंगे, प्रकट रूप में और अप्रकट रूप में । अप्रकट रूप में अगर कोई परिवार का सदस्य होगा और उसके नाम से प्रदेश के किसी कोने में अगर जमीन होगी तो जब हम अधिकतम जोत सीमा निर्धारित करने लगेंगे उसकी गणना उसमें नहीं करेंगे । अब छिपे हुये और प्रकट की कोई परिभाषा तो इसमें है नहीं । इसलिये सिवाय इसके कि एक कन्फ्यूजन पैदा हो और कुछ नहीं । जो जमीन मिलने वाली है इससे वह भी नहीं मिलेगी । इसलिये मैं पहली बात तो यह कहूंगा कि यह संशोधन इस विधेयक के भीतर बैठता नहीं है, इसको आपको ही अस्वीकार कर देना चाहिये । यह संशोधन सारे विधेयक के मंशा के खिलाफ जा रहा है और इस क्लाज को किसी हालत में उस रूप में रहने नहीं दे रहा है । लेकिन मैं उधर भी अपील करूंगा माननीय मिश्र जी से कि यह संशोधन कोई राहत पहुंचाने वाला नहीं है बल्कि सेलेक्ट कमेटी में जो कुछ थोड़ी बहुत गुञ्जाइश रह गयी है उसको भी खत्म करके अगर कोई जमीन निकलने वाली हो भी तो उसको भी नहीं निकलने देगा । इसलिये अगर आप ही इसे अस्वीकार कर दें तो बड़ा अच्छा हो नहीं तो माननीय मिश्र जी ने जो भाषण दिया है उसको देखते हुये मैं समझता हूं कि उनको इसे वापस ले लेना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय राघवेंद्र प्रतापसिंह जी, आप भी अपना संशोधन पेश कर दीजिये ।

***श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह**—मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय रामलखन मिश्र के संशोधन की पंक्ति ४ में जो यह शब्द हैं "चाहे वह उसके अपने नाम में हो अथवा प्रकट रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो" निकाल दिये जायं ।

हमारा संशोधन तो प्रकट है क्योंकि जैसा आगे कहा गया है और मन्त्री जी ने भी धारा ३ पर बोलते हुये कहा था कि सदस्य के परिवार में कोई भी सदस्य हो तो उसको अधिकार होता है खासकर हिन्दू ला में, कुछ जायदाद रखने का । तो अगर उसके नाम से कोई लिखी पढ़ी जायदाद हो तो उसको इसमें शामिल करना बड़ा अन्याय होगा ।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन माननीय रामलखन जी के संशोधन से मालूम होता है कि अगर वह फर्जी हो, इस वास्ते उन्होंने प्रकट रूप से लिखा है तब तो वह शामिल कर ली जायगी और अगर नहीं है तो वह शामिल नहीं की जायगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---मैं तो कहता हूँ कि यह शब्द ही निकाल दिये जांय। मैंने रामलखन जी के संशोधन में ही संशोधन पेश किया है। जो ९--ग एजेंडे में मेरा छपा हुआ है वह अभी मैंने पेश नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---जी हां, वह अभी नहीं लिया जा रहा है।

***श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)---अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामलखन मिश्र के संशोधन का मैं विरोध करता हूँ, लेकिन अगर भूकम्प आने वाला हो और सब उलट-पलट जाने वाला हो तो मैं अपने विरोध को वापस ले लूं। तो हम ऐसा विरोध करना नहीं चाहते हैं और उन्होंने अपने संशोधन के तर्क में यह बतलाया कि यह बिल निर्जीव था और उसमें कोई जान नहीं थी, बिलकुल मरणासन्न था, इसलिये हम इसमें इंजेक्शन लगा रहे हैं। श्रीमन, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह बिल निर्जीव था तो इसमें जान आना ही मुश्किल है। इससे भ्रमात्मक बातें फैल जाने का अंदेशा है और जो संशोधन राजा साहब ने पेश किया है, वह उचित है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं और रामलखन जी मिश्र तथा गेंदासिंह जी के संशोधनों का विरोध करता हूं। अगर माननीय रामलखन जी मिश्र का संशोधन मान लिया जाय तो इतनी बात निश्चित है कि एक वर्ग को बड़ा भारी लाभ हो जायगा जैसे वकील और ख्तार मौकें पर जाकर डैफिनीशन समझायेंगे।

श्री अधिष्ठाता---तो वह गोविन्दनारायण जी की दोस्ती का हक निभा रहे हैं।

श्री बलदेवसिंह---जी हां, और वह स्वयं भुक्तभोगी हैं इसीसे निभा रहे हैं कि किसी तरह से जाल में फंसे और वह इंजेक्शन लगायें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमन, जाल में फंसने का लफ्ज अच्छा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---आप वापस ले लें।

श्री बलदेवसिंह---अगर मंत्री जी को क्लेश होता हो तो मैं हजार बार वापस ले लूं लेकिन अगर वह मिश्र जी से कहते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अधिष्ठाता---उन्होंने जाल शब्द नहीं कहा।

श्री बलदेवसिंह---श्रीमन, उन्होंने मरणासन्न कहा था और उसी से मेरा मतलब था। मैं कह रहा था कि इतने लिटिगेशन्स होंगे कि लोग तबाह होंगे। इसलिये मैं रामलखन मिश्र जी और गेंदासिंह जी के संशोधनों का विरोध करता हूं और राजा साहब के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको मान लेने की कृपा करेंगे।

***श्री रूमसिंह**---अधिष्ठाता महोदय, रामलखन मिश्र जी ने जो संशोधन पेश किया है उसमें जो संशोधन गेंदासिंह जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। अगर यह स्वीकार होता है तो जो उद्देश्य मंत्री जी का भूमिहीनों को भूमि देने का है वह पूरा होता है और इस बिल में जान आ जायगी और बिल का मंशा भी पूरा होगा वरना चुनाव का बिल समझा जायगा। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजा साहब ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और रामलखन जी तथा गेंदासिंह जी के संशोधनों का विरोध करता हूँ। कई दिनों से इस पर विवाद चल रहा है उससे इस सदन के अधिकांश सदस्यों का यह विचार मालूम होता है कि इस विधेयक में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसके कारण बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, फोरजरी होगी, मैलाफाइडीट्रांसफर्स होंगे और अनेक बातें होंगी। इसके कारण नैतिक स्तर भी गिरेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बात सही है और मैंने भी मन्त्री जी से निवेदन किया था माननीय मुख्य मन्त्री से भी निवेदन किया था । इस बिल को लाने का यह मन्शा है कि भूमि का सम-वितरण हो । मैं यह निवेदन कर रहा था कि अच्छा था कि इस बिल को लाया ही न जाता क्योंकि जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमारे बड़े–बड़े फार्मर्स ने देश का बड़ा हित किया है, मैं उनका बड़ा आभार मानता हूं इस मामले में कि उन्होंने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया, तो यह बिल लाकर क्या उनके प्रति अन्याय नहीं किया जा रहा है, क्या उनके साथ कृतघ्नता नहीं की जा रही है जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है और जिससे सब को बचना चाहिये । इसलिये मैं इस बात को पुनः दुहराऊंगा कि इस बिल को कदापि न लागू किया जाय । अगर लागू किया जाता है तो प्रदेश के कम से कम भाग में लागू किया जाय। यह एक तथ्य है कि परिवार में प्रत्येक सदस्य का हिस्सा होता है, सेंसस में भी आपने उस सदस्य की गणना करके यह निर्धारित किया कि प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से इतनी भूमि मिल सकती है। उसके हिसाब से आपने यह जोत सीमा बिल बनाया है तो फिर किस कारणवश उस सदस्य के हक को आप मार लेना चाहते हैं ? आप ने ८ सदस्यों तक का प्राविजन किया है, अगर उससे ऊपर सदस्य होंगे तो उनको कुछ नहीं देंगे । अगर आप उनका हक न मारते, और कह देते कि उस परिवार में जितने व्यक्ति होंगे, चाहे वह हिन्दू धर्म का हो या मुसल्मान धर्म का, हो जो कानून उसके लिये लागू हो, जैसे हिन्दुओं के लिये मिताक्षरा और मुसल्मानों के मुसलिम कानून उसके अनुसार जो हक उसका परिवार में होता है, उसके अनुसार प्रत्येक को ४० एकड़ भूमि प्राप्त करने का हक होगा, तब तो मैं समझता हूं कि आप का बिल न्यायपूर्ण होता और इसमें जो दोष मालाफाइडी कार्यों का है वह भी दूर हो जाता । इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि ऐसी बातों का ले आना जिससे किसी का हक समाप्त हो जाता एक अन्याय है । ऐसा कोई भी बिल लाना और पास करवाना बहुमत के आधार पर, किसी भी प्रकार से देश के लिये हितावह नहीं है और जनहित में नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं, राजा साहब ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका समर्थन करता हूँ ।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी––अधिष्ठाता महोदय, रामलखन जी मिश्र ने इस विधेयक की बाबत अपनी जो भावना व्यक्त की है सचमुच में उसका बड़ा आदर करता हूं । गेंदासिंह जी ने जो उस पर संशोधन दिया है, उससे उनके उद्देश्य की अक्षरशः पूर्ति हो जाती है ।

श्रीमन, आज ५ तारीख है । कितने आश्चर्य की बात है कि वह भूमिहीन लोग जो उधर बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, जो अपने को शेड्यूल कास्ट्स कहा करते हैं, जो जमीन के बटवारे की आवाज बुलन्द किया करते हैं, जब जमीन के बटवारे का सवाल आता है, जब शेड्यूल कास्ट्स को जमीन देने का सवाल आता है, जब उसके लिये विधान बनाने जा रहे हैं, तो वे बिल्कुल साइलेंट हैं । ऐसा मालूम होता है कि वह इस विधेयक का बाईकाट कर रहे हैं । वह समझ रहे हैं कि इस विधेयक के जरिये कुछ मिलने वाला नहीं है । लिहाजा जितने दिन उस पर बहस हो उसमें हिस्सा न लिया जाय । यह बड़ा पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है इस डिस्कशन का जो इस सदन में इतने दिनों से देखने को मिल रहा है ।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के खंडों में, चाहे जितने रीजनेबिल अमेंडमेंड दिये गये हमारे मन्त्री महोदय ने सब अस्वीकार कर दिये । जैसे जैसे डेवलप्मेन्ट होता चला आता है, उसके हिसाब से यह बिल्कुल साबित होता जाता है कि वह बड़ी रीजनेबिल बात को मानने के लिये तैयार नहीं जिससे भूमि का सही मानो में बटवारा हो । इसमें जो रामलखन जी के संशोधन में दिये गये हैं, "प्रकट रूप में" तो उसकी व्याख्या रामलखन जी ने स्वयं नहीं की । अगर यह "प्रकट रूप में" शब्द रहेंगे तो उसमें एक बड़ा भारी दोष रहेगा । इस लिये यह इसमें से निकाल दीजिए इस माने में कि जहां परिवार की परिभाषा दी गई है वहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

पर दिया गया है कि निबन्धित या कार्यान्वित पारिवारिक समझौता। तो जो कार्यान्वित पारिवारिक समझौता होगा उसमें यह जरूरी नहीं है कि खसरे में या खतौनी में वह नाम लिखा जाय। और "प्रकट रूप में" का केवल यह मतलब है कि जिसका प्रत्यक्ष रूप से कहीं इन्द्राज हो गया हो, ऐसे इन्दराज को वह सीलिंग को डिटरमिन करते वक्त परिवार के डिटरमिनेशन में मानेगें। इससे बचने के लिये जैसे चोरबाजारी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वह बड़ा सही लफ्ज है। वह एक लीगल फ्राड जरूर है और वह यह है कि अगर "प्रकट रूप में" रह जायगा तो इण्टरप्रिटेशन उसका यह होगा कि कागजात पटवारी में इन्दराज नहीं हुआ तो वह रूप प्रकट नहीं हुआ। मगर इसमें जो अप्रकट रूप है वह परिवार की जो परिभाषा दी गई है उसके हिसाब से बिना रजिस्टरशुदा फैमिली होगी उसमें वह यह कह सकेंगे कि यह पारिवारिक समझौता कार्यान्वित हो गया है, इसलिये इसको छोड़ दिया जाय। इसलिये माननीय गेंदासिंह जी ने जो संशोधन अपना पेश किया है कि "प्रकट रूप में" लफ्ज निकाल दिये जायं, मेरा विश्वास है कि अगर माननीय रामलखन जी गेंदासिंह जी के संशोधन को भी स्वीकार कर लें तो उनका संशोधन जो बड़ा बच्चा सा मालूम देता है वह बिलकुल युवा सा दिखाई देगा और उससे उनकी मंशा की पूर्ति हो जायगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। यहां पर २८७ के करीब कांग्रेस के सदस्यों की संख्या है, उसमें से १० यहां बैठे हुए हैं। कल भी मैंने ध्यान आकर्षित किया था, तब आपने कहा था कि गवर्नमेन्ट को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। तो यह देखा जाय कि २८७ में १२ आदमी उधर बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि २८७ वह हैं और १४४ अपोजीशन के हैं। तो प्रोपोर्शन यह होना चाहिये कि ३० आदमी वहां के रहें और १४ इधर के रहें।

श्री अधिष्ठाता---माननीय प्रतापसिंह जी ने कल भी यह प्रश्न उठाया था आज भी उन्होंने उठाया है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। अपना-अपना कर्त्तव्य सब जानते हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बेंचेज के लोगों को भी आकर बैठना चाहिये और भाग लेना चाहिये, लेकिन मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, इसमें जो यह कहा जा रहा है, संशोधन के सम्बन्ध में, मैं विशेष रूप से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसमें बेहद गलतफहमी पैदा हो रही है वादविवाद में और गलतफहमी यह है कि "प्रकट रूप में" रख देने से वह यह समझ रहे हैं कि एक भूकम्प या प्रलय इस उत्तर प्रदेश में आने वाला है। माननीय गेंदासिंह अपनी जगह भ्रम से पीड़ित हो रहे हैं कि अगर यह प्रकट रूप रह गया तो उनकी क्या परिस्थिति होगी जो अप्रकट है। इसमें कोई बहस के लिये अधिक गुन्जाइश नहीं है। यह दोनों संशोधन अपनी जगह पर कोई मानी नहीं रखते। श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से परिवार की परिभाषा जो दी गई है उसको पढ़ देना चाहता हूं---

"परिवार" का तात्पर्य इस प्रकार से है कि इसमें किसी जोत के धारक का तथा उसके किसी या सभी निम्नलिखित सम्बन्धियों का, जो स्वयं अपने अपने प्रथक--अधिकार में खातेदार न हों, समावेश है:"

यह खंड ४ जो है अपनी जगह पर जब कि खंड ३ में अगर कोई भी खातेदार जिसके नाम अलग इन्दराज हैं वह प्रथक खातेदार माना जाता है। तो खंड ४ का यह मन्शा है कि वे शामिल कर लिये जायं। खंड ४ तो तब आपरेटिव होती है जब कि दफा ३ के मातहत वे लोग अपने जगह पर अलग खातेदार न हों। दफा ३ में जब यह

---

*वक्ता ने भाष ण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साबित हो गया कि उसका खातेदार है तो उस हालत में दफा ४ आपरेटिव उन पर नहीं होती है यह तो उस परिवार के लिये है कि जिसमें वह स्वयं या उसके परिवार वाले का कोई अलग खाता न हो। तब उनकी सीलिंग में आप जायेंगे। उसके परिवार के जितने लोग हैं उनकी सब की जमीन है। उसका पूल अप करके आप सीलिंग करेंगे। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी मुझ से सहमत होंगे। जब कि दफा ३ में अगर किसी खातेदार के परिवार का कोई अलग खाता मान लिया गया है तो इस दफा ४ के मातहत अपने अधिकार में उसकी जमीन को आप कैसे ले लीजियेगा। वह तो उन लोगों की जमीन ली जायगी, उस परिवार की जमीन ली जायगी जिस पर अपने अधिकार से वह खुद खातेदार न हो। बस इतनी सीधी सी बात है जिस पर प्रलय आ रहा है और इतनी परेशानी है। वास्तविकता है कुछ नहीं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, खंड ४ के उपखंड (१) पर जो चर्चा हो रही है और श्री रामलखन मिश्र जी के संशोधन पर जो गेंदासिंह जी का संशोधन है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे मन्त्री जी ६० से ऊपर हो गये हैं, इस वजह से सठिया गये हैं क्योंकि जब वह जवाब देने लगते हैं तो कहते हैं कि हम किसी के हक को कैसे छीन सकते हैं। अगर कोई एक ही परिवार का आदमी अलग से सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है और उसको अपने नाम में अंकित करा लेता है तो उस पर सीलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वह तो उसका बुनियादी अधिकार है और वह अपने हक में उसको रख सकता है क्योंकि उसने अलग से उसको अर्जित किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह बिलकुल भ्रामक बात है। उधर के बैठने वाले गरीब साथी हरिजन भाई हैं, जिनको जमीन की भूख अधिक है, उनके सम्बन्ध में जब यह सीलिंग का बिल प्रवर समिति में जाने के पहले यहां पर जनरल डिस्कशन के लिये आया था, तो उधर के बैठनेवालों ने जोर से आवाज लगाई थी कि सीलिंग ४० एकड़ का नहीं होना चाहिये। १२॥ एकड़ की ही सीलिंग होनी चाहिये। लेकिन आज उनको पता नहीं है कि और न वह सोच पाते हैं कि उनको या उनके परिवार वाले भाई भतीजे को कितनी जमीन मिलने वाली है। इसकी परिभाषा में जो शब्द लिखे हैं उसके अनुसार तो यदि उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम भूमि हो, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में भी जमीन हो तो वह सीलिंग के क्षेत्र में आ जायगी लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश में यदि कोई जमीन खरीद लेता है जैसे कि नेपाल या बिहार में किसी ने जमीन खरीद ली तो उसके ऊपर आप सीलिंग कैसे करेंगे? वह तो बच जायगा। फिर यह निश्चित है कि परिवार का वह सदस्य जिसके नाम अलग खाता हो, उसको अलग नाम लेते हैं तो वह सीलिंग से बरी कर दिया जायगा। तो फिर यह मान लेना उचित नहीं है कि परिवार के दूसरे व्यक्ति के नाम जोत हो तो उसको हम सीलिंग में ले लेगें यह शब्द भ्रामक हैं। एक परिवार का व्यक्ति है, उसके नाम उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जमीन है, वह सीलिंग के क्षेत्र में कैसे आ सकती है।

अगर रामलखन जी के संशोधन को और उस पर गेंदासिंह जी का जो संशोधन है, उसको सरकार मान लेती है तो उस परिवार का व्यक्ति चाहे भाई हो या लड़की, बालिग हो या नाबालिग और चाहे उसका खाता अलग हो या मुश्तरका उसको आप हिन्दू धर्म शास्त्र के मुताबिक संयुक्त परिवार मानेंगे। जैसे पिंडदान करने की नीति है, विरासत में जायदाद पाने का राइट है, वैसे इसको संयुक्त परिवार मानें और सीलिंग करें तो संभव है कि कुछ जमीन मिल जाय। लेकिन जिस तरह से बहस चल रही है और जिस प्रकार का बिल है उस से कुछ जमीन मिलने वाली नहीं है और इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन देख कर मुझे कुछ दुविधा पैदा हो रही है और चूंकि इसमें कोई लैकुना न रह जाय इसलिये आवश्यक है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। इसमें है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

स्थिति किसी ऐसी जोत की समस्त भूमि पर विचार कर के की जायगी जो उसके अपने अधिकार से उसके पास हो, चाहे वह उसके अपने नाम में हो अथवा प्रकट रूप में अन्य किसी व्यक्ति के नाम में हो। तो उसमें डबल क्वालीफिकेशन हो गयी है। तो यह हो सकता है कि नाम उसके हो लेकिन वह जोत किसी दूसरे के कब्जे में हो ऐसी स्थिति में वह भूमि अलग मानी जायगी। यह दिक्कत हो सकती है कि ऐसे लोग दूना हक ले जायें और इस कानून में यह लैकुना रह जायगा। तो मंत्री जी इसको देख कर दुरुस्त कर लें ताकि कोई होल भी तो फिलअप हो जाय। मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई लैकुना रह जाय। राजा साहब तो चाहते हैं कि कुछ रह ही जाय ताकि उनको कुछ मिल सके। सोचने के बाद यह ठीक किया जा सकता है। विधेयक की वर्डिंग तो मैं इतनी जल्दी सोच नहीं सकता लेकिन इसे गौर किया जाय, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---कम से कम माननीय सदस्य यह तो बतला दें कि वे यह सलाह किस संशोधन के बारे में दे रहे हैं? कौन से खंड में वे माननीय मंत्री को अपनी सलाह दे रहे हैं। मंत्री जी भले ही समझे हों सदन नहीं समझ पाया।

श्री अधिष्ठाता---इसको समझने की कोशिश आप न करें। मैंने माननीय राघवेन्द्र प्रताप जी से कहा था कि उनका जो ओरिजिनल संशोधन है उसे मैं पेश करने की इजाजत दे दूंगा। वह सदन में हैं नहीं। तो अगर माननीय राम लखन जी का संशोधन मंजूर कर लिया गया तो फिर उनके संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---वह मुझ से कह गये थे कि मैं उनकी अनुपस्थिति में वह संशोधन मूव कर सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता---उनके छपे हुए संशोधन और जो बाद में उन्होंने भेजा है उन दोनों के मतलब में कोई फर्क नहीं है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, उसमें अन्तर है, अगर मुझे अर्ज करने का मौका दिया जाय तो मैं उसे बता सकता हूं कि उसमें क्या फर्क है।

मैं उसे मूव कर रहा हूं वह इस प्रकार है कि खंड ४ के उपखंड (१) के नीचे निम्नलिखित रख.....

श्री अधिष्ठाता---यह नहीं, इस समय तो यह संशोधन है कि खंड ४ के उप-खंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "जायगी" के बाद के शब्द निकाल दिये जावें। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि उनको अधिकार रहेगा मूव करने का। जो आप पढ़ना चाहते हैं वह नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन पर जैसा कि उन्होंने कहा था कि भकम्प आने वाला है तो वह तो आया नहीं। उसका रूप दूसरा था। चारों ओर से तकरीरें हुई। हमरे मित्र श्री गोविन्द नारायण तिवारी जी ने भी तकरीर की और उनकी तकरीर एक किस्म की पोलेटिकल तकरीर थी। इस तरफ के बैठने वाले हरिजन भाइयों की तरफ इशारा किया गया कि वे लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं, वोटिंग के वक्त भाग लेते हैं, सदन में उपस्थित होते हैं और हमारी मदद करते हैं, तो मैं अपने मित्रों को बता दूं कि उनके ऐसा कहने से हमारे बीच वे कोई फूट पैदा नहीं कर सकते।

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, इसमें कोई ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात कहनी है, वह बहुत छोटी बात है, लेकिन उसके मानी कुछ हैं। मैं कोई लम्बा चौड़ा बयान नहीं देना चाहता और न दूंगा। जब कोई कानून सरकार बनाती है और यह सदन बनाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि उससे, जिन पर कानून लागू होगा, उनके हुकूकों की रक्षा हो सके। यह सदन उनके हुकूकों का तहफ्फुज करना चाहता है। मैं आपको

बतलाना चाहता हूं कि ट्रान्ससेक्शन्स दो तरह के होते हैं---एक तो असली और दूसरे बयनामी। बयनामी वह होते हैं जैसे मालिक कोई होता है और वह नाम फर्जी किसी दूसरे के कर देता है। मान लीजिये कि हम बड़े आदमी हैं,मैं अपने को ही लेता हूं ताकि आप को शिकायत न हो, मिनिस्टर हैं। हमारे पास जमीन ज्यादा है। हमने अपने किसी आदमी से कहा कि भाई हमारे पास इतनी जमीन है, हम इतनी जमीन तुम्हारे नाम मुन्तकिल कर देते हैं और हमने कर दिया। तो इस तरह से उस बेचारे के नाम तो वह हो गयी, लेकिन मालिक असलियत में हम ही रहे तो ऐसे इन्दराज को बयनामी इन्दराज कहेंगे। तो इसका असर क्या होगा? इससे, उस आदमी के नाम जब हमने उसको दर्ज कर दिया तो जब उसके घर की फैमली गिनी जायेगी तो उसमें वह शामिल नहीं होगा क्योंकि he is holding tenancy in his own right जैसा कि फैमिली की डिफनीशन में दिया हुआ है---not being tenure holders in his own right तो जहां नाम फर्जी इन्दराज है वह बाहर किया जायगा। मान लीजिये कि हमारा कोई नौकर है हमने उसके नाम फर्जी दर्ज करा दिया। तो उसका नतीजा यह होगा कि अपने घर की ५ या ६ की फैमिली में उसको शुमार नहीं किया जायेगा। तो उसका हक मारा जायगा या नहीं मारा जायगा। मान लीजिये, उसके घर में ५ व्यक्ति हैं, छठा वह है। छठा वह शुमार नहीं होगा तो ८ एकड़ उसको नहीं मिलेगी। लिहाजा इसमें रामलखन जी ने जो तरमीम की है कि आर्स्टेंसिबली अगर रेकार्डेड है तो वह उसी की मानी जायगी किस की तरफ से रेकार्ड उसका हुआ, यह तात्पर्य निकलता है। इसमें हम एक बेगुनाह को बचा देते हैं, जोकि किसी दबाव में आकर उसने अपने हक में मुन्तकिल कराना मंजूर कर लिया है उसकी हकतलफी न हो, प्रगट रूप से यह अल्फाज़ बड़े जरूरी हैं। जैसा गेंदा सिंह जी ने कहा है, अगर हम निकाल दें तो इस तरमीम की पूरी मंशा खत्म हो जाती है, अहमियत खत्म हो जाती है। ब्रजनारायण तिवारी जी सोचें कि ऐसे आदमियों का नुकसान होगा और बेगुनाह को सजा देने के लिये हमें कोई कानून नहीं बनना चाहिये।

इसमें बहुत सी बातें कही गयीं कि फर्जी ट्रांजेक्शन्स हुये हैं। जैसा कि अधिष्ठाता महोदय ने खुद कहा है कि अगर हुए हैं तो वह हो चुके हैं, तो मैं उनको कांट्रैडिक्ट करना नहीं चाहता। फर्जी अगर कुछ हुए हैं तो वह खत्म हो जायंगे और उसका यह नतीजा होगा कि जितनी जमीन हमको मिलनी है, अगर इनको हम जायज मानते हैं तो उनके होते हुए जितनी मिलती उससे ज्यादा हमको मिलेगी। तो अल्टीमेटली उन भूमिहीनों का आखिर में फायदा होना है। लिहाजा रामलखन जी ने संशोधन करके जो तरमीम पेश की है मैं उसे मंजूर करता हूं।

राजासाहब ने जो तरमीम दी है वह अगर चाहें कि सारी इबारत निकाल दी जाय तो इस तरमीम का कोई अर्थ नहीं रहता, निरर्थक हो जाती है, रिडंडेंट सी हो जाती है। तो मैं राजा साहब और गेंदासिंह जी की तरमीम की मुखालिफत करता हूं और रामलखन जी की तरमीम स्वीकार करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे पास शब्द नहीं हैं जिनको प्रयोग में लाकर के मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूं। वास्तव में इस विधेयक को परिपूर्ण बनाने वाली यही धारा है जिसके अन्दर एक उपकार किया जा सकता है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उससे परस्पर विरोधी जो प्राविजन हम पहले बना आये हैं.....

राजा वीरेन्द्रशाह---प्वाइंट आफ आर्डर। हाउस में कोई मंत्री नहीं है सरकार की ओर से।

श्री अधिष्ठाता---वह बात सही कहते हैं, होना चाहिये किसी को।

कुछ सदस्य---और किसी को बना दीजिये। सदन १० मिनट के लिये स्थगित कर दीजिये।

(श्री हुकुम सिंह के आने पर।)

श्री अधिष्ठाता---वह आ गये ।

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जैसाकि मैं कह रहा था, माननीय गेंदासिंह जी का जो संशोधन है उसे यदि स्वीकार करें तो बहुत सी परस्पर विरोधी बातें खड़ी हो जायेंगी। वह बड़ा सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी है और उसमें कोई अर्थ नहीं है। इसमें "प्रकट" ही ऐसा शब्द है जो जीवन है और दिशा बतलाता है। इस कारण से उनका संशोधन मानने के योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में जब नियम बनेंगे तो माननीय सदस्यों के भ्रम दूर हो जायेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से रहेगा कि एकोनामिक ट्रान्सजैक्शन्स और दूसरी बातों का कैसे निवारण किया जाय। अधिक विस्तार में न जाकर मैं केवल इतना ही कहना चाहता था।

श्री अधिष्ठाता---मैं पहले रामलखन जी के संशोधन को आपके सामने पेश करता हूं अगर यह पास हो जायगा तो फिर माननीय गेंदासिंह और माननीय राघवेन्द्र प्रतापसिंह जी के संशोधनों को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने आप गिर जायंगे।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के वर्तमान खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"४ (१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में स्थित किसी ऐसी जोत की समस्त भूमि पर विचार करके की जायगी जो उसके अपने अधिकार से उसके पास हो, चाहे वह उसके अपने नाम में हो अथवा प्रकट रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं गोविन्द नारायण जी के संशोधन को आपके सामने रखता हूं।

श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह---मेरा संशोधन क्या इसके बाद में आयेगा ?

श्री अधिष्ठाता---वह तो खत्म हो गया, अवधेशप्रताप जी ने कहा था कि पेश नहीं करना चाहते।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---उसके आगे भी मेरा संशोधन है।

खण्ड ३ (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता---अभी तो मैं खंड ३ ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ट) के अन्त में निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं---

"तथा इसके अन्तर्गत उस पर विद्यमान इमारतें, कुयें और वृक्ष भी हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४ (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता---(श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह से) अब आप ९-घ पेश कर सकते हैं।

श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह---श्रीमन्, इसी में तो रामलखन मिश्र जी का संशोधन स्वीकार हुआ है।

श्री अधिष्ठाता---जी हां, हुआ है। जिस समय मैंने आप से कहा था उस वक्त आपका संशोधन था ९-घ, जिसे अवधेशप्रतापसिंह जी ने कहा कि मैं पेश नहीं करना चाहता हूं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---बहुत अच्छा। ९-घ मैं पेश करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ (१) के नीचे निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार के साथ उसके परिवार के किसी सदस्य की भूमि की गणना उस दशा में नहीं की जायगी, यदि भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो, या जब २० अगस्त, १९५९ से पूर्व निबन्धित या कार्यान्वित किसी पारिवारिक समझौते के अधीन अथवा २० अगस्त, १९५९ को विचाराधीन किसी वाद में, या उक्त दिनांक के पूर्व पारित न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा उसका पृथक अंश घोषित कर दिया गया है, या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १२-ख के अधीन उसे पृथक अंश दिया गया हो अथवा उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर अधिनियम, १९५७, के अधीन उसके अंश का पृथककरण स्वीकृत कर दिया गया हो, या वह अपनी भूमि का प्रबन्ध अथवा खेती पृथक रूप से करता हो"।

मान्यवर, अगर हम कल की कार्यवाही पर और धारा ३ पर जो मंत्री जी ने भाषण दिया है उस पर विचार करें तो मेरे खयाल से हमें अधिक कहना नहीं रह जाता है। मेरा संशोधन केवल यह स्पष्ट करता है कि खातेदार की जोत उसके सम्बन्धियों की जोत के साथ जोड़ने की नौबत आवे तो यह देख लिया जाय, जैसा रामलखन जी ने कहा है, कि पृथक रूप से है या नहीं। मेरा संशोधन पृथक रूप को ज्यादा साफ करता है। संविधान में हर व्यक्ति को निजी रूप से अपनी सम्पत्ति रखने का अधिकार है, सरकार भले ही उसे इस विधेयक से सीमित कर दे। अगर किसी सम्बन्धी का इन शर्तों के साथ अलग खाता है और अपनी खेती अलग करता है तो उसे किसी हालत में खातेदार के साथ न जोड़ा जाय। इस स्पष्टीकरण के बिना यह खण्ड बड़ा भ्रमात्मक सा रह जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह**---मान्यवर, मैं माननीय राजा राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अभी तक यह समझता रहा कि वाद-विवाद में जितना कम समय लूं उतना ही अच्छा है। लेकिन मैं अपना धर्म समझता हूं और मौलिक अधिकारों के रक्षार्थ मुझे माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाना ही होगा।

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी को यह स्वीकार है तो मुझे अधिक नहीं कहना है।

श्री हुकुम सिंह विसेन— आप कह लीजिये, काहे को अरमान बाकी रखते हैं? अगर काबिले इत्मीनान बहस होगी तो हम मान भी सकते हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---तो मुझे मंत्री महोदय को तस्कीन दिलाना है कि जो मैं कहूंगा वह ठीक है। खण्ड ३ में परिवार की परिभाषा की गई है तो उसके साथ यह भी उसमें अंकित है कि परिवार का तात्पर्य इस प्रकार है कि उसमें किसी जोत के धारक का तथा उसके किसी या सभी निम्नलिखित संबंधियों का, जो स्वयं अपने अपने पृथक अधिकार में खातेतार न हों, समावेश है। इत्यादि यानी, दूसरे शब्दों, में, इसके मानी यह हैं कि अगर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम अलग खाता है अपने अधिकार में, तो इस परिवार की परिभाषा में उसका समाअत्त नहीं होगा।

दफा ४ में वह कहते हैं कि किस प्रकार से सीमा आरोपण करने के लिये भूमि को एक जगह एकत्रित करके दफा ४ के अनुसार वह आगे बढ़ेंगे। यह बिल्कुल साफ है अपनी जगह पर कि किसी परिवार का कोई भी सदस्य हो और वह अपने अधिकार का खातेदार हो तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

दफा ३ के अनुसार साबित करने की जिम्मेदारी उस खातेदार पर होगी। जब खातेदार ने यह साबित कर दिया कि वह पृथक अधिकार में अपनी खेती रखता है, तो दफा ४ में सरकार को कोई मजाज नहीं होगा। दफा ३ अपनी जगह पर परिवार की परिभाषा देती है, जिसमें मतलब उनका महज उन परिवारों से है जिनका अलग खाता न हो। जब पुत्र के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है तो करीब उसी की नकल राजा साहब ने अपने संशोधन में रखी है। अगर पुत्र के बारे में एक जगह पर स्पष्टीकरण हो सकता है तो आश्रित पिता और आश्रित माता या पत्नी जैसी भी दशा हो, उनके बारे में यदि कोई ऐसी, बात आती है तो उसके स्पष्टीकरण से यह सरकार भागती क्यों है ?

मैं तो यह कहता हूं कि यह संशोधन बिलकुल निर्दोष है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितना ही कानून साफ हो जाय उतना ही अच्छा है। अगर दफा ३ कुछ और कहे और दफा ४ कुछ और कहे तो फिर इस बात का निबटारा किस प्रकार से हो सकेगा और डिप्टी कलेक्टर साहबान जिनको इस बिल के अन्तर्गत पावर्स दी गयी हैं वे इनको कैसे समझेंगे और झगड़े में पड़ जायेंगे, उनको इस कानून से परेशानी होगी। जब डिप्टी कलेक्टर साहबान और तहसीलदार साहबान को आप मालगुजारी वसूल करने के बाद कानून से दूर रख रहे हैं, उनके लिये इस चीज को समझना मुश्किल हो जायगा। अगर आप सूबे में तूफान मचाना चाहते हैं तो दूसरी बात है। मैं माननीय राम लखन जी मिश्र से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी तरफ से मंत्री जी को भरोसा दिलायें कि हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--अधिष्ठाता महोदय, जो यह संशोधन पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम कोई कानून बनाते हैं तो हमें इस बात का भी खयाल रखना पड़ता हैकि हम कोई गैर जरुरी बात तो उसमें नहीं रख रहे हैं। जो चीज इस संशोधन में रखी गयी है वही धारा ३ में हम रख आये हैं। इसलिये उसकी आवश्यकता नहीं है। राजा साहब ने एक शंका उत्पन्न की कि वहां पर हम पुत्र के बारे में स्पष्टीकरण कर रहे हैं लेकिन यहां आश्रित माता और पिता के बारे में स्पष्टीकरण किया जा रहा है। लेकिन वहां पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसके प्रकाश में इस स्पष्टीकरण को यहां दिये जाने की कोई अवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर उसके नाम से खाता है तो परिवार में शामिल नहीं किया जायगा। अगर वहां पर उस स्पष्टीकरण को न देते तो पुत्र अपने खाते के अलावा यह भी दावा कर सकता था कि क्योंकि वह पिता के साथ मिलकर ५ सदस्यों से अधिक का परिवार वाला हो जाता है, इस तरह से वह अधिक हिस्सा मांग लेगा। अतः उस स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी लेकिन यह जो स्पष्टीकरण दुहराया गया है यह गैर जरुरी है। क्योंकि इसके द्वारा कानून में गैर जरुरी बात जोड़ी जा रही है, अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री लाल बहादुर** (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, यह राजा साहब का जो संशोधन सदन के सामने पेश है, इसको बड़ी बुद्धिमानी से पेश किया गया है और बड़ी बुद्धिमानी से उसका समर्थन किया गया है। अगर यह संशोधन मान लिया जायगा तो सारा का सारा बिल टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जायगा। क्योंकि जहां परिवार की एक सीमा निर्धारित की गयी है कि ५ व्यक्तियों का एक परिवार होगा और उसको ४० एकड़ जमीन दी जायगी, उसका लगान ६ रुपये से ४ रुपये तक या कितना होगा, हर जगह के लिये उन्होंने निश्चित किया है। आप अगर इस संशोधन को मान लें तो फिर इस विधेयक की असली मंशा ही समाप्त हो जायगी। यह बात सब लोगों को मालूम थी कि सरकार जमींदारी एबालिशन कर चुकी है और अब सरकार सीलिंग भूमि का करेगी क्योंकि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट थी कि सीलिंग होनी चाहिये। उसके बाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितने बड़े बड़े लोग थे जिनके पास बहुत अधिक जमीन थी जैसा कि राजा साहब के संशोधन से भी मालूम होता है कि उन्होंने आपसी बटवारा कर लिया होगा। चाहे कचहरियों में किया हो या न किया हो, चाहे वह दिखावटी बटवारा हो या आपसी बटवारा हो, तो राजा साहब के इस संशोधन को मान लेने से इस बिल का मंशा खत्म हो जाता है। फिर इस बिल के लाने की जरुरत ही क्या है, आप यह प्रस्ताव लाते कि इस बिल को वापस ले लिया जाय, इस पर सरकार को बिचार करना चाहिये। तो इस सदन के हर मेम्बर को इस संशोधन का विरोध करना चाहिये और इस बिल का समर्थन करना चाहिये।

*श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, आपकी नजर है और सरकार की भी नजर है कि हिम्मत वाला एक पुजारी है जो बोल सकता है, कोई मंत्री या एम० एल० ए० होकर नहीं बोल सकता है। मेरे ठाकुर साहब अब जाने लगे, ठाकुर और पुजारी का तो साथ ही होता है, जाते कहां हो।

श्रीमन्, यह सरकार जो कानून बनाती है वह दो धारी तलवार की तरह से होती है। अगर स्त्री पुरुष को तलाक दे और पुरुष स्त्री को तलाक दे तो स्त्री के नाम जो जमीन होगी उसका क्या होगा। अगर स्त्री ने पुरुष को तलाक दे दिया और जमीन उसके नाम हुई तब तो उसका मर्द बेचारा मर गया अगर वह जमीन उसके बच्चों को नहीं मिली। यह सोचने की बात है कि जो हल जोतने वाला है, जो काम करने वाला है, जो ट्रैक्टर चलाने वाला है, जो दफ्तर में काम करने वाला और लिखने पढ़ने वाला है उसको जमीन मिले और जो ७ वर्ष का बच्चा है उसे जमीन न मिले। इसलिये मेरा सुझाव है कि बच्चे को हिस्सा जरुर मिलना चाहिये।

ठाकुर साहब तो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं लेकिन मुझसे नाराज हो जाया करते हैं। सन् २१ से हम दोनों भाई भाई हैं लेकिन क्या करें आपस में पटती नहीं है।

मेरा सुझाव यह है कि वह चीज जो चल रही है सहकारिता की वह पुरानी है जो होनी चाहिये। अगर किसी के पास पहले १०० बीघे जमीन होती थी तो दो बैल उसके होते थे और दो बैल दो परिवारों के और शामिल कर लेता था और चार-चार बीघे खेत गरीबों को दे देता था, जिसके जरिये चारा और अनाज भी उस पर हो जाता था। जिसके जरिये चार परिवारों का जीवकोपार्जन होता था, और एक परिवार का अलग पालन होता था। ४ बीघे जमीन वह किसी गरीब को दे देता था जो हल चलाता था या उसके मवेशियों को खिलाता पिलाता था और इस तरह से चार परिवारों का पालन १०० बीघे से हो जाता था। वास्तव में वही सहकारी खेती थी। आज ४ बीघा जमीन कोई किसी को देता है और लेखपाल अगर कुछ इन्द्राज कर देता है तो वह जमीन उसके हाथ से निकल जाती है। हमारा सुझाव है कि हमारे यहां वही पुरानी सहकारिता आनी चाहिये और बच्चों को हक मिलना चहिये क्योंकि बच्चे तो असहाय होते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं कहता हूं कि सरकार ऐसी भूल न करे वर्ना किसी दिन उसकी यह भूल उस को ले बैठेगी।

*राजा वीरेन्द्रशाह---सभापति जी, जो संशोधन राजा राघवेन्द्र प्रतापसिंह ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे मित्रों ने यहां यह कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है। श्री लालबहादुर जी ने कहा कि इसके पास होने से यह बिल ही खत्म हो जायगा। मैं उनको बता दूं कि जो चीज धारा ३ में पास हुई है कि जिसके पास अलग पट्टे की जमीन है उसको अलग माना जायगा, परिवार में नहीं माना जायगा। मैंने इसीलिये इसको साफ किया है कि जो कानून अभी बने हैं उनमें बड़ी परेशानियां होती हैं और इन्टरप्रिटेशन करना इतना जटिल हो जाता है कि वकीलों के यहां टक्करें मारना पड़ती हैं। पुत्र के लिये लिख दिया है लेकिन और संबंधी जैसे औरतें वगैरह हैं जिन्होंने गुजारे में जमीन पाई है वह सब समाप्त हो गई। पहले उनकी जमींदारी चली गई, सब आय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

समाप्त हो गई, अब अगर पट्टे की जमीन भी छिन जायगी परिवार में तो वह तो भूखों मर जायंगी। इसमें कोई नई बात नहीं है, आप धारा ३ में तो स्वीकार कर ही चुके हैं कि आप उसको अलग मानेंगे अगर उसका पट्टा अलग होगा। राजा साहब ने इस स्पष्टीकरण में उसी बात को लिखकर साफ किया है जो आपने स्वीकार की है। जिनके पट्टे अलग हों उनकी इसमें बात है, चाहे वह चकबन्दी से अलग हों या वृहदकर जोत से अलग हों उनको अलग होना चाहिये। आप को कोई कानून ऐसा नहीं बनाना चाहिये जिससे कि जनता में भ्रम हो और मुकदमेंबाजी बढ़े, वकीलों के दर दर मारे फिरे और तमाम परेशानी हो। यही एक जीविका देहात वालों की रह गई है, इससे अगर खिलवाड़ करेंगे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार के पास जमीन की कमी नहीं है, उसके पास अपनी जमीन ही ९० लाख एकड़ पड़ी है उसको भी वह बांट सकती है लेकिन दूसरों की बनी बनाई, कमाई हुई जुती जुताई जमीन को वह लेना चाहते हैं। लाखों रुपए की....

श्री अधिष्ठाता---आप इतनी जोर से बोलते हैं कि आप के सारे आर्गूमेंट्स गड़बड़ा जाते हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह---इस तरह से वह जंजाल में फंसा कर अच्छी बनी जमीन को भी परिवार की सीमा में लेना चाहते हैं। अपने बिचार में सरकार को साफ होना चाहिये, जो भी कानून आप पास करें वह स्पष्ट रखें, यह ठीक नहीं है कि एक चक्रव्यूह आपने बना दिया और हम फंसा दिया और हम वकीलों के यहां मारे-मारे फिरें और उनके दर के मोहताज हो जायं।

धारा ३ के अनसार जिसके नाम में ४० एकड़ का खाता है वह अपने हक से जमीन पाता है लेकिन अगर इसी चीज को धारा ४ में स्पष्ट न किया जायगा तो नाना प्रकार के इन्टरप्रिटेशन होंगे। इसी झगड़े को दूर करने के लिये यह स्पष्टीकरण रखने को कहा जा रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसे सदन स्वीकार करेगा।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय राघवेन्द्रप्रतापसिंह ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं उनको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ अपने संशोधन को प्रस्तुत किया है। यों तो स्पष्टीकरण के लिहाज से इस धारा मे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि कोई स्पष्टीकरण जोड़ा जाय। लेकिन जो संशोधन माननीय राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी ने जोड़ा है उसके अन्दर एक मूल उद्देश्य छिपा है। और वह यह है कि परिवार के अन्तर्गत जितनी सीमा निर्धारित होने जा रही है उस सीमा को वह बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक पिछले खण्ड ३ मे जो संशोधन स्वीकार किया गया है उसमे केवल इतना ही माना है कि पुत्र या पुत्र का पुत्र अलग पृथक समझा जायगा। लेकिन इस संशोधन से कोई भी खातेदार जिसके नाम जमीन हो, पुत्र की स्त्री के नाम जमीन हो, जो खातेदार है उसकी स्त्री के नाम जमीन हो, जिस किसी के नाम जमीन हो तो उनको इस सीलिंग से पृथक रखा जायगा। यह इस स्पष्टीकरण का तात्पर्य है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि जिस उद्देश्य के लिये यह बिल पास किया जा रहा है, और जो सीमा निर्धारित की जा रही है वह निरुद्देश्य हो जायगा अगर इसको स्वीकार करेंगे। इसलिये सदन इसको स्वीकार न करे।

श्री शिवशंकरसिंह (जिला राय बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे मंत्री जी ने खण्ड ३ के स्पष्टीकरण में मान लिया है कि अगर किसी के नाम खाता अलग-अलग है तो वह अलग माना जायगा। इसमें जरा और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। मंत्री जी को ज्ञात है कि हमारे यहां बहुत से ऐसे पुराने जमींदार, ताल्लुकेदार हैं जो ३, ४ शादियां कर लेते थे और वह अभी मौजूद हैं। अब अगर उनकी पहली या दूसरी बीबी से नहीं पट रही है और गुजारे में जमीन लिख दी है तो इससे यह होगा कि जो जमीन उन बेचारी औरतों के कब्जे मे है वह इस स्पष्टीकरण से सुरक्षित

हो जायगी और नहीं तो आज खाते उनके अलग अलग होने पर भी एक में जोड़े जा सकते हैं, जैसा भीखालाल जी और भगवतीसिंह जी ने कहा। किसी के पास और कोई जायदाद तो रह नहीं गई, थोड़े बहुत जिनके नाम जो पट्टे हैं वह इस स्पष्टीकरण से सुरक्षित हो जायंगे। इसलिये मंत्री जी को इसके मानने से कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

*श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। इस विधेयक पर माननीय सदस्य का काफी समय बरबाद हुआ, काफी जनता का पैसा भी खर्च हुआ, तो इसका उद्देश्य कुछ ऐसा होना चाहिये जिससे जनता का कुछ लाभ हो, गरीबों को कुछ फायदा पहुंचे और उनको जमीन मिल सके। पहले तो इस बिल को देखने से ही सिद्ध होता है कि इसमें कुछ जमीन बचेगी नहीं लेकिन जैसा कि माननीय राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी ने संशोधन पेश किया है अगर इसको सदन मान लेता है तो फिर शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जिसने ऐसी तरकीबें न की हों और उससे जमीन निकल सके। इस संशोधन के मान लेने से हमारे राज्य का जो पैसा खर्च हुआ, हमा माननीय सदस्यों का समय खर्च हुआ। वह सब बेकार हो जाता है और इस विधेयक की मंशा ही बेकार हो जाती है। इस तरह से यह संशोधन बिलकुल ही अनुचित है और अव्यहारिक है। लोगों ने अपने बेटे, बहुओं तथा पतोहुओं के नाम जमीन करा ली है। लोगों ने पहले से ही हदबन्दी कर ली है। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन से तथा उसके पेश्तर इसका ढिढोरा काफी पीटा जा रहा है। जिनके पास अधिक जमीने हैं उन्होंने पहले से ही इन्तजाम कर लिया है और जो कुछ रह गया है उसके लिये भी इस संशोधन द्वारा इन्तजाम करना चाहते हैं।

मेरा आम अनुभव है कि जिनके पास ज्यादा जमीन है वे चाहे ट्रैक्टर से या बैल से खेती करें वे ज्यादा पैदावार नहीं कर सकते। हमारे यहां ठाकुर दानसिंह और गयाबख्श सिंह के पास १५० बीघे तक जमीन है लेकिन न उस पर वे हल चला पाते हैं, न बैल चला पाते हैं। हमारा देश भूखा मर रहा है। हम रोज कहते है कि खाद्य के मामले मे देश आत्मनिभर हो, इसलिये सोशलिस्ट पार्टी की मांग है कि एक खातेदार के पास ज्यादा से ज्यादा २० बीघा जमीन हो। इतनी जमीन रहती है तो जो भी काश्तकार होगा या पुराना जमींदार होगा वह उसे अच्छी तरह से जोत बो सकेगा और उसमें पैदावार भी बढ़ेगी। लेकिन उसके पास ज्यादा जमीन होगी जैसी कि इस बिल की मंशा है कि ४० बीघा अव्वल किस्म की जमीन दी जायगी जिसका लगान ६ रुपया होगा या उससे ज्यादा १२८ एकड़ तक है, लेकिन राजा साहब इसमे भी बढ़ोत्तरी चाहते है कि लड़के के नाम या पतोहूं के नाम जो जमीन हो वह सब खाते मान लिये जायं। तो इस तरह से एक एक के पास ५०० एकड़ जमीन होगी जो न हल बैल से या ट्रैक्टर से जोती जा सकेगी,न उसकी देखभाल हो सकेगी,न उसमे पैदावार हो सकेगी। अगर देश की स्वतंत्रता को कायम करना है, देश से भुखमरी को मिटाना है और विषमता को दूर करना है तो जमीन ही नहीं साधन का भी बटवारा करना होगा और जब तक सही बटवारा नहीं होगा तब तक हमारी स्वतंत्रता खतरे मे है।

आज हमारे देश में कम्यूनिस्ट चीन के बादल मंडरा रहे हैं। अगर उसका मुकाबला करना है तो यह जरुर है कि हम अपने देश से विषमता मिटायें और यह तभी मिट सकती है जब कि जमीन और साधन तथा संपत्ति का ठीक से बटवारा हो। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह---मान्यवर, मैं अपने मित्र माननीय राजा साहब के संशोधन का बिरोध करता हूं और दो ही शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि राजा साहब का संशोधन और चाहे कुछ हो लेकिन आखिर में एक वाक्य उन्होंने बहुत समझ बुझ कर रखा है कि इसको अगर स्वीकार कर लिया जाय तो फिर उसके बाद सीलिंग वाले बिल पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह वाक्य यह है "या वह अपनी भूमि का प्रबन्ध अथवा खेती पृथक रूप से करता हो।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंद सिंह]

अगर आप नहीं करता है, कोई दूसरा करता है तो वह प्रबन्ध में आ जायगा फिर तो कोई बखेड़ा नहीं है । सीधे सीधे यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि परिवार की परिभाषा ही गलत है, व्यक्ति को दी जाय क्योंकि हर आदमी कह सकता है कि हम अपनी खेती अलग करते हैं । नाबालिग बच्चा है तो प्रबन्ध में आ जायगा । वैसे तो मैं यह जानता हूं कि यह स्वीकार होने वाला नहीं है लेकिन कुछ लोगों से मेरी हमदर्दी जरूर हुई, खासकर भाई शिवशंकरसिंह जी से । अगर घर में पटरी नहीं बैठी तो वह उसके बाद उसके नाम ४०--५० एकड़ जमीन कर देना चाहते हैं ।

मैं समझता हूं कि सारी बातों के विरुद्ध बात वह कह रहे हैं । वह तो अर्द्धांगिनी है और माननीय शिवशंकर जी जमीन के लोभ में अपने उस अंग को बदनाम कर रहे हैं जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिये । मैं उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं और माननीय शिवशंकर जी से कहूंगा कि इस पर जरा वह गौर करें । मेरी परेशानी यह है कि उधर जो बैठने वाली हैं---हमारी तरफ तो राजेन्द्र कुमारी जी की तबियत ही खराब हो गई वे वकालत करने के लिये यहां मौजूद नहीं हैं और हमारे हरिजन सदस्य भाई भी हाउस में नहीं रहना चाहते हैं । बदकिस्मती है, मैं क्या करूं । उनकी तरफ से मैं ही वकालत करता हूं कि उनके खिलाफ इस तरह की बात माननीय शिवशंकर जी को नहीं कहनी चाहिये । जमीन के लोभ पर उनको अपने साथ नहीं रखा जा सकता, वे तो एक संस्कार के बल पर हमारे साथ रहती हैं और वे पूजा करने के लायक हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि कोई दलील ऐसी नहीं है जिसकी वजह से इसे स्वीकार किया जाय और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा । इसलिये माननीय राजा साहब और माननीय शिवशंकर जी, दोनों अगर इसे वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजा रावबेन्द्रप्रतापसिंह को कुछ गलतफहमी है । वे यह डरते हैं कि अगर यह स्पष्टीकरण इसमें शामिल न होगा तो जितने कुटुम्ब के लोगों के नाम अलग-अलग खाते हैं सम्भव है कि वे फूल कर दिये जायें स्टाफ आफ दि फैमिली के खाते के साथ साथ ।

श्रीमन्, उनको यह खतरा है । लेकिन राजा साहब यह भूल जाते हैं कि धारा ३ में जो हम लोगों ने पास की है उसमें जो डेफीनीशन दी है वह अंग्रेजी में है, उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं । वह इस प्रकार है कि :---

"(*a*) Family means as consisting of the holder of a building and any or all of his following relations, not being tenure-holder in their own separate right,

(i) wife of husband, as the case may be ;

(ii) dependent father and dependant mother ;

(iii) son and son's son, as long as they are unseparated from the holder ;

(iv) wife or widow of the persons mentioned in sub-clause (iii) ;

(v) daughter and unseparated son's daughter, as long as they are unmarried."

इस धारा को हम मंजूर कर चुके हैं । इसके तात्पर्य यह हैं कि कुटुम्ब में जितने लोग ऊपर आये हैं, अगर उनके नाम होल्डिंग्स हैं तो वह बराबर इस गणना में आयेंगे और वह अलग यूनिट माने जायेंगे । जब एक जगह हम कह चुके हैं और इसमें भी लड़के के सेपरेशन का सवाल है । इसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वह तब पृथक समझा जायगा कि जब पृथक रूप से उसके नाम भूमि अभिलिखित हो या पारिवारिक समझौते या न्यायालय की डिक्री के अधीन उसका पृथक अंश घोषित कर दिया हो । या चकबन्दी अधिनियम के द्वारा या लाज होल्डिंग ऐक्ट

के द्वारा उसका अंश पृथक घोषित कर दिया गया हो। इस तरह से डिफाइन किया गया है या कोई सूट पेंडिंग हो क्योंकि हिन्दू परिवार में यह है कि कह देने मात्र से ही सेपरेशन हो जाता है चाहे बटवारा हुआ हो, न हुआ हो। इंटेशन आफ सेपरेशन से ही सेपरेशन हो जाता है। यह सब बातें इसमें दे दी गई हैं। फिर जब एक मर्तबा कोई शख्स जिसके नाम अलग खाता होगा और वह फैमिली में शुमार नहीं होगा तो वह सेपरेट यूनिट होगा। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं कि इस स्पष्टीकरण की यहां कोई जरूरत नहीं है।

एक बात और है अगर हम स्पष्टीकरण को जोड़ देते हैं तो रामलखन जी का अमेंडमेंट जो सदन ने स्वीकार किया है, वह बिलकुल खत्म हो जाता है और यह उसको कंट्राडिक्शन करता है। मेरी समझ में यह बात आती है कि जो "in their own separate rights" काबिज होगा वह सेपरेट यूनिट माना जायगा। लेकिन जो फर्जी होंगे उनके लिये खतरा जरूर है। मैं समझता हूं कि राजा साहब भी फर्जी खाते को रिकागनाइज करना नहीं चाहते हैं। लिहाजा स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है और आशा करता हूं कि राजा साहब वापस लेने की कृपा करेंगे।

*श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह---श्रीमन्, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने बताया है कि हमारा भय है कि वह इससे दूर होता है। यह जाहिर बात है कि मैं भी स्पष्टीकरण इसीलिये जोड़ रहा था कि किसी प्रकार का भ्रम न हो। यह तो कोई इस सदन में नहीं चाहेगा कि जो नाजायज ट्रांन्सफर हुये हैं या नाजायज कार्यावाही हुई है उसकी पुष्टि की जाय। यह भी मैं सरकार को विश्वास दिलाऊंगा कि कम से कम इधर बैठने वाले इस बात से काफी सतर्क रहते हैं कि कोई काम ऐसा न होने पाये कि वह बाद में नाजायज हो जाय क्योंकि हम लोग तो कभी बरी हो नहीं सकते न हम लोगों को कोई रियायत मिल सकती है। नाजायज चीज तो मंत्री जी की तरफ जो बैठते हैं वही कर सकते हैं और उन्हीं को रियायत मिल सकती है।

चूंकि उन्होंने यह कहा है कि हमारा भय धारा ३ से दूर हो जाता है इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रघवेन्द्रप्रतापसिंह---मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड ४ के उप खंड (२) के संशोधन सब एक साथ पढ़ दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता---एक संशोधन माननीय भगवतीसिंह विशारद का ले लें, बाकी सब साथ कर देंगे और एक संशोधन माननीय गेंदासिंह जी का है, उसको भी अलग ले लें। बाकी सब साथ ले लेंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के मद (क) में शब्द "एक खातेदार का अधिकतम क्षेत्र" के पश्चात् प्रस्तुत शब्दों को हटा कर "सभी प्रकार की भूमि के बीस एकड़ होगा" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता---क्या आपकी पार्टी का यह सिद्धान्त है कि २० एकड़ ह ना चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी ने भी २० एकड़ रखा था। क्या आपकी पार्टी का भी यही सिद्धान्त है ?

श्री गेंदासिंह---जी हां।

श्री भगवतीसिंह विशारद---मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी पूर्ति की जा सके।

अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें जैसा कि इस समय वर्तमान विधेयक में है कि ४० एकड़ भूमि और उसमें भी अच्छी प्रकार की भूमि दी जाय तो जो उद्देश्य इस विधेयक का है वह पूरा नहीं हो सकेगा। इस विधेयक के प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवल यह है कि भूमिहीनों को जमीन मिल जाय। लेकिन अगर हम ४० एकड़ की सीमा निर्धारित करेंगे तो मेरा विश्वास है कि भूमिहीनों को किसी प्रकार भूमि नहीं मिल सकती। जिस समय गत वर्ष यह विधेयक पेश किया

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

गया था उस समय माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बताया था कि ३ लाख एकड़ की लगभग जमीन मिलेगी । मैं समझता हूं कि इस ३ लाख एकड़ से कोई काम चलने वाला नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि जब हमने यह प्रस्ताव किया है कि भूमि का वितरण होना चाहिये, सामाजिक न्याय के आधार पर जो भूमिहीन और साधनहीन हैं उनको जमीन मिलनी चाहिये, जब आपके देश की सारी इकोनामी ऐग्रीकल्चर इकोनामी है, ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं तो उन सब की सुविधाओं का ध्यान रख कर, ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, उनको भूमि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें । आवश्यकता यह नहीं है कि लोगों की लग्जरी के साधन की रक्षा करें बल्कि आवश्यकता यह है कि जो साधनहीन हैं, उनको जीविका का साधन प्रदान करें जिससे उनकी जीविका चल सके । सभी को मालूम है कि हमारे देश में प्रति दिन बेकारी बढ़ रही है । सभी लोगों को यह बात अच्छी तरह से बिदित है कि हमारे देश में तमाम कोशिशों के बावजूद भी उत्पादन सही ढंग से नहीं बढ़ रहा है । तो जब एक तरफ हम ६ एकड़ की एकोनामिक होल्डिंग मानते हैं तो दूसरी तरफ मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूं कि जिस पार्टी ने ६ एकड़ को ऐग्री किया हो कि यह एकोनामिक होल्डिंग है उसी की तरफ से ४० एकड़ का प्रस्ताव इस बात के लिये रखा जाय कि यह अधिकतम जोत की सीमा है, मैं समझता हूं कि यह उचित्य नहीं है और सामाजिक न्याय के आधार पर हमें इस बात पर फिर से विचार करना पड़ेगा कि आखिर वह कौन सी सीमा हो सकती है जिससे कि प्रदेश के ऐसे नागरिकों को, गांव के ऐसे रहने वालों को जिनके पास किसी तरह की भूमि नहीं है, उनको यह भूमि उपलब्ध हो जाय ।

मान्यवर, यह जो विधेयक प्रस्तुत है इस विधेयक से अगर भूमिहीनों को भूमि नहीं मिली तो मैं यह कहूंगा कि बिनोवा भावे का जो शंखनाद है, जो वह गांव गांव घूम कर जमीन प्राप्त कर रहे हैं, वह हमारे लिये एक खुली चुनौती है । हमें उनको यह बताना चाहिये कि जिस आदर्श की प्राप्ति के लिये आप गांव गांव घूम कर जमीन प्राप्त कर रहे हैं हम भी आपके उस आदर्श पर चलकर भूमिहीनों को भूमि दिलाने की कोशिश करते हैं । यह दूसरी बात है कि हम आपके साथ पदयात्रा में सम्मिलित न हों । लेकिन हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयत्नशील हैं और जहां कहीं हमको अवसर प्राप्त होगा उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपने विचारों से अपने कार्य-कलापों से हम प्रयत्न करेंगे ।

मान्यवर, अगर यह ४० एकड़ की सीमा रखी गई और उसमें भी इस बात को रखा गया कि अच्छे प्रकार की भूमि, तब तो जो उद्देश्य इस विधेयक के हैं वह किसी तरह से पूरे नहीं होने वाले हैं । भूमि अच्छी और बुरी का कोई प्रश्न नहीं उठता है ? कहा गया है—"सब भूमि गोपाल की"—तो जब जमीन उर्वरा है, रत्नगर्भा है तो प्रयत्न करने से सभी भूमि अच्छी हो सकती है, इसलिये सीलिंग को तय करने में हमें मुख्य रूप से सामाजिक न्याय को सामने रखना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखन पड़ेगा कि हम ऐसे भूमिहीनों को जिनके पास भूमि नहीं है और जो आज प्रदेश के करोड़ों लोग हमारी तरफ आशाभरी निगाह से देख रहे हैं, जिनके प्रति कि हम उत्तरदायी हैं उनके लिये हम क्या करने जा रहे हैं ? ४० एकड़ की सीमा निर्धारित करने से और उसमें भी यह प्रतिबन्ध लगा देने से कि अच्छे प्रकार की भूमि दी जाय, तो फिर इस तरह से उनका वह मनोरथ पूरा होने वाला नहीं है । फिर अच्छे प्रकार की भूमि जिसकी भूमि है वह रख ले और खराब प्रकार की भूमि उनको दे जिनको कि देने जा रहे हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है । जब किसी को कोई वस्तु प्रदान की जाती है तो उसमें यह कोशिश नहीं होनी चाहिये कि अच्छे प्रकार की तो वह अपने पास रखे और खराब से खराब उसे दे । आवश्यकता इस बात की है कि भूमि चाहे अच्छे प्रकार की हो चाहे खराब, जैसी भी हो उसमें से २० एकड़ जमीन वह अपने पास रखे और बाकी जमीन सीमा निर्धारित होने पर उसके पास से निकले और भूमिहीन किसानों में वह वितरित की जाय । इन शब्दों के साथ मैं सदन से आशा करता करूंगा कि मेरे

संशोधन को वह सामाजिक न्याय के आधार पर, गरीबी मिटाने के आधार पर, देश में अनएम्पलायमेंट दूर करने के आधार पर और जो युग की मांग है उसको पूरा करने के लिये स्वीकार करेगा और माननीय मंत्री जी इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति के लिये मेरे संशोधन स्वीकार करेंगे ।

श्री भीखालाल—मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं अपना संशोधन पेश करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) में "चालीस" के स्थान पर "साढ़े बारह" रख दिया जावे ।

मान्यवर, इस विधेयक की महत्वपूर्ण धाराओं में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जिसकी बुनियाद पर हम इस बिल को बनाने जा रहे हैं और उसको कानून की शक्ल देने जा रहे हैं । यह वह धारा है जो निश्चित करती है कि हम इस बिल को कानून की शक्ल देने के बाद कितनी जमीन हासिल करेंगे इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये । लिहाजा हमको उस अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये संकीर्ण विचारों को छोड़कर कुछ ऐसे विचारों को अपने ध्यान में रखना होगा जिससे हम अपने देश में कुछ गरीबों का और भूमिहीन लोगों का भला कर सकें । मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है सरकार की ४० एकड़ के खिलाफ वह इसी लिहाज से किया है । मैं समझता हूं कि ४० एकड़ की अधिकतम जोत की सीमा रखने के बाद उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी पिछले दिनों कहा था कि हमने प्लानिंग कमीशन की सिफारिश के मुताबिक इस ४० एकड़ की सीमा को रखा है । प्लानिंग कमीशन की सिफारिश है कि एक कृषक परिवार की कम से कम सालाना आमदनी ३,६०० रुपया होनी चाहिये और इसी को लेकर ४० एकड़ की सीमा रखी । मैं मानता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने इस किस्म की सिफारिश की है । उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि हम इकोनामिक होल्डिंग या फैमिली होल्डिंग के मल्टिपिल्स में एक परिवार को जमीन दें । उन्होंने एकोनामिक होल्डिंग या फैमिली होल्डिंग को मानकर यह १,२०० रुपये की इकोनामिक होल्डिंग की आमदनी कहकर उसको तीन गुना करके एक परिवार को जमीन देने की बात कही । अब प्रश्न यह उठता है कि १,२०० रुपये की आमदनी की कितनी एकरेज होल्डिंग होनी चाहिये जिसमें यह आमदनी हो सकती है । इकोनामिक होल्डिंग या फैमिली होल्डिंग किसको कह सकते हैं और कितनी एकड़ की वह इकोनामिक होल्डिंग हो जिसमें १,२०० रुपये की आमदनी हो सकती है और जिसको इकोनामिक होल्डिंग कह सकते हैं और उसको तीन गुना करके हम प्लानिंग कमीशन के उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं मंत्री जी के कथनानुसार ?

जहां तक प्लानिंग कमीशन की सिफारिश का सवाल है और माननीय मंत्री जी के इस मत का सवाल है कि उनकी सिफारिश के अनुसार एक इकोनामिक होल्डिंग या फैमिली होल्डिंग की आमदनी का तीन गुना करके हमें एक परिवार को देना चाहिये, हम इससे सहमत नहीं है । इसमें हमारा स्पष्ट मत है कि हम एक परिवार को ज्यादा इकोनामिक होल्डिंग का दुगुना देना चाहते हैं और उसके लिये कारण है जो मैं अभी व्यक्त करूंगा । मैं यह कहता हूं कि हम यह सोचते हैं कि कौन सी इकोनामिक होल्डिंग हो जिसमें १,२०० रुपये की आमदनी हो सकती है । माननीय मंत्री जी ने जो एकरेज रखा है उसके हिसाब से देखें तो ४० एकड़ का हिसाब उनके लिहाज से सवा तेरह एकड़ आकर पड़ता है । सवा १३ एकड़ की एक एकोनामिक होल्डिंग होती है जिसमें माननीय मंत्री जी के अनुसार १,२०० रुपये की आमदनी हो सकती है । मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमींदारी एबालिशन कमेटी जब यहां पर बैठी थी तो उसने भी सीलिंग और लैंड रिफार्म के दूसरे पहलुओं पर गौर किया था । इस पर विचार किया था कि हमारे प्रदेश में इकोनामिक होल्डिंग क्या है और क्या इकोनामिक होल्डिंग होनी चाहिये । उन्होंने आमदनी का लिहाज रखा और इस बात का भी लिहाज रखा कि इकोनामिक होल्डिंग वह होनी चाहिये जिसमें कुल परिवार के सदस्य पूरे तौर पर उसमें लगकर, एक हलबैल से साल भर तक उसमें काम करके अपनी गुजर बसर कर सकें, उसको इकानामिक होल्डिंग कहा था । उनके मत के अनुसार और सरकार के विशेषज्ञों के मत के अनुसार होल्ड किया कि

[श्री भीखालाल]

१० एकड़ की इकोनामिक होल्डिंग हो सकती है । १० एकड़ की होल्डिंग को इकोनामिक होल्डिंग कहा । प्लानिंक कमीशन ने कोई एकरेज नहीं दिया । माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के जरिये से एकरेज की शक्ल दी कि हम इकोनामिक होल्डिंग १३। एकड़ की मानते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि १०,११ साल पहले आपकी बनाई हुई मशीनरी, आपकी बनाई कमेटी और आपके विशेषज्ञों ने एक इकोनामिक होल्डिंग १० एकड़ कहा था ।

अब दस साल बाद इतनी योजनायें चलाने के बाद, करोड़ों रुपया कृषि पर खर्च करने के बाद, अपनी दो योजनायें पूरी करने के बाद क्या आप इस प्रगति पर पहुंचे हैं कि जो आमदनी दस, १२ साल पहले १० एकड़ में होती थी वह अब १३ १/३एकड़ में होने लगी । मैं इसे समझ नहीं पाया । आज मंत्री जी और सरकार का दावा है कि हम कृषि क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं उस पर हमने करोड़ों रुपया खर्च किया है, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, सिंचाई के साधन दे रहे हैं, पैदावार बढ़ रही है और इन दलीलों का लामुहाला मतलब यह होना चाहिये कि इकोनामिक होल्डिंग की आमदनी भी बढ़ी है । लेकिन इसे देखने से इसका उल्टा मालूम हो रहा है । आज १० एकड़ की जगह सवा ६ एकड़ की इकोनामिक होल्डिंग होनी चाहिये थी तो आपकी यह दलीलें ठीक मालूम होती । चौधरी चरणसिंह का कहना है कि इकोनामिक होल्डिंग सवा ६ एकड़ की होनी चाहिये , लेकिन यहां मंत्री जी कहते हैं कि वह १३ १/३ एकड़ की होनी चाहिये । मैं सोचता हूं कि यदि यही प्रगति और यही विचारधारा रही और योजनायें इसी प्राकार चलती रहीं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद इकोनामिक होल्डिंग १५ या १६ एकड़ की हो जायगी जिसमें हम १,२०० रुपये की आमदनी कर सकेंगे । यह आमदनी का जो हिसाब निकाला गया है इसे भी मैं उचित नहीं समझता । जो मौजूदा साधन हैं और जिस प्रकार की जमीन का आप अनुमान कर रहे हैं, उसमें यदि एक परिवार अपनी पूरी शक्ति लगा दे, आवश्यकतानुसार बाहर के मजदूर भी लगाये और एक हल बैल से खेती करता रहे तो एक परिवार सवा ६ एकड़ में अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है और आपके आंकड़े बताते हैं कि पैदावार बढ़ी है । अगर उसके हिसाब से हम काल्कुलेट करें तो १२० रुपया फी बीघा आमदनी हो सकती है उस जमीन में जिसे आप अच्छे प्रकार की जमीन कहते हैं और ४० एकड़ देना चाहते हैं । इन्हीं बातों को देखते हुये हमने यह साढ़े १२ एकड़ भूमि का संशोधन रखा है ।

मैं समझता हूं कि आप हमारे संशोधन से सहमत जरूर होंगे, हो सकता है कि आप इस विधेयक में उसे मानने के लिये सहमत न हों। आपने जमींदारी विनाश अधिनियम में साढ़े बारह एकड़ का प्रतिबन्ध रखा है, फरदर होल्डिंग के लिये भी यही प्रतिबन्ध है, मैं जानना चाहता हूं कि वहां ये प्रतिबन्ध किस विचारधारा के मातहत रखे । आप कह सकते हैं कि आप दो इकोनामिक होल्डिंग दे कर, जो प्लानिंग कमीशन ने एक परिवार की आमदनी का औसत निर्धारित किया है उसे घटाना चाहते हैं, आप यह दलील दे सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप आमदनी का स्टैंडर्ड केवल उन्हीं आदमियों के लिये मेन्टेन करना चाहते हैं जिनका प्रतिशत, एक फीसदी कम है। ४० एकड़ से ऊपर के किसान का प्रतिशत एक फीसदी से कम है। ये क्या आप वह ३,६०० रुपये की आमदनी का स्टैंडर्ड उन्हीं के लिये रखना चाहते हैं? आप भूमिहीनों को ३ १ ८ एकड़ देना चाहते हैं और आप के ही हिसाब से एक एकड़ में ९० रुपये की आमदनी होती है । इस तरह आप उसे इतनी जमीन देना चाहते हैं कि जिसमें वह २८० रुपये की आमदनी कर सके । आप यह डिस्पैरिटी क्यों करना चाहते हैं? और कहते हैं कि हम विषमता को दूर करना चाहते हैं । आपकी वह दलील काम नहीं कर सकती। आपको स्टैन्डर्ड घटाना होगा। आप इस तरह से गरीबों को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। आप इस तरह से उनकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चाहते हैं कि एकदम से इकट्ठा जमीन छीन ली जाय, मैं कहता हूं कि हम जो आपकी योजनायें हैं उनको ही पूरा करना चाहते हैं । अगर आपकी योजना पूरी होती है तो आपने जो ३६०० का स्टैन्टर्ड माना है, मैं उसके लिये दुआ मांगूंगा कि वह बढ़ कर ५ हजार हो जाय लेकिन

यह नहीं होगा अगर आप की नीति यही रही तो। आपको उसको घटाना होगा, अगर आप नहीं घटाते हैं तो उनकी जिन्दगी में आप कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते। इसलिये आपको कोई संकीण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये। आप को वह तरीका अपनाना होगा जिससे कि वे अधिक सुखी बन सकें। एक तरफ आज लोगों का स्टैन्टडर्ड मेनटेन करने का सवाल है और दूसरी ओर लोगों को रोटी देने का सवाल है।

आज हमारे यहां कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी गुजर बसर करने के लिये जमीन नहीं है, उनके पास कुछ साधन भी नहीं हैं। आज ६० फीसदी और ७० फीसदी ऐसे जोतें हैं जिनको अन-इकोनामिक होल्डिंग्स कहते हैं। तो आप एक फीसदी लोगों का स्तर मेनटेन करने के लिये तो सोचते हैं, लेकिन बाकी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। हम समझते हैं उनको आप तिरस्कार की भावना से देखेंगे। इसलिये हमने जो संशोधन रखा है वह इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये रखा है। हम चाहते हैं कि जमीन हम इकट्ठा करके भूमिहीनों को दें। आज जो उनके बीच की खाई है, विषमता है, वह दूर हो जाय और हमारा संशोधन उसी की पूर्ति करता है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन पर गम्भीरता के साथ विचार करे और उसे स्वीकार करने की कृपा करे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मुझसे पहले माननीय भीखालाल जी ने जो कहा उनकी बातों में काफी तथ्य था। उन बातों को देखते हुए मैं अपना संशोधन पेश करता हूं---खंड ४ के उपखंड २ (क) में शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "पच्चीस" रक्खा जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैं सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान उन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो उनके द्वारा पेश की गयीं, या जो केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है, या प्लानिंग कमीशन ने जिस सिद्धांत को माना है कि किस तरीके से यह सीमा निर्धारित की जायेगी। तो श्रीमन्, यह निर्विवाद है कि प्लानिंग कमीशन ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद में हमेंशा यह माना है कि तीन तरह की इकोनामिक होल्डिंग्स होती हैं और उनके आधार पर सीमा निर्धारित होनी चाहिये। माननीय चौधरी चरणसिंह जी ने बताया था कि कहीं पर इकोनामिक होल्डिंग्स १० एकड़ की मानी गयी है, कहीं १२ एकड़ की तो कहीं ६ १/४ एकड़ की। तो जो न्यूनतम है वह ६ १/४ एकड़ है। तो अगर हम औसत लेते हैं तो वह जाकर ८ एकड़ का बैठता है जिसमें सभी तरफ के जिले आ जाते हैं। तो अगर हम ८ को तीन से गुणा कर दें तो यह ८ इन्टू ३, २४ होता है।

श्री अधिष्ठाता---यह बात आपकी समझ में नहीं आयी, यह कैसे आपने ८ इन्टू ३ करके २४ निकाल लिया। यह कैसे निकाला आपने?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं यह अर्ज कर रहा था कि जैसे पश्चिमी जिलों के लिये इकानार्मिक होल्डिंग ६ एकड़ मानी गयी है और पूर्वी जिलों के लिये १० एकड़ मानी गयी है, इस तरह से अगर औसत लगायें तो ८ एकड़ ऐवरेज आता है। मैं सब जगह लाभ कर जोत एक हो, यह नहीं कह रहा हूं, वह अलग स्थानों में अलग-अलग हो सकती है। तो सारे प्रान्त को दृष्टि में रखते हुए ८ एकड़ औसत आता है, उसके लिये उसके हिसाब से प्लानिंग कमीशन का भी है सिद्धांत,जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कई बार प्रतिपादित किया है और नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के सदस्यों ने भी प्रतिपादित किया है। यह मान्यताएं हमारी तरफ के बैठने वालों की नहीं बल्कि दूसरी तरफ के बैठने वालों की हैं और उनके नेताओं की हैं। हमारी पार्टी, भारतीय जन संघ, के सिद्धांत हैं कि कैसी भूमि हो, कितना परिवार हो, जोत किसी को ३० एकड़ से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिये, लेकिन सदन में तो बहुमत है कांग्रेस वालों का, वह सही बातें मानते ही नहीं हैं। तो उन्हीं मान्यताओं की याद दिलाते हुए मैं निवेदन कर दूं जितना हम सीमा को कम कर सकते थे उतना रखा जाय। मैंने यह २५ एकड़ अपनी वजह से नहीं रखा, इसलिये रखा कि

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

सरकार अब भी माने। क्योंकि उनके सिद्धान्तों के अनुसार यह है। मैं आपकी इजाजत से २६ जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का "कुरुक्षेत्र" में जो बयान छपा है उसको पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---"कुरुक्षेत्र" मैगजीन से यह उतार लिया है, वह पढ़ रहा हूं।

जब नेहरू जी से पूछा गया कि स्टैंडर्ड एकड़ में सीलिंग कितनी होनी चाहिये तो प्रधान मंत्री ने कहा कि,

"I am telling you, I do not know. The first approach was, which I think has been done every where, that no one should add to his land by purchase. Take for instance that in .U P. some-time back, as far as I remember, 30 acres were put as the limit, nobody could get more, but if the person had more, it was left with him for the time being, but he could not add more to that 30 acres."

तो इससे स्पष्ट है। क्यों पंडित जी ऐसी बात कहते हैं ? क्योंकि पंडित जी और यू० पी० सरकार की कोई बातें हुईं तो उसके आधार पर जो उनका इम्प्रेशन हुआ उसको उन्होंने बताया, यानी यू० पी० सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि ३० एकड़ अधिकतम जोत होगी। हम मंत्री जी से कहते हैं कि अगर वाकई में आप को गरीब के लिये प्रेम है और यह चाहते हैं कि बड़े-बड़े खातेदारों से कुछ जमीन निकलें। अगर ४० एकड़ सीमा रखी जा रही है ५ व्यक्ति के परिवार के लिये अगर ६ रुपया और ४ रुपये के बीच के सर्किल रेट वाली हो तो मौजूदा विधेयक के अनुसार जोती ४० की ६० हो जायगी। अगर श्रीमन्, ४ से कम वाली हो तो ४० के बजाय ८० एकड़ ५ व्यक्ति के परिवार के लिये हो जायगी। और ८ या अधिक व्यक्ति के परिवार के लिये यह सीमा १२८ एकड़ हो जायगी। यह कोई न्यायोचित सीमा आरोपण नहीं है, जबकि इस प्रदेश में अगर सारे प्रांत की औसत जोत लगायी जाय तो १ एकड़ के करीब पड़ती है---अगर सबमें बराबर भूमि का बटवारा हो। तो उसमें किसी तरीके से १२८ एकड़ हमारी अधिकतम जोत रखी जाय उससे हम इस बिल के परपजेज को डिफीट करते हैं। भूमि का वितरण सबके लिये समान हो इस आशय से इस कानून को ला रहे हैं। क्या यही समान वितरण हुआ ? कहीं १ एकड़ और कहीं १२८ एकड़ दिया जाय, यह कहां तक उचित है इस पर माननीय मंत्री जी गौर करें। इस बिल की परिधि के बाहर हम जा नहीं सकते। ५ व्यक्ति वाले परिवार के लिये अगर २५ एकड़ रखा तो तीन और व्यक्तियों को ५-५ एकड़ मिल जायगा यानी १५ एकड़ और हो गया। तो ८ या ८ से ज्यादा व्यक्तियों के परिवार को ४० एकड़ पड़ा। पहले सवा ६ एकड़ की लाभकर जोत हो सकती थी और दूसरी तरफ मन्त्री जी यह कहते नहीं थकते कि हमारी पैदावार बढ़ रही है तो जब यह कहा जाय कि पैदावार बढ़ रही तब क्या दूसरी तरफ इकोनामिक होल्डिंग बढ़नी चाहिये ? जब पैदावार बढ़ती है तब तो एकोनामिक होल्डिंग घटनी चाहिये। इन दोनों बातों से विरोधाभास होता है। इसलिये अगर वास्तव में मंत्री जी गरीबों का कुछ भला चाहते हों तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिये वैसे वह जैसा चाहें करें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड २ (क) में शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "पचास एकड़' कर दिया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मालूम होता है लिखने में गलती हो गई, वास्तव में "५०" नहीं होना चाहिये, इसके स्थान पर "४८" होना चाहिये। कृपया यह संशोधन कर लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---अच्छी बात है।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, अगर इस धारा को ही सम्पूर्ण विधेयक कह दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी क्योंकि सीमा का निर्धारण इसी धारा के द्वारा किया जा रहा है और इस धारा की पुष्टि के लिये ही बकिया धारायें बनाई गई हैं। इसलिये यह एक बहुत ही जरूरी धारा है और इसपर, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, सूक्ष्म रूप से विचार होना चाहिये। श्रीमन्, इस विधेयक के लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी इस चीज को निवेदन करके तब और आगे कुछ निवेदन करूंगा। पहला कारण तो यह हुआ कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिये भूमि सीमा निर्धारित की जाय क्योंकि छोटे-छोटे खेतों में इंटेंसिव खेती करके उपज ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, यह तर्क दिया गया। दूसरा कारण यह दिया गया कि भूमि सीमा निर्धारित करके जो भूमि उपलब्ध होगी उसको बांट कर अलाभकर जोतों को लाभकर बना दिया जाय। और तीसरा उद्देश्य यह था कि अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांट दिया जाय।

श्रीमन्, यह तीन उद्देश्य तो जनहित वाले हुए लेकिन तीन उद्देश्य इसमें और अन्तर्निहित हैं, वह व्यक्त नहीं हैं अव्यक्त हैं। सूक्ष्म रूप से देखने से मालूम होता है कि वह कौन से उद्देश्य हैं। वे इस प्रकार से हैं: (१) समाजवाद ले आने का रास्ता, (२) कुछ लोगों से बदला लेने की भावना और (३) वोट के खजाने में सेंध लगाने का रास्ता। यह तीनों उद्देश्य छिपे हुए हैं। अब श्रीमन्, मैं पहले प्रकट उद्देश्यों पर निवेदन करना चाहता हूं। तो इससे यह मालूम होता है कि उनका पहला उद्देश्य इस बिल को लाने का यह है कि इससे खाद्यान्न में वृद्धि होगी। उसके बारे में मैं अपनी राय नहीं देना चाहता। जिस पार्टी की ओर से यह विधेयक आया है, उसी के महानतम नेता की बात कहना चाहता हूं। जिस वक्त नागपुर कांग्रेस में पूज्य पंडित जवाहरलाल जी सहकारी खेती के बारे में अपना प्रस्ताव पेश कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपने भाषण में इस तर्क को रखा था कि छोटी-छोटी जोतों में वैज्ञानिक साधनों का उपयोग नहीं हो सकता, इसलिये सहकारी खेती के द्वारा बड़े-बड़े खेतों में खेती ठीक से होगी। तो इसका पहला उद्देश्य कि सीलिंग से खाद्यान्नों की उपज बढ़ेगी उसके बारे में इसी पार्टी के महान नेता ने कहा कि नहीं बढ़ेगी। इसलिये उनका यह प्रकट उद्देश्य कि खाद्यान्न की उपज बढ़ेगी, सही नहीं है।

इसका दूसरा प्रकट उद्देश्य है कि भूमिहीनों को भूमि बांटी जायगी। श्रीमन्, आप देखेंगे कि ४० एकड़ की सीमा निर्धारित करने से ३ लाख एकड़ से कुछ अधिक भूमि उपलब्ध होगी जब कि हमारे सूबे में साढ़े सात लाख भूमिहीन परिवार हैं। इसके माने यह हैं कि अगर सब भूमिहीनों को बराबर-बराबर भूमि दे दी जाय तो अलाभकर जोतों में वृद्धि होने के अलावा और कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके अलावा हमारे सूबे में ६० लाख अलाभकर जोतें हैं और हमें ३ लाख एकड़ भूमि उपलब्ध होती है। अगर हम इस बात को मान लें कि ३ एकड़ भूमि प्रत्येक को देकर लाभ कर जोतें बना दें तो १ लाख जोतों को लाभकर बनाया जा सकता है। मगर वे हैं ६० लाख। तो इससे यह फल निकला कि इसका तीसरा उद्देश्य भी पूरा नहीं होता।

अब रही समाजवाद की बात। कम्युनिस्ट भाईयों ने इसमें संशोधन रखा कि ४० एकड़ के बजाय १२ एकड़ कर दिया जाय। मगर न जाने कैसे उन्होंने १२ एकड़ कर दिया क्योंकि इसी विधेयक के सिलसिले में कम्युनिस्टों ने जो विमत टिप्पणी दी है उसमें सवा छः एकड़ ही रखा है लेकिन इस समय १२ एकड़ कह रहे हैं।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। सौभाग्य से यह बात आपके सामने आयी आप ही यहां विराजमान हैं। अभी जब राम लखन मिश्र जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया तो वह संशोधन जिस प्रकार से वह इस एजेन्डे में अंकित है, उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया गया। उसमें पहले यह था "अथवा प्रकट रूप में उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम में हो अब मुझे मालूम हुआ कि वह इस प्रकार से पास हो गया है किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो"।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने संशोधित अमेंडमेंट ही मूव किया था।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—आप जरा मेरी बात को सुन लीजिये। कम से कम उन महानुभाव को यह कहना तो चाहिये था कि इस प्रकार से उस संशोधन को संशोधित किया जा रहा है, जिससे हम लोगों को मालूम हो जाता। और उसी के फलस्वरूप राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने जो दिया वह यह था "चाहे वह उसके अपने नाम में हो अथवा प्रकट रूप में उसके परिवार के किसी सदस्य के रूप में हो" यह अंश निकाल दिया जाय। तो यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि जो अमेंडमेंट यहां आवे उसका पता हमको लगे। जिस चीज पर बहस करें कम से कम वह चीज सदन के सामने आनी चाहिये। लिहाजा सचमुच यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज तक ऐसी कोई चीज इस सदन में नहीं हो पायी है। सौभाग्यवश आप भी इस सदन के पुराने सदस्य रह चुके हैं और मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त था। आज यह एक नयी चीज इस हाउस में हुई है कि न तो माननीय मंत्री महोदय ने उस संशोधित संशोधन के बारे में कुछ कहा और न माननीय सदस्य ने ही कहा और न आपने इस चीज की सूचना हम लोगों को दी।

श्री हुकुम सिंह बिसेन—मैंने कहा कि मैं श्री राम लखन मिश्र का संशोधित संशोधन स्वीकार कर रहा हूं। आपने सुना ही नहीं तो इसके लिये क्या कहा जाय।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—अभी एक संशोधन माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने सदन के सामने रखते हुए कहा कि मैं "चालीस" के स्थान पर शब्द "अड़तालीस" एकड़ रखने की आज्ञा चाहता हूं। जब कि एजेंडे में गलती से "पचास" एकड़ छप गया है। तो मैं आपसे कहता हूं कि उन्होंने खुले रूप में अपने इस संशोधन को सदन के सामने रख दिया। तो यह हम लोगों के साथ महान अन्याय हो जायगा। इस सम्बन्ध में अभी आप रूलिंग न दीजिये, उसे रिजर्व रखिये। इस के बारे में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस तथा और किताबों से एक नहीं बल्कि १०, ५ उदाहरण रख दूंगा तब आप रूलिंग देंगे। इसके लिये आप मुझे कुछ समय दीजिये। फिलहाल आप रूलिंग न दीजिये बल्कि मुझे सुन लेने के बाद रूलिंग दीजिये। आपकी जो रूलिंग हो वह पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार ही होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—मेरा जो निर्णय होगा वह पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार ही होगा और मैं उचित नहीं समझता कि इसके लिये आपको समय दूं।

माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया है उस पर मैंने विचार किया और पार्लियामेंटरी पद्धति की एक बात यह है कि जिस वक्त जो प्रश्न उपस्थित हो उसी वक्त उसके बारे में एतराज करना चाहिये। जिस समय श्री राम लखन मिश्र अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे थे उसी वक्त यह प्वाइंट आफ आर्डर उपस्थित करना चाहिये था, पहली बात।

दूसरी बात यह है कि माननीय राम लखन मिश्र जी का जो संशोधन का प्रस्ताव आया उसी के बारे में माननीय राघवेन्द्र प्रताप सिंह और माननीय गेंदा सिंह जी ने संशोधन का प्रस्ताव दिया। उससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि उनको यह अच्छी तरह से मालूम था और इसी वास्ते माननीय राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि पहले श्री रामलखन मिश्र का प्रस्ताव आ जाय और उस पर मैं माननीय मंत्री जी की राय सुनलूं तब अपना संशोधन पेश करूं। तो इससे साफ जाहिर है कि आपको अच्छी तरह से मालूम था कि संशोधित प्रस्ताव माननीय राम लखन मिश्र जी पेश कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो यह प्वाइन्ट आफ आर्डर है, वह चलता नहीं है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—ए प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर। अभी आपने मेरा हवाला दिया और माननीय गेंदासिंह का हवाला दिया। मेरा खयाल है कि माननीय गेंदासिंह इस संशोधन के माफिक ही हों या खिलाफ हों मैं नहीं कह सकता लेकिन उनको भी इस संशोधन में परिवर्तन का ज्ञान नहीं था। हर तरफ से बात हो जाने के बाद ही उनको इसका ज्ञान हुआ। श्रीमन्, जहां तक मेरा संबंध है मैंने जो संशोधन आपकी आज्ञा से पेश किया और जो

वापस किया उसमें मैंने "परिवार" शब्द ही प्रयुक्त किया था। अगर मैं जानता होता कि वह संशोधन परिवर्तित रूप में आया है यानी वहां "परिवार" शब्द आया ही नहीं है तो मैं दूसरे रूप में रखता। इससे साफ जाहिर है कि उनके परिवर्तित रूप में उपस्थित किये गये संशोधन से मैं वाकिफ नहीं था।

श्री अधिष्ठाता—माननीय गेंदा सिंह जी ने अपना संशोधन रखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि "प्रकट रूप में" निकाल दिया जाय और वही शब्द श्री रामलखन जी ने अपने संशोधन में प्रयुक्त किये हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—पूछ लिया जाय, माननीय सदस्य तो बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन है कि माननीय रामलखन मिश्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन में से शब्द "प्रकट रूप में" निकाल दिये जायं। इसके माने यह हुए कि श्री गेंदा सिंह जी को मालूम था कि वह संशोधन संशोधित रूप में सदन में पेश किया गया है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—आप उनसे पूछ लीजिये, वह तो बैठे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अधिष्ठाता महोदय, मैंने जवाब दिया था कि श्री रामलखन मिश्र जी का संशोधन जिस रूप में आया है उसके वह संशोधन खिलाफ पड़ता है और उसकी जरूरत नहीं मालूम पड़ती और मैं श्री रामलखन मिश्र का जो संशोधित संशोधन है उसे स्वीकार करता हूं। वह बात सब को मालूम थी, वह बेतवज्जह होकर सदन में बैठे और प्रोसीडिंग्ज को न सुनें तो इसमें कसूर किस का है?

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, हमारा कहने का हक है, जरा हमें सुन लिया जाय। आप की रूलिंग शिरोधार्य है। मैं केवल यह जानना चाहूंगा ..... मैं आप से अपील करूंगा कि आप जरा अपनी रूलिंग को रिवाइज करें।

श्री अधिष्ठाता—मैंने अपना निर्णय दे दिया, मैं उसको रिवाइज नहीं करना चाहता।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, ऐसा राइट आप को है। आप अपना निर्णय रिवाइज कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—मैं जानता हूं मैं कर सकता हूं लेकिन मैंने अपना निर्णय सोच समझकर दिया है और वह ठीक है। उसके बारे में मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि भूमिहीनों वाली समस्या का समाधान इसके द्वारा नहीं होता और उस विषय में मैंने कुछ चीजें बताई थीं लेकिन उनके अलावा मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि उसी दल के उन्हीं महान नेता ने जिन्होंने वह तर्क दिये थे उपज बढ़ाने के बारे में उन्होंने यह भी कहा था कि "सीमा निर्धारण बहुत आवश्यक है, हालांकि मेरा मत है कि उससे.....?

श्री अधिष्ठाता—यह आप किस किताब से पढ़ रहे हैं?

कुंवर श्रीपालसिंह—यह मेरी नोट बुक है। १६ मार्च, १९५९ के "स्वतन्त्र भारत" से मैंने यह लिखा है। तो पंडित जी ने कहा था कि "सीमा निर्धारण बहुत आवश्यक है, हालांकि मेरा मत है कि अवश्य ही इससे भूमिहीनों को कोई जमीन नहीं मिल पायेगी"। इसके अलावा उसी "स्वतन्त्र भारत" में एक दूसरे तारीख २२ दिसम्बर, १९५९ को कृषि मंत्री श्री देशमुख का बयान भी निकला था, उसमें उन्होंने कहा था कि "हदबन्दी से मिलने वाली भूमि भूमिहीनों में न बांटी जानी चाहिये। यह दो बातें उसी दल के नेताओं की हैं। इसके माने यह हैं कि भूमिहीनों वाला जो प्रश्न था वह भी यों ही प्रचारात्मक है उसका कोई असर नहीं है। असलियत में जो विधेयक लाया गया है वह, मैंने जो बाद के तीन सिद्धान्त बताये हैं, उनकी पूर्ति के

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

लिये लाया गया है और उनमें भी सब से पहली चीज जो है वह है वोट के खजाने में सेंध लगाना। उसी पर हमारे सब मित्र जुट पड़े हैं। कोई महाशय यह नहीं बतला सके क्यों सीलिंग होनी चाहिये उसका कोई सिद्धान्त हो ? किस लिये ४० एकड़ होनी चाहिये, किस लिये १२ एकड़ होनी चाहिये, किस लिये २५ एकड़ होनी चाहिये, किस लिये २० एकड़ होनी चाहिये ? मैंने समझने का प्रयत्न किया मगर कोई साहब बतला नहीं पाये। दोनों तरफ से दुहाई दी गई प्लानिंग कमीशन की कि उसने यह रिकमेन्ड किया है उसी आधार पर यह चीज है।

सब ने प्लानिंग कमीशन की बात को घसीट कर अपनी तरफ लाना चाहा। मगर मैं कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने जमीन नहीं बतलायी कि कितनी चाहिये। उन्होंने इनकम बतला दी कि १,६०० रु० साल ग्रास इनकम और १,२०० रु० साल नेट इनकम होनी चाहिये एक पारिवारिक जोत की। और उस पारिवारिक जोत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाय यह उन्होंने राज्य के ऊपर छोड़ दिया। और छोड़ा क्यों ? उसका भी प्रमाण है। जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट जो है जिसके सभापति थे पंडित गोविन्द वल्लभ पंत और उप सभापति थे श्री हुकुम सिंह जी, उसी में स्पष्ट कहा है, यह मेरे पास जमींदारी अबालीशन समिति की रिपोर्ट का खण्ड १ है पृष्ठ १९: "आराजी किस तरह की है, क्योंकि हर जगह आराजी एक-सी नहीं होती। सिंचाई के पूरे साधनों से युक्त जो उपजाऊ आराजी मेरठ में लाभकर मानी जाती है वह बुन्देलखन्ड में अलाभकर सिद्ध होगी क्योंकि वहां कृषि एक तो कष्ट साध्य होती है और दूसरे कभी ठिकाने की होती है और कभी नहीं"।

दूसरा तर्क देते हैं कि "किसान की कुशलता और परिश्रम; जिस खेती से, अब यहां इन शब्दों को देखें कि मंत्री जी कितनी गहराई तक पहुंचकर उस चीज को सोचे थे और आज कहां पहुंचकर सोच रहे हैं स्पष्ट कहते हैं। जिस खेती से एक ब्राह्मण को भरपेट खाने भर को भी नसीब नहीं हो सकता उससे एक कोरी को आवश्यकता से अधिक आय हो सकती है"। उसी रिपोर्ट में दूसरे क्लाज में कहा है "किसान के रहन सहन का ढंग", यह तीसरी चीज है। "तीन एकड़ की जो खेती एक चमार के लिये काफी हो सकती है उससे शायद एक राजपूत का काम नहीं चल सकता।"

जो प्लानिंग कमीशन की एक चीज कही गई सब तरफ से उस संबंध में मैंने बताया। इस प्रकार से कई ऐसी समस्यायें हैं जिनको सामने रख कर तब फिर उस चीज को कहा जा सकता है कि १,२०० रु० साल की आमदनी पर कितनी जमीन होनी चाहिये। उसके लिये सब से सीधा रास्ता जो है वह माननीय चरणसिंह जी ने अपने लार्ज होल्डिंग टैक्स तथा कृषि आय-कर में बतलाया। इन दोनों मे ७५ रुपये एकड़ नेट इनकम मानी गयी है। सरकार जिस आमदनी पर टैक्स लगाने वाली होगी उस आमदनी को वह कम करके दिखलायेगी ऐसा मैं मान नहीं सकता। अगर वह बढ़ा कर दिखलाई नहीं जायगी तो सही जरूर होगी। अगर ७५ रुपये एकड़ के आधार पर लार्ज होल्डिंग टैक्स और एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स लगता था, उसको हम मानते हैं तो १,२०० रुपये नेट इनकम पर १६ एकड़ का रकबा आता है। १६ एकड़ की एक पारिवारिक जोत होना चाहिये यह प्लानिंग कमीशन कहता है और इसी जमींदारी अबालीशन रिपोर्ट में भी एक हवाला है और पृष्ठ १८ पर कि लाभकर आराजी क्या है ? किंटिंग्स साहब ने "रूरल एकोनामी इन डकन" नाम की पुस्तिका मे लिखा है कि—"लाभकर आराजी वह जमीन है जिसकी आय से एक किसान लगान आदि देने के बाद भी अपना तथा अपने परिवार का भली प्रकार भरण-पोषण कर लेता है"। आदर्श लाभकर आराजी का क्या रूप होना चाहिये इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि "४० या ५० एकड़ की एक अच्छी आराजी हो जिसकी सिंचाई के लिये कम से कम एक अच्छा कुवां हो और रहने के लिये मकान।"

इस अबालिशन रिपोर्ट में माननीय मंत्री जी आगे चल कर कहते है "प्रान्त के पश्चिमी भाग में मजे की खेती करने वाला किसान साधारण रूप से दो अच्छे बैलों द्वारा १०, १५ एकड़ जमीन की काश्त करने की आशा करता है। उसी चीज को देखते हुए सरकार ने ७५ रुपये

एकड़ की जो आमदनी रखी थी वह बिल्कुल सत्य रखी थी और उसी आधार पर टैक्स लगाया जाता था। लिहाजा प्लानिंग कमीशन की बात को हम मानें तो १,२०० रुपये की सीधी आय पर १६ एकड़ जमीन होना चाहिये और उसी प्लानिंग कमीशन ने यह कहा कि अधिकतम सीमा निर्धारण करने में तीन पारिवारिक जोतें होना चाहिये। इसीलिये मैंने ४८ एकड़ की बात निवेदन की। न मंत्री जी की ४० और न हमारी पहले वाले संशोधन की ५०।

थोड़ा-सा यह भी निवेदन कर दूं कि ४० एकड़ जो रखा गया है उसके हिसाब से शुद्ध आय ९० रुपये एकड़ की माननी होगी और शुद्ध आय ९० रुपये एकड़ की मानते हैं तो लार्ज होल्डिंग टैक्स और एग्रिकल्चर इनकम टैक्स में ७५ रुपए एकड़ की आय मानकर जो सरकार का नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा ?

अगर आज हम ७५ के स्थान पर ९० रुपये एकड़ शुद्ध आय मान लेते हैं तो यह एक बड़ा भारी दोष आता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वही ७५ रुपये एकड़ शुद्ध आय मानी जानी चाहिये और उस आधार पर ४८ एकड़ जमीन होनी चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अगर एक गलती हो गयी तो उसे सुधारें न ?

कुंवर श्रीपालसिंह –वह तो आपने जानबूझ कर किया, गलती नहीं की। टैक्स लगाने के लिये आप कभी गलती नहीं कर सकते।

अब, हमारे कम्युनिस्ट लोगों ने कहा कि ४० के स्थान पर साढ़े १२ एकड़ रख दी जाय। कोई तर्क नहीं है कि क्यों साढ़े १२ एकड़ रख दी जाय। बस रख दी जाय और वह इसलिये कि घुड़दौड़ हो रही है, सब के घोड़े दौड़ रहे हैं तो हमारा ही क्यों टट्टू रह जाय। आप ४० एकड़ कह रहे हैं, जनसंघ ३० एकड़ कह रहा है, सोशलिस्ट २० एकड़ कह रहे हैं, फिर वह तो सब से अधिक प्रगतिशील हैं, उन्होंने साढ़े १२ एकड़ कह दिया। मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। दस रोज पहले जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल की और वह परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी देश के अन्दर , भगवान ने बड़ी कृपा की कि बच गये हम, अगर कहीं चार दिन के लिये भी हड़ताल सफल हो गयी होती और उन्हीं चार दिन के अन्दर चीन के चाऊ का चित्त चलायमान हो जाता तो हजारों साल की गुलामी, जिसको हमने किसी तरह से काटा है, वह फिर हमारे ऊपर लादी जाती। उस हड़ताल को हमारे कम्युनिस्ट माननीय दोस्तों ने सहयोग दिया और किस आधार पर १२५ रुपये मिनिमम लिविंग वेज के आधार पर। मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से पूछता हूं कि क्यों भाई, १२५ रुपये मिनिमम लिविंग वेज क्या खाली केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ही है, गांव में रहने वाले किसान ने आपका क्या बिगाड़ा जिसको आप कहते हैं कि साढ़े १२ एकड़ बहुत काफी है। अब जरा देखें कि साढ़े १२ एकड़ की ७५ रुपये एकड़ के हिसाब से क्या आमदनी आती है एक व्यक्ति की सिर्फ १५ रुपये माहवार। तो आखिर कौन-सा तर्क है कि उनके लिये तो १२५ रुपये मिनिमम लिविंग वेज हो और हमारे लिये १५ रुपये माहवार ही काफी है ? और यह भी वह कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इतनी हो, मिनिमम नहीं। १५ रुपये माहवार ऐसे आया कि साढ़े १२ एकड़ जमीन ५ आदमियों के परिवार में बांट दी जाय तो १८० रुपये आते है और एक आदमी की आमदनी १५ रुपये माहवार आती है।

अब उनकी बगल में चले आइये। हमारे जनसंघी दोस्त, जिन्होंने देश में भारतीयता कायम रखने के लिये एकमात्र अधिकार ले रखा है, उनके प्रधान मंत्री ने भी यहां अमीनाबाद पार्क में कहा था कि राष्ट्रीय सरकार की यह गलत बात है कि १२५ रुपये माहवार जो मिनिमम वेजेज हैं उसको भी वह देने के लिये तैयार नहीं है। अतः यह हड़ताल सही है। अब देखिये श्रीमन्, जनसंघ की पार्टी ३० एकड़ कहती है और हमारे भाई गोविन्दसिंह जी ने इसको घटाकर २५ एकड़ ही कर दिया है। उन्होंने सोचा कि घुड़दौड़ में कहीं हमारा घोड़ा पीछे न रह जाय। उनकी पार्टी की बात को लेकर चलें तो गांव में अच्छे से अच्छे किसान की आमदनी

[कुंवर श्रीपालसिंह]

३७ रुपये माहवार होती है और अगर गोविन्द सिंह जी की बात मानें तो केवल ३० रुपये हुई। अब मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जब ३० और ३७ रुपये माहवार में एक आदमी रह सकता है तो फिर केन्द्र के सरकारी कर्मचारियों के लिये मिनिमम वेजेज के लिये १२५ रुपये पर क्यों इतना हो-हल्ला मचाया था।

अब श्रीमन् समाजवादी भाइयों की बात भी निवेदन कर दूं। उनका कहना है कि २० एकड़ रखी जाय। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों रख दी जाय तो उसका कोई जवाब नहीं है। इसकी कोई तुक नहीं है। हमारे भाई भगवती सिंह जी ने कह दिया कि जमीन की किस्म का कोई ध्यान न रखा जाय यानी जिसके पास केसर की क्यारी है उसके लिये भी उतनी ही रखी जाय और जिसके यहां घास भी नहीं उगती है उसको भी उतनी ही रखी जाय। यह समाजवादी भाइयों का नक्शा है। मगर मजा यह है कि यह सब होते हुए भी इन लोगों ने भी जल जाने की भावना का संवरण नहीं किया, १२५ रुपये मिनिमम वेजेज रखने के लिये। श्रीमन्, यह चाहते हैं कि किसानों की आमदनी अधिकाधिक २० या २५ रुपये माहवार होनी चाहिये, और सरकारी कर्मचारियों की आमदनी १२५ रुपये से कम न हो। इस पर तुर्रा यह कि वह समाजवाद का प्रचार कर रहे हैं।

श्रीमन्, इन चीजों के निवेदन करने से मेरा मतलब यह है कि ऊपर के पहले जो तीन सिद्धान्त हैं वह हाथी के दिखावटी दांतों की तरह से हैं। सब से बड़ी बात यह है कि लोगों ने देखा कि ज्यादा कहने से ज्यादा लोग साथ आयेंगे इसलिये उस समय १२५ रुपये कहा और अब देखा कि कम कहने से लोग साथ आयेंगे इसलिये यह लोग २० या २५ एकड़ ही कहने लगे। लेकिन हमारे भाई जो यह सोचते हैं तो अब गांवों में भी बेवकूफ नहीं रह गये हैं। इसे वह अच्छी तरह से समझ लें। वह इनकी बात को अच्छी तरह से समझ लेता है, अच्छी तरह से देख लेता है। अब वहां केवल अक्लमंद ही रह गये हैं। वह हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं? हम नहीं सोचते हैं कि इससे क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी? इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल कुर्सी से मतलब है। हमारी कुर्सी सलामत रहे। इसके लिये हमें जो भी नाच नाचना पड़े उसके लिये हम तैयार हैं। इसी सिद्धान्त पर ये २० एकड़, १२ एकड़, ६ एकड़ की बातें चली हैं, वरना कोई भी यह सिद्धान्त नहीं है, न किसी माननीय सदस्य ने इसका प्रमाण दिया कि वह क्यों चाहते हैं। मैं यह आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि मेरे बाद जो वक्ता बोलें वह कृपया बतायें अपनी पार्टी का सिद्धांत कि किस आधार पर १२५ रुपये मिनिमम वेजेज को सपोर्ट किया और किस आधार पर १५, २० रुपये मैक्सिमम वेजेज रखते हैं? अगर वह इसका प्रमाण न दें तो कृपया वह हमारे ४८ एकड़ वाले संशोधन का समर्थन करें क्योंकि मैंने उसको सिद्धान्त पर रखा है। मैंने अलटपट बात नहीं कही है, और न प्रचार के लिये कहा है। अगर गलत बात कहने वाला होता तो ५० एकड़ वाले संशोधन पर चिपका रहता। लेकिन चूंकि प्लानिंग कमीशन के हिसाब से ४८ एकड़ आता है इसलिये मैंने संशोधन में ४८ कर दिया। मैं आपके द्वारा सदन के सारे माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि या तो वे तर्क दें कि वे क्यों चाहते हैं कि १५ एकड़, २० एकड़ या ३० एकड़ हो या फिर हमारे संशोधन को मानने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता---श्री नारायणदास, आपने दो प्रस्ताव किये हैं। एक हिम्मतसिंह जी के साथ हैं कि ३० एकड़ रख दिया जाय और दूसरा है कि १६ एकड़ रख दिया जाय। आप कौन-सा प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं?

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो प्रस्ताव ३० एकड़ का किया है, आपकी आज्ञा हो तो उसको पेश कर दूं। मैंने तो दूसरा प्रस्ताव दिया है वह संशोधित प्रस्ताव है। मैं चाहूंगा तो उसको पेश करूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं करूंगा।

श्री अधिष्ठाता---आपको ऐसा अधिकार नहीं है। आप कृपया बैठ जायं।

श्री हिम्मतसिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) (क) में "४०" के स्थान पर "३०" रख दिया जाय।

यह तो सभी मानते हैं कि एक फेमिली की आमदनी १,२०० रुपये है। उसका तिगुना ३६ सौ होता है। एक परिवार जिसमें ५ आदमी रहते हैं उसके लिये ३६ सौ रुपया होना चाहिए। अब यह देखना है कि अगर हम ४० एकड़ दे रहे हैं तो उसमें ३६ सौ रुपये आमदनी हो जायगी या नहीं। अभी इसी सदन के अन्दर अच्छी जमीन की मौरूसी दर ६ रुपये आंकी गयी थी। अगर हम पुरानी हिस्ट्री को देखें, तो हमको पता चलेगा कि मौरूसी दर कौन से काश्तकारों की थी। १९२६ में काश्तकार टेनेंट ऐट विल कहलाते थे, जो जमींदार के रहम पर रहते थे और उसके बाद १९३९ का ऐक्ट आया, तब काश्तकारों को कुछ स्टेबिलिटी दी गई और हेरेडिटरी रेट निश्चित किये गए। उसकी जो मौरूसी दरें हैं सीरदार, खुदकाश्त, शाकितुलमिल्कियत, दखिलकार और और भी कई किस्म के काश्तकार थे, उनकी अगर हम दरें देखें और जो जमींदार थे वह किस प्रकार से किसी जमीन को उठाते थे, उसको भी हम देखें तो हम सही आंकड़ों पर पहुंच जायेंगे कि ४० एकड़ रखें या ३० एकड़ रखें।

श्री अधिष्ठाता---आपके मित्र माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट २५ एकड़ ही चाहते हैं।

श्री हिम्मतसिंह--वह मेरी पार्टी ने कहा है कि कम से कम ५ एकड़ जो एक फेमिली की है और अधिक से अधिक ३० होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि तीन फेमिली वाली जमीन आज एक परिवार को मिलनी चाहिए और अधिक से अधिक ६ तक भी लिया जा सकता है। अर्थात् जब मेरी पार्टी ने ५ कम से कम मान लिया और अधिक से अधिक ६ तो ३० हो गया। गोविन्दसिंह जी ने बीच में रख दिया है। वह अपनी जगह पर ठीक है।

मैं यह कह रहा था मान्यवर, १९३९ के ऐक्ट के अनुसार (व्यवधान) उन्होंने जो कहा है ठीक कहा है, पार्टी मैनिफेस्टो के अनुसार कहा है, बीच में आ गए हैं वह। तो मैं यह कह रहा था कि जमींदार उस वक्त अपने पास नामिनल रेट पर बढ़िया से बढ़िया जमीन रखा करते थे और ३३ और ३४ की काश्त और पुरानी काश्त भी अपने लड़के, पोते और अपने अजीजों के पास नामिल रेंट पर दे दिया करते थे। उसके पश्चात् साकितुलमिल्कियत होती थी। उस पर लगान दखिलकारी से २ आने रुपया कम होता था और दखीलकारी का लगान मौरूसी दरों से २ आने कम होता था। तो इस प्रकार हमको पता चलेगा कि जो सीर और खुदकाश्त और अपने लड़कों, पोतों को नामिनल रेंट पर जमीन उठायी जाती थी वह जमीन और मौरूसी जमीन क्या कोई भिन्न थीं? मैं समझता हूं कि जमींदार के पास सब से बढ़िया जमीन रहती थी क्योंकि हर साल काश्तकार जमीन छोड़ता था। लेकिन ३९ के ऐक्ट के बाद उसने छोड़ना बन्द कर दिया क्योंकि उस समय सत्तारूढ़ दल ने कानून बना दिया था, उसमें स्टेबिलिटी आ गई थी। तो हम देखते हैं कि जो पुराने जमींदार थे उसकी जो सीर और खुदकाश्त थी और ३३-३४ की जमीन थी, उनके लड़कों आदि के नाम जमीन थी, आज मैं समझता हूं कि करीब-करीब उसी जमीन पर सीलिंग होने जा रही है जो नामिनल रेट पर थी। उसके लिए सन् ३९ में इसी कांग्रेस हुकूमत ने एक नियम बनाया है कि जिन लोगों का लगान सर्किल रेट से कम है उसके एक चौथाई तक लगान बढ़ाया जा सकता है और तीन चौथाई से अधिक नहीं किया जा सकता है। तो स्पष्ट मालूम होता है कि वह सर्किल रेट से एक चौथाई कम पर जमीनों को जोत रहे थे। तो आज मैं समझता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने, रुपया प्रति एकड़ अपने हिसाब से लगाया है अगर उसको एक चौथाई कम कर दें तो सिर्फ साढ़े चार रुपया एकड़ आता है और जो होल्डिंग ४० एकड़ वह मानते हैं वहां भी ३० एकड़ आ जाता है। जो मेरी पार्टी मैक्सिमम कहती है वह आ जाता है। साथ ही साथ अगर दरों को ले लें जैसा कि माननीय मंत्री जी ने ६ रुपया दिया, दखिलकारी का ५

[श्री हिम्मत सिंह]

रुपया ४ आना साकितुलमिल्कियत का ४ रुपया १४ आना और सीर और खुदकाश्त का ४ रुपया ६ आना के हिसाब से भी वह साढ़े चार से कम पड़ता है। एक चौथाई कम पड़ता है। तो ऐसी सूरत में वह ४० के बजाय ३० ही रह जाता है।

इसके बाद हमको यह देखना पड़ेगा कि इनकी पैदावार आज क्या हो गई। माननीय मंत्री जी का ३ सितम्बर का भाषण मैंने उठा कर देखा तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सूबे के अन्दर प्रतियोगिता चल रही है और उस प्रतियोगिता में लगभग ४२ मन और ४० मन प्रति एकड़ गेहूं पैदा हो रहा है और लगभग दो हजार या डेढ़ हजार मन के बताया कि गन्ना पैदा हो रहा है। आज हम यह मान लें कि जो प्रतियोगिता यह हो रही है उसमें इतना पैदा हो रहा है लेकिन आम किसान इतना पैदा नहीं करते हैं, वह आधा पैदा करते हैं। उसको २० मन मानकर देखें कि उनकी लागत क्या आकर पड़ती है। २० मन गेहूं की लागत लगभग ३०० रुपये आकर पड़ती है।

मेरी पार्टी कहती है कि एक फेमिली के लिये ५ एकड़ मानी जाय। हमारे हिसाब से ५ एकड़ का हिसाब ठीक उतरता है। जो मेरे से पहले बोले है, मैं उनको हर तरीके से यह बता रहा हूं कि चाहे आप पैदावार को ले लें या सर्किल रेट को ले लें उसका हिसाब ३० एकड़ आता है। यह हमारी पार्टी का दृष्टिकोण है और उसी हिसाब से ५ एकड़ का ६ गुना करके इस बात को रखते हैं। उसका कारण यही है कि चुनाव भी विधान सभा के लिये किसानों को लड़ना पड़ता है और सारा भार उनके ऊपर रहता है। इतना ही नहीं यदि आप हमारे इस प्रस्ताव को समझने का प्रयास करें तो यह बिल्कुल समझ में आ जायगा कि इसमें यह बहुत उचित मांग की गई है। चाहे आप पूर्व के भाग को देख लें और चाहे पश्चिम के भाग को वही हिसाब आकर पड़ता है। पश्चिमी जिलों की हालत तो मैं जानता हूं वहां पर तो फी एकड़ २५० और ३०० तक पड़ जाता है। इसी वजह से मेरी पार्टी कहती है कि इकनामिक होल्डिंग ५ एकड़ की होनी चाहिये। उससे यही हिसाब आकर पड़ता है। अगर उसको नेट वैल्यू को देखा जाय तो वही हिसाब आकर पड़ता है उससे ज्यादा नहीं पड़ता है। इस कारण से हर हालत में मैंने, जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है, उचित है और माननीय मंत्री जी को इसको मान लेने के लिये तैयार हो जाना चाहिये।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)—अधिष्ठाता महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से या मेरे मित्र की तरफ से जो संशोधन उपस्थित किया गया है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) में शब्द "चालीस" के स्थान पर "बीस" रख दिया जाय उसमें हमारे माननीय सदस्य श्री पालीसिंह जी ने सोशलिस्ट पार्टी की तरफ इशारा करके कहा है कि वह किस आधार पर २० एकड़ की मांग करते हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जिसके बारे में उन्होंने अपने संशोधन के द्वारा ४८ एकड़ की मांग की है उसका भी हिसाब देखा जाय। अगर हिसाब लगाया जाय तो ६ एकड़ वाली जमीन यानी ऊपर वाली बढ़िया जमीन ४८ एकड़ अच्छे किस्म की वह रखना चाहते हैं जिससे ४८ का ड्योढ़ा ७२ एकड़ जमीन इनको रखने का अधिकार होगा। अगर ३ रुपये से कम किसी का लगान है तो ४८ एकड़ का दुगुना कर दिया जाय तो ९६ हो गया। अगर एक परिवार में आठ यूनिट हैं तो एक यूनिट पर ८ एकड़ जमीन और दे दी जायगी। इस तरीके से तीन अतिरिक्त सदस्यों पर २४ एकड़ जमीन वह हुई। ४८ और २४ मिलकर ७२ एकड़ हो गई तो वह ७२ एकड़ जमीन अच्छे किस्म की उनके पास एक परिवार के लिये रखने का अधिकार होगा। अगर घटिया किस्म की जमीन हुई तो ७२ का दुगुना हो जायगा यानी १४४ एकड़ जमीन आपके कथनानुसार यदि आपका संशोधन स्वीकार हो जाता है तो एक व्यक्ति को १४४ एकड़ जमीन अपने पास रखने का पूरा अधिकार होगा।

इसके अलावा भी और कुछ सोचना है। आपने जो परिवार की परिभाषा दी है उसमें अगर मां आश्रित नहीं है तो वह भी १४४ एकड़ जमीन रख सकती है। अगर पति और पत्नी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आपस में झंझट है तो उनको भी अधिकार है कि वे अपना-अपना खाता अलग-अलग रखें। पुत्र और पुत्र का पुत्र और नाती भी पारिवारिक समझौते के अनुसार अपना अलग अधिकार मांग सकता है और मैंने हिसाब लगाया है कि १९६ को ५ जगह गुणा किया जाय तो ४८० एकड़ भूमि एक परिवार के लिये रखी जा सकती है। तो इस विधेयक के अनुसार आपको कितनी भूमि मिलेगी जो आप भूमिहीनों को दे सकेंगे। जिन महानुभावों ने ४८ एकड़ का संशोधन रखा है वह सरकार से भी आगे बढ़ गये। उनको खतरा है कि कहीं ऐसा न हो कि जो हमारे पास चार-चार हजार एकड़ के फार्म हैं वे इस बिल के द्वारा हमसे छिन जायं। अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो संभव होगा उनके लिये कि अपने अलग-अलग परिवार वालों के नाम करके कुछ ज्यादा जमीन बचा लें। इसके अलावा संशोधन में कहा गया है कि ३ साल पहले जिनके ट्रैक्टर चल रहे थे उनको अधिकार होगा कि २,००० एकड़ का फार्म रख लें। ऐसा करने पर कितनी जमीन भूमिहीनों को मिल जायेगी ? यह दलील बिल्कुल थोथी है और अपने स्वार्थसाधन के लिये यह संशोधन उनके द्वारा रखा गया है भूमिहीन खेतिहरों का गला काटने के लिये।

दूसरे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का कौन ऐसा आधार है कि जिसके अनुसार यह २० एकड़ की मांग की गयी है। मैं स्वतः किसान का बेटा हूं और अपने हाथ से खेती करता हूं। एक एकड़ में कुछ नहीं तो १० मन गेहूं पैदा होता है और २० में २०० मन होगा। अगर उसका भाव १० रुपये भी लगा लिया जाय तो २,००० रुपया हो गया।

श्री बलदेवसिंह—आप कहां की पैदावार के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री भजनलाल—मैंने हिसाब लगाया है और उस हिसाब से १६६ रुपये १० आना और ८ पाई की मासिक आमदनी पड़ती है। हमने माना है कि आमदनी में १ और १० से अधिक फर्क नहीं होना चाहिये। यह २० एकड़ की सीमा रखने से आमदनी में भी जमीन आसमान का अन्तर नहीं हो पायेगा। एक हल बैल से सवा ६ एकड़ भूमि आसानी से जोती बोयी जा सकती है, उसका तीन गुना अधिकतम जोत की सीमा होनी चाहिये। हमारा कहना है कि २० एकड़ तक की सीमा होनी चाहिये जिसमें बागात भी शामिल हों। तो मैं निवेदन करूंगा कि सदन इस ४० एकड़ के स्थान पर २० एकड़ की बात को स्वीकार करे ताकि भूमिहीनों को कुछ जमीन मिल सके। इस आशा से मैं इस संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता—(श्री नारायणदास पासी से) क्या आप अपना संशोधन पेश करना चाहते है ?

श्री नारायणदास पासी—जी हां, मैं उसे पेश करूंगा। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि —खंड ४ के उपखंड २ (क) में उल्लिखित शब्द "४० एकड़" के स्थान पर शब्द "१६ एकड़" रख दिया जाय।

मान्यवर, आज बहस का पांचवां दिन है। इस विधेयक पर बार बार विरोधी दल की ओर से यह आवाजाकशी होती रही है कि सरकारी पक्ष की ओर से किसी हरिजन ने बहस में भाग नहीं लिया है। वे क्षुब्ध हैं इससे कि वह इस विधेयक में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको यह मालूम नहीं है कि जिस वक्त पहले पहल यह विधेयक सदन में आया था उस समय अधिक से अधिक हरिजन सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। उस समय कई सदस्यों ने जब यह सवाल उठाया था कि यह सीमा साढ़े बारह एकड़, ६ १/४ एकड़ की होनी चाहिये और गांधी जी के विचारों का हवाला दिया गया था तो हमारे माननीय हुकुमसिंह जी ने जो जवाब दिया था मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं —"एक बात मेरे भाई महीलाल जी ने कही थी। कोई हरिजन अखबार है उसमें महात्मा गांधी जी की बात

[श्री नारायणदास पासी]

को कोट किया कि छोटी होल्डिंग्स में ज्यादा पैदावार होती है। बिल्कुल ठीक है। वह जुमला याद आ गया लेकिन उसमें यह कहीं नहीं है कि इतना एरिया स्माल होल्डिंग्स में होगा लिहाजा मैं कहता हूं कि ४० एकड़ स्माल होल्डिंग्स है। उससे भी इस तरह से कोई असर नहीं पड़ता है।"

राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय, यह क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री नारायणदास पासी—मैं यह प्रोसीडिंग्स से पढ़ रहा हूं। तो श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ठाकुर हुकुम सिंह जी ने तथा चौधरी चरणसिंह जी ने जो भी अब तक इस सम्बन्ध काम किये हैं वे इतिहास में अमिट हैं तब क्या हम उनसे सदन में लड़ते ? कदापि नहीं क्योंकि जिस समय जमींदारी एबालीशन बिल आया था उस समय भी विरोधी दल ने उसका विरोध किया था और उनके विरोध करने पर भी वह पास हो गया। और हर कठिनाइयों पर हमने विजय पायी थी। चौधरी चरणसिंह जी ने भी इस क्षेत्र में कितने सुधार किये, मैं उन्हें आज सदन के सामने रखना चाहता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले स्वतंत्र और राजा पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे ४० एकड़ से ४८ एकड़ पर आ गये। अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि जिस समय जमींदारी एबालीशन हुआ उस वक्त जमींदारों के लिये करीब १ अरब ५३ करोड़ का मुआवजा और पुनर्वास भत्ता दिया गया। यही नहीं बिना दस गुना दिये सीर काश्त पर उनकी भूमिधरी के अधिकार दिये गये बाग बरकरार रहे किसानों के भी लगाये थे उनके लगान बढ़ाये नहीं गये जब कि काश्तकार के व शिकमी के लगान सीर के लगान से दूने व तिगुने थे, इसके अलावा दूसरी चीज जिस वक्त शिकमी काश्तकार को सीर के अधिकार दिये गये उस वक्त यहां पर ८४ लाख शिकमी काश्तकार थे और उनके खाते थे उसमें ५९ फीसदी काश्तकार सीरदार हुए, बाकी ४१ फीसदी काश्तकार बेदखल कर दिये इन जमींदार लोगों ने। ५९ फीसदी में से भी हजारों ऐसे हैं जो आज तक बराबर लगान दे रहे हैं और जमींनें इन लोगों ने ले ली हैं और जोत रहे हैं।

तीसरी चीज मैं यह कहता हूं कि हमारे बाबू अवधेश प्रतापसिंह मौजूद हैं। आप भी बीकापुर तहसील से आते हैं, मैं भी आता हूं। वह बाबू साहब हैं, राजा साहब हैं, व कहते हैं कि वह जमींदार मूर्ख है जिसने इस अधिकार पर गरीब किसानों की जमीन को न छीन लिया इस वक्त हालात क्या है मिसाल के लिये बीकापुर तहसील में जाकर देख लीजिये कि जो शिकमी काश्तकार आज सीरदार है, जबरदस्त लोग लेखपाल से मिल कर शायद ही कोई खाता बचा हो जिसमें खास कर जो जमींदार हैं वह सीरदार के शिकमी बनने और खाते के कैफियत खाने में अपना नाम न लिखाया हो। आप आज यह कहते हैं कि हमारे ऊपर क्यों ऐसा सोशलिंग हो रहा है। लेकिन हम जमींदारों और ताल्लुकेदारों को कोई हैरेस नहीं कर रहे है। हम तो कह रहे हैं कि वह क्षत्री है, हमारे हुकुमसिंह भी क्षत्री है, शुक्ल ब्राह्मण है। हमारे यहां एक सिद्धान्त है कि—

"प्रजा सुखे सुखं राज्ञा, प्रजानांच हिते हितम्।
न आत्म प्रिय हित राज्ञप्रजानंतु प्रियं हितम्॥"

मतलब इसका यह है कि जो राजा है वह राजा उसी वक्त सुखी हो सकता है जब कि प्रजा सुखी होगी और प्रजा के हित में राजा का हित है। न निजी उसका कोई प्रिय है और न हित है, बल्कि राजा को जो प्रिय है वही राजा को प्रिय होना चाहिये। वेद में लिखा हुआ है कि ---"न सो अस्मयक्रम समिति गच्छेततौः ना कर्षति हालन क्षेयः"॥

वह आदमी चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्री हो या वैश्य या शूद्र हो, कोई सभा सोसाइटी में नहीं जा सकता है जब कि वह अपने हाथ से हल न चलावे तब हमारा देश धन धान्य से भरा था। १९५२ में अकबरपुर में जो बाबा वीर बंड देव का गढ़ व स्थान है, वहां पर हजारों

किसान मौजूद थे। चौधरी चरणसिंह मौजूद हैं जिस वक्त पहला जमींदारी एबालीशन ऐक्ट का जलसा हुआ था, उस वक्त आपने कहा कि जमीन उसकी होगी जो अपने हाथ से जोतेगा। वही जमीन का मालिक होगा। गांधी जी यही कहा करते थे। कौन सी नयी बात हो गई। आज कुंवर श्रीपालसिंह जो राजा साहब मनिकापुर की बात को अच्छी तरह से रखा, वे प्रभावशाली और विद्वान हैं, लेकिन वह पूछते हैं चैलेंज करते हैं कि कौन सा ऐसा कारण है सीलिंग करने का? तो मैं कारण बतला रहा हूं वह यह है कि हमने अपने संविधान में इस बात को रखा है और यह हमारा लक्ष्य है कि जितनी देश और प्रदेश में विषमताएं होंगी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उनको हम दूर करेंगे, वर्ग-विहीन समाज कायम करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब वह मानने लगे हैं।

श्री नारायणदास पासी—इस विधेयक में कारण व उद्देश्य लिखा हुआ है कि उन लोगों के लिये यह कानून लाया गया है जो कि खेतिहर मजदूर हैं, जोकि गरीब हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, जिनमें बेकारी है, बेरोजगारी है और जो मोटा अन्न, सड़ा गला, महुआ व जड़ खाकर रहते हैं, उनके लिये यह विधेयक लाया गया है।

(इस समय ४ बजकर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष—आप जारी रखें।

श्री नारायणदास पासी—अब हम श्री पालसिंह साहब को बलताना चाहते हैं कि वह इस विधेयक के उद्देश्यों को कृपा करके देख लें। अब मैं इस विधेयक की तहत में बहस करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में १९५० में जो हड़ताल हुई थी उसकी रिपोर्ट निकली है, उसमें है कि ५ एकड़ से कम के जो किसान हैं उनकी पूरे प्रदेश के कुल जोत में जो ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन है उसमें उनकी भूमि केवल ३९, प्रतिशत है, और उनकी कुल आबादी ८१ प्रतिशत है ५ एकड़ से १६ एकड़ तक जमीन वालों की जोत ३९ प्रतिशत है और उनकी आबादी साढ़े १६ प्रतिशत है लेकिन जिनके पास १६ एकड़ से ज्यादा जमीन है। उनके पास २२ प्रतिशत जमीन है और उनकी आबादी सिर्फ ढाई प्रतिशत है। इस प्रकार से हमारे यहां विषमता है। इसके अलावा हमारे यहां इस प्रदेश में १,२२,७८,२८९ जोतें हैं या खाते हैं जिनमें १० एकड़ से कम जोत रखने वालों की संख्या ९४ प्रतिशत है और १ एकड़ से जिनके पास कम खेत हैं वह ४६ फीसदी हैं। जब इतनी विषमता हो तब माननीय माल मन्त्री जी ऐसा विधेयक लायें तो अपनी सरकार व माननीय माल मन्त्री को धन्यवाद देते हुये भी मैं समझता हूँ कि वह समुद्र में एक बून्द के बराबर है।

अब मैं विधेयक पर आता हूँ। अगर हम ४० एकड़ जोत की अधिकतम सीमा मानते हैं और अगर ३० एकड़ मानते हैं तो दोनों में क्या अन्तर होगा यह मैं बतलाना चाहता हूँ। ३० एकड़ के हिसाब से हमारे प्रदेश में २५,५७९ खातेदार हैं जिनके पास २६,३६,५४५ एकड़ जमीन है और ४० एकड़ अधिकतम जोत में १९,२३७ खातेदार हैं और उनके पास १८,५८,२६९ एकड़ जमीन है। ३० एकड़ और ४० एकड़ में कोई विशेष फर्क नहीं, केवल ५ सात लाख एकड़ जमीन का फर्क पड़ता है। ४० एकड़ अगर हम सीमा मानते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा ४ लाख ३७ हजार एकड़ जमीन मिल सकती है और गांव समाज की जो जमीन मिलती है वह ऊसर बंजर होगी। श्रीमन, जमीन्दारी खत्म होने के बाद जो गांव समाज बने उनको ९३ लाख एकड़ जमीन दी गई ऊसर बंजर। गांव समज मैनुअल धारा १९८ में लिखा हुआ है जमीन देने में खेतिहर मजदूरों को प्राथमिकता दी जायगी लेकिन इतने दिन बीतने पर भी अभी तक केवल ५३ हजार एकड़ जमीन ही खेतिहर मजदूरों को दी गई है और बाकी जमीन गांव सभाओं के सभापतियों ने अपने सगे सम्बन्धियों के नाम कर दी जब कि आंध्र में तहसीलदारों ने ऐसी जमीन भूमि हीनों को बांट दिया। अब जो जमीन बची और इस बिल के जरिये जो जमीन होगी उसको माल मन्त्री जी खेतिहर मजदूरों और कोआपरेटिव सोसायटीज को बांटेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा कुल मिला कर ३० लाख एकड़ जमीन बच सकती है और वह भी बच पाये या न बच पाये और प्रदेश में

[श्री नारायणदास पासी]

३६ लाख खेतिहर मजदूर हैं। इसके अलावा जैसा मैंने अर्ज किया अगर शिकमी काश्तकार जो बेदखल हो गये हैं उनको १५ लाख मान लिया जाय तो उनकी भी संख्या काफी हो जाती है।

अब हम एक एकड़ से कम खेती करने वालों और ५ एकड़ या दस एकड़ से कम खेती करने वालों की और भूमिहीनों को मिलाकर सारी स्थिति पर भी गौर करें। तो हम यह पायेंगे कि हमारे प्रदेश में आधे से ज्यादा गरीब किसान श्रमिक हैं, उनके पास कोई साधन आज नहीं हैं जिनसे वे अपनी जीविका अच्छी तरह से चला सकें। इसलिये मैंने अपने संशोधन में इस बिन्दु में लिखित आधार पर ही कहा कि ३,१/८ एकड़ जमीन एक खेतिहर मजदूर के लिये दी गई है। अगर ५ आदमियों का परिवार मानें तो ६६ एकड़ जमीन एक परिवार के भरण पोषण के लिये काफी होती है। अगर हमारा संशोधन मान लिया जाय तो कम से कम १ अरब ३५ करोड़ रुपया जो अमरीका से गेहूं खरीदने में लगता है वह लगना खत्म हो जायगा। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी ने यह विधेयक लाकर पहला काम गरीबों के लिये किया और हमारा संशोधन मान कर दूसरा बड़ा काम भी शीघ्र वह करेंगे। १२८ एकड़, ६४ एकड़, ८० एकड़ या ४० एकड़ जमीन लिये रखिये लेकिन अगर खाद नहीं होगा और अच्छे हल बैल नहीं होंगे, श्रमिक नहीं होंगे, तो क्या होगा ? प्रदेश का उत्पादन घटे गा भूख बढ़ेगी। गेंदासिंह जी यहां आज प्रदेश भर की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं, राजनारायण जी सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं, झारखन्डेराय जी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता हैं, इसी तरह हमारे अलगूराय शास्त्री कांग्रेस के जो सभी भूमिहार हैं इन सबने अपने हाथ से खेती करके खेत बनाये हैं, वे मिट्टी के साथ मिट्टी बन गये हैं। जमीन्दारी एबालीशन से बैकवर्ड क्लासेज और अहीर, लोदी, कुर्मी आदि व भूमिहारों की दशा सुधरी है क्यों कि यह स्वयं अच्छे किसान हैं। परन्तु राजा लोग तो खेतों तक जा नहीं सकते हैं। उनको तो पासी चमार चाहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—आप हमारी पार्टी में आ जाइये।

श्री नारायणदास पासी—हमने आप की सदैव सेवा की है। आपके साथ सेवक रहा हूं। आप के गोबर वगैरह सब उठाये हैं। अब आप क्यों हमें अपने साथ रखेंगे ?

खैर, मैं यह कह रहा था कि हमारी सरकार इस बात पर तुली हुई है कि वह इस देश और प्रदेश से गरीबी को मिटा कर छोड़ेगी। इसलिये उसने जमीन्दारी अबालीशन किया। आज के युग में भारत भी विश्व का एक गांव बन गया है। चारों ओर धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप अपने संशोधन पर ही बोलें।

श्री नारायणदास पासी—हमारा भारतवर्ष देश संसार से अलग नहीं है। यहां जनता का राज्य है जैसा कि और जनतान्त्रिक देशों में है। जो जनता कहती है वही सरकार करती है। जनता की ही बनायी हुई यह सरकार है। हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्यों के हमेशा विशेषाधिकार रहे हैं जिससे देश गरीबी गुलामियों में दबा रहा है। अगर हम देश का भला चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े तो हमें इन विशेषाधिकारों को मिटाना ही होगा। जनतन्त्र में किसी के लिये विशेषाधिकार की गुन्जाइश नहीं रह जाती है। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है। इससे विशेषाधिकारों को खत्म करने में सहायता मिलेगी। उनको हटाने का अब समय आ गया है और अगर आप नहीं हटायेंगे तो कौन हटायेगा ? क्यों कि गरीबी व वर्ग भेद के रूप में रूस व चीन आपके घर में ही बैठा है। आप जानते हैं कि हमें तो कितने फूट, असमानता और छुआछूत है। अगर अपनी बनाई हुई चीज को आप स्वयं ही हटा देंगे तो वह आप ही हट जायगी। और प्रदेश व देश सुदृढ़ आत्म निर्भर और स्वर्ग बन जायगा।

तीन-चार रोज से इस बिल पर राजा लोगों ने एक दम हमला बोल रखा है। एक-एक खंड पर एक-एक दो-दो दिन लग जाते हैं और बेकार में समय बरबाद होता है। साथ ही साथ कोई तर्क ऐसा नहीं है जो समझ में आये सिवाय इसके कि गरीब आदमी का और गला काटा

जाय । उनके पास से जाय नहीं बल्कि जितना ज्यादा से ज्यादा खींच सकें उतना खींच में । ऐसी दिशा में मैं उनसे व माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा जो संशोधन है वह अपनी जगह पर बहुत अच्छा है और उसके मान लेने से उस गरीब जनता का भला होगा जो गरीब है, निरीह है, मिट्टी के बरतन में खाना खाती है । इन अशिक्षित नर नारी कंकाल शरीर धारी जनता प्रदेश में अत्याधिक हैं । वह समाज और राज्यपदों में नौकरी चाकरी नहीं चाहती है बल्कि चाहती है उसको उस भूमि में हिस्सा दिया जाय जिसको वह कमाते हैं । प्लानिंग के अन्दर जो भी निर्माण के कार्य हो रहे हैं, उनके द्वारा जो भी रुपया लोगों को मिलता है वह उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास जमीन है । तकावी उनको मिलती है, खाद उनको मिलती है, वे सम्पन्न सुखी हैं मगर गरीब भूमिहीन ? उनके लिये तो उनका कुआं भले ही साफ करा दिया जाय बाकी वे हताश और निराश हैं । इसलिये जो अमीर हैं वह दिन-दिन अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वह दिन-दिन और गरीब होता जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष---अब आप काफी बहस कर चुके हैं । माल मन्त्री जी को भी तो जवाब देना है ।

श्री नारायणदास पासी---अगर किसी बैल को जोता जाता है तो उसको चारा दिया जाता है, हलवाहे को चाकरी देते हैं लेकिन क्या ४, ६ या ८ आने से उसका और उसके परिवार का भरण-पोषण हो सकता है । अगर भरण-पोषण ही वह नहीं कर सकता है तो उसके बच्चे किस प्रकार से शिक्षित होकर फूलें फलेंगे । इसलिये देहात में खेती ही उनका एक जरिया है जिसके द्वारा गरीब आदमी को रोजी मिल सकती है, उसको ऊंचा उठाया जा सकता है और प्रदेश व देश की उन्नति हो सकती है । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ।

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत खंड इस विधेयक का महत्वपूर्ण खंड है । सम्भवतः इसपर जितने संशोधन आये हैं वे भी इस सदन के प्रत्येक दल के लिये मैं समझता हूँ कि उनकी समझ में महत्वपूर्ण ही होंगे । इसलिये मैं आपकी अनुमति से एक एक संशोधन पर अपने विचार रखूंगा ।

श्री अध्यक्ष---यह तो अब आप अगले दिन ही कह सकेंगे ।

गोरखपुर जिले में ऐजड ताल से नाला निकालने के कारण किसानों को मुआवजे के भुगतान से सम्बन्धित २ अगस्त, १९६० के प्रश्न १०-११ के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष---अब गोरखपुर जिले में ऐजड ताल से नहर विभाग द्वारा नाला खुदवाये जाने के कारण किसानों को मुआविजे के भुगतान से सम्बन्धित श्री अब्दुल रऊफ लारी के २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०-११ पर श्री प्रतापसिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद होगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने नियम ५० के अन्तर्गत इस महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर हमें सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है उसे जानने के लिये मुझे सौभाग्य प्राप्त करवाया है । उसके लिये मैं आपके अपना आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, प्रश्न यह पूछा गया था---क्या सरकार बतलाने कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के ऐजड ताल से नहर विभाग द्वारा नाला खुदवाने किसानों से जो जमीन ली गई है उसका मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? इसका

[श्री प्रताप सिंह]

माननीय मन्त्री जी की ओर से दिया गया--जी हां, बात तो सही है । पहले यह कायदा था कि लोग अपनी कंसेन्ट दे देते थे और जमीन ले ली जाती थी, कम्पेनसेशन बाद में दिया जाता था । जब इस पर बहुत एतराजात हुये तो सरकार ने ३, ४ साल हुये हिदायत देदी है कि बिना कम्पेनसेशन दिये हुये जमीन को रिक्वीजिशन न किया जाय । उसके बाद मान्यवर, आपकी ओर से यह कहा गया कि सवाल यह नहीं था। सवाल था कि सरकार ने जमीन तो कब्जे में ले ली और तिस पर भी उनको लगान देना पड़ रहा है। यह बात सही है या नहीं ? यह जब मान्यवर की ओर से पूछा गया तो माननीय मन्त्री ने कहा--यह तो कम्पेनसेशन में मुजरा हो जाता है। उसके बाद फिर मन्त्री जी ने कहा कि--"असल में जो लगान इस तरीके से दिया गया वह जब से जमीन मुहकमे के कब्जे में आई है, वापस कर दिया जायगा ।" फिर माननीय अध्यक्ष की ओर से पूछा गया तो मतलब यह हुआ कि लगान तो हर साल लिया जायगा लेकिन कब्जा आप का रहेगा । फिर उसके बाद मन्त्री जी ने कहा कि वह वापस हो जायगा । मान्यवर, मैं आपके जरिये से माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सन् ५७ में भी ऐसा प्रश्न माननीय सदन में आया था । और उस समय माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पहले सब तय हो जायगा और उसके बाद जमीन ली जायगी और लगान नहीं लिया जायगा किसानों से । लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट सोलहवीं धारा में यह लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जमीन ली जायगी और लगान का क्या होगा ।

"*TAKING POSSESSION*--When the Collector has made an award under section II he may take possession of land which shall thereupon be free from all encumberances."

मान्यवर, यहां पर एक जवाब में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमने नाले के लिये जमीन ली है और दूसरे जवाब में यह भी कहा कि लगान अब भी लिया जा रहा है । तो मैं आपके जरिये से जानना चाहता हूं कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट महोदय भी होंगे, तसीलदार महोदय भी होंगे, उन्होंने किस ऐक्ट की किस धारा के अन्तर्गत जमीन कैनाल विभाग को दिलवाई और उसके बाद लगान फिर क्यों माफ नहीं किया ? लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कंसलटेशन से इर्रीगेशन विभाग को जमीन दी । दफा १६ सब पर लागू होता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि कलेक्टर ने ऐसा कोई एवार्ड दिया था ? अगर नहीं दिया था तो किस कानून के मातहत उसका पोजेशन लिया गया । पहले यह तय था कि लगान नहीं लिया जायगा लेकिन उसके बाद भी जब आपको विभाग का पोजेशन मिल गया तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ । यह एक ही जगह की बात नहीं है शारदा कैनाल, दोहरीघाट कैनाल और न मालूम और कितने डैम्स शारदा सागर, नानक सागर और न मालूम कितने डैम्स बने हैं जिनका पता हमको नहीं मिलता, इन तमाम जगहों पर सैकड़ों और लाखों किसान इससे प्रभावित हैं । जब हमारे यहां लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट और लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट मौजूद हैं और सरकार के दिये हुए आश्वासन भी हमारे सामने मौजूद हैं कि जब तक हमारे सारे कागजात तैयार न हो जायं और जबतक हम उनको कम्पेनसेशन न दे लें, तब तक उनकी जमीन न लें और जमीन लेने के बाद उनसे लगान न लिया जाय । ये तमाम बातें हुईं जिनका जवाब मन्त्री जी ने दिया । हमारे सवाल जवाब करने से तो कुछ बिगड़ता नहीं है लेकिन जब एक गरीब आदमी जिसके ऊपर एक आना या एक रुपया सरकार का बाकी रह जाता है तो सरकार उसके बैलों को कुर्क कर लेती है । परन्तु जब उससे अधिक वसूल किये गये लगान की बात कही जाती है तो सरकार कहती है कि उसको वापस कर दिया जायगा । अगर उसका १०० रुपया होगा तो अन्त में ५ पया ही उसको मिल पायेगा । ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इन सब का जवाब दें ।

*सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री महावीर सिंह)--श्रीमन्, इस मामले में कुछ थोड़ी सी गलत फहमी जरूर रही और वह गलतफहमी इस बात पर मबनी थी कि इस एजड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ताल के नाले के खुदवाने के सम्बन्ध में किसानों से लगान लिया गया या नहीं। उस दिन जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा तो यह अन्दाजा हुआ, निश्चित सूचना तो नहीं थी, लेकिन यह अन्दाजा हुआ कि सम्भवतः लगान दिया गया होगा और उसी से इस प्रश्न में गलतफहमियां उपस्थित हुई। बहुत कम समय मिला था, उस थोड़े से समय में यह सम्भव न था कि इस विषय विशेष के बारे में निश्चित रूप से पता लगाया जा सके कि वाकई लगान लिया गया या नहीं। जहां तक नीति का सम्बन्ध है, मैंने यह उस दिन भी स्पष्ट किया था और आज भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार कई आदेश जारी कर चुकी है और मैं उन आदेशों की तिथियां भी बता सकता हूँ। पहला आदेश ६–६–५७ को भेजा गया और उसके बाद ऐसा ही एक आदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू का ११ सितम्बर, सन् ५७को भेजा गया और उस के बाद उनको १३ मई, सन् ५८ को फिर दोहराया गया है। जहां तक इस सम्बन्ध में सरकार को राय है उसको कभी भी इस विषय में २ राय नहीं रहीं बल्कि वह हमेशा एक ही राय रखती है कि जब कब्जा ले लिया जाय उसके बाद किसी भी हालत में किसानों से लगान नहीं लेना चाहिये और बराबर इन राज्य आदेशों में इसी बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी हालत में उन किसानों से लगान वसूल न किया जाय जिनकी जमीन का कब्जा ले लिया गया है। मैं समझता हूँ कि इतने स्पष्टोकरण के बाद अब स्थिति साफ हो गई होगी।

श्री प्रतापसिंह––क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो बताया कि इस तरह के आदेश भेजे गये थे कि जिन की जमीन ले ली जाय उनसे लगान न लिया जाय, लेकिन जिनकी जमीन ली गई उन किसानों के हित में उस आदेश का पालन हो रहा है या नहीं? या लगान उनसे अब भी लिया जा रहा है?

श्री महावीरसिंह––मैंने इस बात को स्पष्ट करने की अभी कोशिश की, सम्भवतः माननीय सदस्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जहां तक इस विशेष मसले का सम्बन्ध है इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ताकि निश्चित रूप से कहा जा सके कि वसूली हुई या नहीं लेकिन जहां तक व्यापक रूप से सिद्धान्त का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में मैंने बताया कि राज्य आदेश और उसके बाद रिमाइन्डर भी भेजे गये हैं कि अगर जमीन का कब्जा सरकार ले ले तो उसके बाद किसी भी हालत में लगान की वसूली न की जाय और सरकार का विश्वास है कि अब इन आदेशों की पाबन्दी हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––क्या मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि उक्त जी० ओ० की अवहेलना किये जाने की स्थिति में कोई दन्ड आदि की व्यवस्था है कि ऐसे अधिकारियों को दन्ड दिया जाय और क्या उस लगान के रिफन्ड किये जाने की भी कोई व्यवस्था है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)––जहां तक लगान को वापस करने की बात है वह तो जरूर वापस किया जायगा और अगर कहीं अवहेलना की गई होगी तो वह चीज देखने की है, उस सम्बन्ध में जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)––यह प्रश्न केवल गोरखपुर का ही नहीं है, हजारों एकड़ जमीन ली गई है और उसकी किसानों से मालगुजारी वसूल की जाती है। तो जब से ऐसा जो० ओ० गया है उसके बाद कहां-कहां इस तरह की अवहेलना हुई इसकी सरकार छान-बीन करेगी क्योंकि कई बार इस तरह की चर्चा सदन में हो चुकी है? जानकारी करने के बाद जिनकी जिम्मेदार समझी जाय और जो कसूरमन्द हों उनको क्या दन्ड देने की व्यवस्था सरकार करेगी?

श्री गिरधारीलाल---मैं समझता हूं इस जी० ओ० का पूरी तौर से पालन किया जा रहा है। जहां नहीं किया जा रहा है वहां से इत्तला आयेगी तो उस पर पूरी कार्यवाही करेंगे । इस मसले को और खासतौर से देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---उस रोज उन्होंने यह कहा था कि शायद लगान वसूल किया जा रहा है । अब तो स्पष्ट यह जी० ओ० पढ़कर सुना दिया गया कि लगान वसूल नहीं करना है । तो प्रोजम्पशन शायद यही है कि नहीं वसूल हो रहा होगा । लेकिन अगर माननीय सदस्य कहीं देखते हों कि वसूल हो रहा है तो मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करें, वह उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा काम्प्लीकेटेड सवाल है । मालगुजारी वसूल करना रेवेन्यू विभाग का काम है और जमीन ऐक्वायर करना पी० डब्ल्यू० डी०, इरीगेशन डिपार्टमेंट का काम है । यह जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद कागज तैयार नहीं होते । जब तक कागज तैयार नहीं होते तब तक लगान छूटना मुश्किल है क्योंकि जमींदारी खात्मे के बाद जो खेत थे वह भी एक खाते में शामिल कर दिये गये। तो जिस रकबे का लगान वह कम करें तो वसूल करने वाले महकमे के सामने दिक्कत पड़ती है क्योंकि कागज देर में बनते हैं, और उसी दिक्कत के कारण मंत्री जी भी आज तक पता नहीं लगा पाये कि वसूल होता है या नहीं. . . .

श्री अध्यक्ष---आप यह कह रहे हैं इतना समय हो गया उन्होंने पता नहीं लगा पाया । आप का जो प्रश्न था, उसमें लगान का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि मुआवजे का प्रश्न पूछा था और आपने अचानक पूछ लिया कि लगान वसूल करते हैं या नहीं । तो मंत्री जी ने भी अचानक कह दिया कि शायद वसूल हो रहा होगा । अब उन्होंने तहकीकात करके आपको अपने आदेश बता दिये । अब आपका काम है कि आप देखें कहां पर उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो उस पर कार्यवाही कोई हो सकती है । आप सवाल करें ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---मंत्री जी बतायेंगे कि जब तक लगान अलग न हो जाय या मुआवजा न दे दिया जाय तब तक किसी किसान की जमीन पर कब्जा न किया जाय, ऐसा आदेश निकालेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो राय का प्रश्न है, आदेश तो उनका है ही ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---यदि प्रदेश में इस जी० ओ० के मुताबिक ऐसे अधिकारियों को सजा देने की व्यवस्था है जो बिना ऐक्वायर किये जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो क्या इस तरह की व्यवस्था मंत्री जी करने की बात सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता । उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि बिना इजाजत कब्जा कर लिया गया । उन्होंने यह कहा कि लोगों ने कानूनी कार्यवाही न करते हुये चूंकि नहर निकलने वाली थी लिहाजा खुद कब्जा दे दिया, यह जवाब में है । यह कहीं नहीं है कि बिना कानून के सरकार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या सरकार अब ऐसे आदेश भेजने की कृपा करेगी कि यदि कम्पेनसेशन पहले मिल रहा हो तो उसके साथ लगान भी रिफंड कर दिया जाय या मालगुजारी वसूल हो रही है तो लगान को ऐडजस्ट कर लिया जाय जो वसूल हो गया हो ?

श्री गिरधारीलाल---यह प्रश्न तो पैदा नहीं होता । फिर भी हम देख लेंगे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मेरी निश्चित जानकारी है कि देवरिया में १९५० में १५५ एकड़ जमीन टाउन प्लान के लिये ऐक्वायर हुई थी और उसमें से २५ एकड़ का न मुआवजा दिया गया और न मालगुजारी बन्द हुई . . . .

श्री अध्यक्ष---यह सवाल इसमें नहीं है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—उसका रेवेन्यू से ताल्लुक है ?

श्री अध्यक्ष—आपको सिद्धान्त मालूम हो गया अब आप खुद तहकीकात करें । आपके सिद्धान्त को मानते हैं, अब आप देहातों में तहकीकात करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो पजेशन कब्जे की डेफिनेशन लिखी हुई है वह एक्वायर करने की है या दान द्वारा या अन्य प्रकार से कब्जा कर लेते हैं उसकी भी डेफीनेशन है ?

श्री महावीरसिंह—पजेशन की वही डेफीनीशन है जो पजेशन की है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सरकार जब कब्जा ले ले तो कोई लैंड रेवेन्यू न ले इसके लिये पजेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है यह लैंड एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग के अन्दर है लेकिन अगर दूसरे प्रकार से सरकार दान के जरिये से पजेशन ले लेती है तो क्या वह भी पजेशन की डेफीनेशन में आता है ?

श्री महावीरसिंह—दान के बाद कोई क्लेम ही नहीं रहता ।

श्री अध्यक्ष—दान में कोई मुआवजा तो नहीं लेगा लेकिन उसका लगान भी आप छोड़ेंगे या नहीं ?

श्री महावीरसिंह—जरूर छोड़ेंगे ।

श्री गेंदासिंह—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इतने बड़े पैमाने पर विकास के कार्यों के लिये किसानों से जमीनें ली गई हैं तो जो गलतियां हुई हैं उनके सुधार के लिये और आगे के लिये भी कोशिश की जायगी ? यह किसी एक जगह की बात नहीं है । रिहन्द वाली बात आप के सामने है । हमारे गांव में ही बिना एक्वायर किये हुये जमीन पर नाला बन गया और आज तक न मुआवजा मिला और न लगान माफ किया गया और ८ वर्ष इस बात को हो गये । तो क्या सरकार इस बात का बन्दोबस्त करेगी कि किसानों से ऐक्वायर की हुई जमीन पर से कोई मालगुजारी नहीं ली जायगी क्योंकि माननीय मंत्री इस वक्त पी० डब्ल्यू० डी० तथा इरीगेशन दोनों विभागों के मंत्री हैं ?

श्री गिरधारीलाल—इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लूंगा और मैंने जैसा पहले कहा जहां भी कोई ऐसी समस्या हो उसे बतलाई जाय तो उसे मैं देखूं । फिर भी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की नोटिस में यह समस्या ले आऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—मेरा खयाल है कि इतना स्पष्ट होने के बाद जहां कहीं इस तरह से मुआवजा नहीं मिला है और लगान वसूल हो रहा हो तो वहां के स्थानीय जो सदस्य हैं उनका काम है कि मंत्री जी को बतायें ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—बहुत सी जगहों पर जहां ट्यूबवेल की बड़ी-बड़ी नालियां निकली हैं वहां न मुआवजा दिया गया है और न लगान कम किया गया है, वहां पर इंक्वायरी कराने की कृपा की जायगी ?

श्री महावीरसिंह—लिख कर दिलवा दें तो फौरन दिलवा देंगे ।

श्री जगन्नाथसहरी (जिला आगरा)—सम्बन्धित प्रश्न में जो भूमि ली गई है उस भूमि पर कब्जा लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मुताबिक जजमेंट होने से पहले सरकार ने किया या जजमेंट होने के बाद, अगर पहले किया तो ट्रेस-पासर की हैसियत से कब्जा कैसे कर लिया गया ?

श्री अध्यक्ष---पहले उत्तर में प्रतापसिंह जी ने पढ़ कर सुना दिया था और मंत्री जी ने भी पढ़ कर सुना दिया कि पहले किस तरह से रजामन्दी जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर मेरे पास जवाब देने को तो इसमें कुछ है नहीं इसलिये कि मंत्री जी खुद ही कहते हैं कि अभी वह इस मामले में क्लियर नहीं हैं । इसलिये अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको एक मौका और देता हूं ताकि जिस केस को हमने पुट किया उसको संदर्भ में रख कर सारे स्टेट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिये जांच करवायें और उसके बाद इस आदरणीय सदन में एक स्टेटमेंट दें ताकि जो हजारों किसान ऐफेक्टेड हैं उनको राहत मिल सके ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप एक सवाल भेज दें । अब उनका जवाब नहीं आयेगा क्योंकि आप बहस भी कर चुके, पूरक प्रश्न भी कर चुके, सब कुछ हो चुका । अब इस मामले में लगान वसूल हो रहा है या नहीं, ऐसा एक नया सवाल आप कर सकते हैं और मेरे दफ्तर में भेज सकते हैं ।

अब यह विवाद समाप्त हुआ । अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २१ मिनट पर सोमवार, ८ अगस्त, १९६० के लिये ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
५ अगस्त, १९६० ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७२ पर)

तालिका

जिला मैनपुरी के उन थानों की सूची जिनके इलाकों में जनवरी, १९५९ से नवम्बर, १९५९ तक चोरियां या डकैतियां हुई ।

जिनके इलाकों में चोरियां हुई ।	जिनके इलाकों में डकैतियां हुई ।
१—कोतवाली	१—शिकोहाबाद
२—शिकोहाबाद	२—सिरसागंज
३—सिरसागंज	३—घिरौर
४—घिरौर	४—फरिहा
५—जसराना	५—भोगांव
६—एका	६—बेवर
७—फरिया	७—करहल
८—भोगांव	८—कुरावली
९—बेवर	
१०—किशनी	
११—कुर्रा	
१२—करहल	
१३—कुरावली	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८७ पर)

घटना का विवरण

दिनांक ३० जून, १९६० को कानाडियन पत्रकार श्री पीटर एलेन स्टालरी गोंडा स्टेशन पर एक प्रथम श्रेणी (First class) के डिब्बे में बिना टिकट यात्रा करते हुये पाये गये । टिकट इक्जामिनर ने उनसे टिकट खरीद लेने के लिये अनुरोध किया जिससे वे सहमत नहीं हुये । और वे ट्रेन से नहीं उतरे । कुछ अन्य रेलवे कर्मचारी व रेलवे पुलिस के सिपाही भी मौके पर आ गये और उन्होंने भी श्री स्टालरी को डिब्बे से बाहर निकालने के लिये आग्रह किया तो वे उत्तेजित होकर ट्रेन से कूद पड़े । इस गड़बड़ी में सम्भवतः उन्हें पुलिस के डंडों से भी चोट पहुंची हो ।

श्री स्टालरी गिरने के पश्चात् आवेग में भरे हुये सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में पहुंचे और उन्हें अपशब्द कहे तथा थप्पल खींचकर मारी उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को मूर्ख एवं पुलिस को अयोग्य एवं दुष्ट कहा कि उन्होंने रेलवे पुलिस के विरुद्ध लिखित शिकायत की । इस पर उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग कायम करने के बाद जांच शुरू की गई ।

चिकित्सिक उपचार के बाद श्री स्टालरी रेलवे निरीक्षक के विश्रामालय में रहे फिर लखनऊ के लिये रवाना हुये । पुलिस को हिरासत में वे नहीं रखे गये थे ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११८ एल० ए०—१९६०—८४५ ।